खण्ड-278, अंक-4
शुक्रवार, 17 श्रावण, शक संवत् 1891
(8 अगस्त, 1969 ई0)

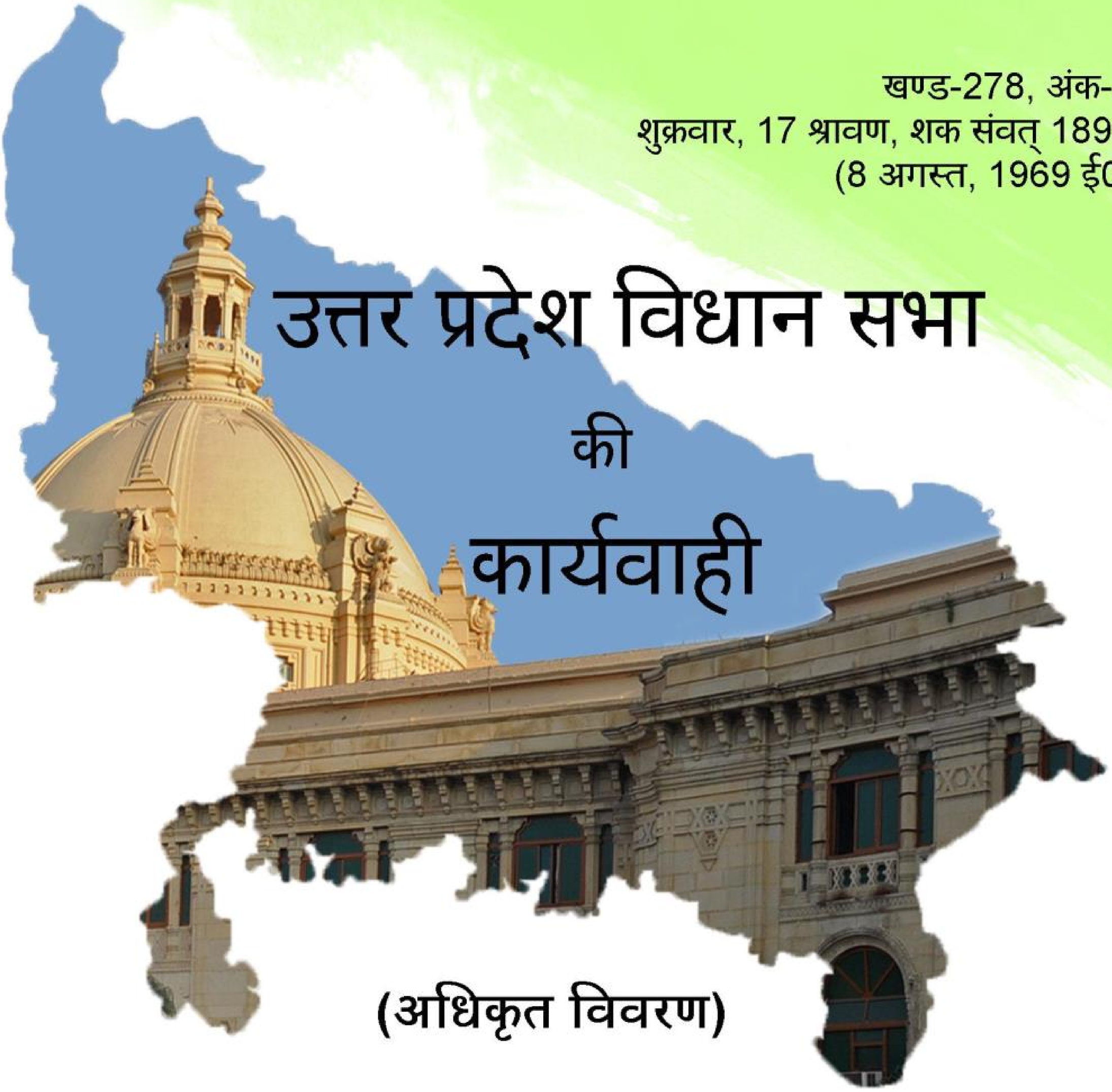

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 278 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ८ अगस्त, १९६९

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में १०.३० बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--४०६

अजब सिंह, श्री
अजीत प्रसाद सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्त राम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ़्फ़ार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अवैद्य नाथ, श्री
अशफ़ाक अहमद, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम् प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकांत, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ़ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप श्री
कृष्णानन्दराय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुख लाल, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

खचेड़ू सिंह, मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजी लाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ़ मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार, श्री
जयनारायणसिंह, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
जैराम, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री (जिला चमोली)
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ़ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्ना लाल, श्री

परमाईलाल, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर।
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण, श्री
फिरंगी, श्री
बंश गोपाल शुक्ला, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह,
भगवत दयाल सिलोइया डाक्टर, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री
(उर्फ़ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोतीलाल, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री
(उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराजसिंह, चौधरी,
रघुवीर सिंह, यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती

राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
राम किशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
राम कुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
राम प्यारे शुक्ला श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
राम बचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम बचन यादव, श्री
(जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
राम रतन पांडेय, श्री
राम लखन, श्री
राम लखन शुक्ल, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास, श्री
रामशिरोमणि, श्री
राम सागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर रफी खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भू नारायण सिंह, श्री
शान्ति चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)

शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिव पाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथसिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्त, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल, श्री
सूर्यनाथ, श्री
सेवाराम, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन राहत मोतबाई, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री (जिला आगरा, फतेहाबाद)
हुकम सिंह, श्री (जिला आगरा पश्चिम)
होती लाल अग्रवाल, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अधिकतर प्रश्नों की अस्वीकृति के संबंध में आपत्ति

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न शुरू होने से पहले में आप से यह कहना चाहता हूं कि जब से विधान सभा प्रारम्भ हुई है, यह बात बराबर देखी जा रही है कि जो नये सदस्य चुन कर आये हैं, वे बराबर प्रश्न देते रहते हैं। लेकिन उनके सारे प्रश्न कुछ न कुछ अड़ंगा लगा कर वापस कर दिये जाते हैं, केवल थोड़े से ही लोगों के प्रश्न प्रश्नावली में सदा आते रहते हैं। सभी सदस्यों को प्रश्न करने का अवसर मिलना चाहिये और अगर कुछ गड़बड़ हो तो उसको सुधार कर, स्वीकार किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

मैं जल्दी कराने की कोशिश करूंगा।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ८ अगस्त, १९६९

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

जिलाधीश बरेली के खिलाफ जांच

**१—श्री ओमप्रकाश सिंह (जिला बरेली) तथा श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुक्त, रुहेलखंड डिवीजन (बरेली) को शिकायत हाल में प्राप्त हुई है कि जिलाधीश बरेली ने रात्रि में शराब पीकर एक कर्मचारी की पत्नी का शील भंग करने का प्रयत्न किया तथा बदनामी के डर से क्या जिलाधीश ने सभी पुराने चपरासियों का तुरन्त स्थानान्तरण कर दिया? यदि हां, तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है?

उद्योग मन्त्री (श्री शांति प्रपन्न शर्मा)—

जी हां, इस प्रकार की एक शिकायत आई है। जिन अधिकारी के विरुद्ध शिकायत थी, उनको छुट्टी दे दी गई है और उन्होंने जिले का चार्ज छोड़ दिया है। शिकायत की जांच राजस्व परिषद् के एक सदस्य श्री जे० डी० शुक्ला के सुपुर्द कर दी गई है।

श्री ओम् प्रकाश सिंह—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को ध्यान में रख कर कि राजस्व परिषद् के सदस्य श्री जे० डी० शुक्ला द्वारा निष्पक्ष जांच संभव नहीं है क्योंकि राजस्व परिषद् के चेयरमैन श्री एच० सी० गुप्ता इस अधिकारी के सगे भाई हैं। इसलिये क्या इसकी न्यायिक जांच करायी जायगी?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में सरकार की यह राय नहीं है। वह विश्वास करती है कि वरिष्ट अधिकारी अपने अधिकारों के अन्तर्गत सदा ही अपनी स्वतंत्र राय बनाते हैं। हर प्रश्न का वह स्वतंत्र ही निर्णय लेते हैं।

श्री मोहन लाल कपूर—

क्या माननीय मन्त्रीजी यह बतायेंगे कि जिस अधिकारी के विरुद्ध शिकायत हुई है, उसको छुट्टी क्यों दे दी गयी है, उसको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

अभी जब तक सरकार के पास जांच की रिपोर्ट न आ जाय सरकार यह मुनासिब नहीं समझती कि उसको पहले से ही निलंबित कर दिया जाय ।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बरेली)—

क्या सरकार बतायेगी कि यह घटना किस तारीख की है, किस समय की है तथा इस घटना की शिकायत किसने, किससे, किस समय की ? यह शिकायत लिखित हुई या मौखिक ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

इसका उत्तर देने के पहले मैं आदरणीय सदन के सदस्यों से यह प्रार्थना करना चाहता हू कि यह जो शिकायत हुई है, वह बड़ी कन्ट्रोवर्शियल है, कुछ लोग कहते हैं कि घटना ठीक है, इसकी जांच होनी चाहिये और कुछ लोगों का कहना है ऐसी कोई घटना नहीं हुई । इसलिये आप जो चाहते हैं, वह ऐक्शन तो ले लिया गया है । इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि जब इसकी जांच रिपोर्ट आ जाय तब आप सवाल करें तो ज्यादा अच्छा होगा, यों तो आप जो सवाल पूछेंगे उसका मैं उत्तर दूंगा ही ।

श्री अध्यक्ष—

इसमें कोई खास बात नहीं है । माननीय सदस्य एक-एक करके सवाल पूंछ लें ।

श्री भानुप्रताप सिंह (बरेली)—

यह घटना किस तारीख को और किस समय हुई ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

१३ जुलाई की रात का वाकया है ।

श्री भानुप्रताप सिंह (बरेली)—

इस घटना की किसने किससे, किस समय शिकायत की और वह लिखित या मौखिक की ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

१४ जुलाई को यह शिकायत लिखित की गई थी लेकिन उसके बाद वह साहब नहीं आये ।

श्री ओम्प्रकाश सिंह—

क्या मंत्री जी शिकायती-पत्र को पढ़ने का कष्ट करेंगे ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

१४ तारीख को जैसा कि मैंने कहा कि जबानी उन्होंने शिकायत की थी । लिखित पत्र नहीं दिया था ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस घटना में कंट्रोवर्शियल प्वाइंट क्या है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

कंट्रोवर्शियल प्वाइंट यह है कि जिनके खिलाफ़ शिकायत है वह इस चीज को मानते नहीं हैं । वह कहते हैं कि ऐसी घटना नहीं हुई है । आपस में पार्टीबाजी की वजह से शिकायत हुई है । यह चीज है ।

श्री ओम् प्रकाश सिंह--

श्रीमन्, मैंने यह पूछा था कि क्या मंत्री जी शिकायती-पत्र को पढ़ने का कष्ट करेंगे जो आयुक्त को प्राप्त हुआ ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

श्रीमन्, आयुक्त की चिट्ठी मेरे पास है । शिकायती-पत्र मेरे पास नहीं है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ़्फ़रनगर)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसी भयंकर और गम्भीर शिकायत होने के बाद उनका स्थानान्तरण किया गया तो पदोन्नति किस कारण से की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

पदोन्नति नहीं की गई है । एडीशनल कमिश्नर उनको बनाया जाता है जिनको ऐसा अधिकारी हम समझते हैं कि वे अपने कार्य में दक्ष नहीं होते । एडीशनल कमिश्नर को कोई एलाउंस भी नहीं मिलता है । बरेली में जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं उनको १००/१५० रुपये एलाउंस मिलता है तो इसमें पदोन्नति का कोई प्रश्न नहीं उठता है । यह कोई पदोन्नति का पद नहीं है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

श्रीमन्, मंत्री जी ने पहले बताया था कि लिखित शिकायत आई थी और अभी कहा कि लिखित नहीं आई है तो क्या मंत्री जी इस विरोधाभास को स्पष्ट करेंगे कि १४ तारीख को लिखित शिकायत आई है या मौखिक ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

श्रीमन्, १४ तारीख को वे कमिश्नर के पास गये और उन्होंने शिकायत की । कमिश्नर ने कहा कि आप मुझे लिखित शिकायत दे दें । इसके बाद कमिश्नर ने लिखा है कि शिकायत उनके पास भेजी है । लेकिन उनका पता नहीं है । इसके बाद वे नहीं मिलने आये । मुझे नहीं मालूम कि यह उनके दस्तखत हैं या किसी और के इसके बाद वे उनसे मिलने नहीं गये ।

श्री जंगबहादुर (जिला जौनपुर)--

अध्यक्ष महोदय, आप पिछली पंक्ति की तरफ़ ध्यान नहीं देते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको भी मौका दूंगा ।

श्री भानुप्रताप सिंह (बरेली)--

जिसने शिकायत की है उसकी नियुक्ति बिना एम्पलायमेंट एक्सचेंज से नाम मंगाये उसकी नियुक्ति ड्राइवर के पद पर की गई और ४ महीने बाद ही उसको कन्फ़र्म कर दिया गया ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

श्रीमन्, यह तो डिटेल की चीज है ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

हां, यह सही है कि उसकी नियुक्ति बिना एम्पलायमेंट एक्सचेंज से पूछे हुये की गई थी और यह भी सही है कि वह चार महीने में कन्फ़र्म कर दिया गया ।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस अधिकारी के खिलाफ़ इतने गम्भीर आरोप हैं, उसके चरित्र के बारे में किसी अधिकारी से इंक्वायरी करवायी और यदि करवायी तो किस नतीजे पर पहुंचे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जब सरकार के पास यह खबर आयी कि एक छोटे कर्मचारी ने ऐसी शिकायत किसी बड़े अधिकारी के विरुद्ध की है तो मुनासिब यह समझा गया कि उस अधिकारी को उस स्थान पर न रखा जाय। वह अधिकारी चार महीने की छुट्टी पर चला गया है। इस बीच में इंक्वायरी होगी। उस इक्वायरी के नतीजे के बाद जो कार्यवाही सरकार को करनी होगी सरकार वह कार्यवाही करेगी।

श्री मोहनलाल कपूर—

क्या कमिश्नर उत्तरदायित्वपूर्ण अधिकारी नहीं माना जाता, उसके पास से जब रिपोर्ट आयी और उसने जांच की होगी तभी तो उसने रिपोर्ट दी, और कमिश्नर की रिपोर्ट के ऊपर उस अधिकारी को सस्पेंड न करके, पदोन्नति कर दिया और उसके बाद छुट्टी दे दी।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने नहीं कहा कि पदोन्नति कर दी।

श्री मोहनलाल कपूर—

आयुक्त को आप जिम्मेदार नहीं मानते, उसकी रिपोर्ट पर आपने पूरी तरह से कार्यवाही क्यों नहीं की, अब जांच की क्या जरूरत पड़ रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जांच की हर हालत में आवश्यकता होती है। किसी अधिकारी के विरुद्ध अगर कोई चार्ज लगाये तो उसके सारे वाक़यात, जिस तरह से वे सारे घटित हुए, कौन गवाह है, कौन उसके विषय में चर्चा करता है, इस सब की जानकारी सरकार को उपलब्ध होनी चाहिये और तब सरकार फैसला लेती है। चूंकि यह शिकायत एक वरिष्ट अधिकारी के चरित्र से सम्बन्ध रखती है इसलिये यह मुनासिब समझा कि सरकार उस अधिकारी को उस सीन से हटा दे और इन्क्वायरी करवाये और ऐसे अधिकारी से करवाये जो उस अधिकारी से वरिष्ट हो और ऊंचा ओहदा इस प्रदेश में रखता हो।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री महोदय, कमिश्नर, बरेली ने जो इस घटना के सम्बन्ध में जो अपनी रिपोर्ट भेजी है उसको इस सदन में पढ़ने की कृपा करेंगे।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

कमिश्नर ने जो रिपोर्ट भेजी है....

(एक आवाज—पढ़ दीजिये)

अंग्रेजी में है। पढ़ने की क्या जरूरत है। सारांश बताये देता हूं आपको।

श्री अध्यक्ष—

मैं, पूरी अगर रिपोर्ट है, तो उसको पढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा हूं। आप संक्षेप में सार बता दीजिये। और लोगों के भी प्रश्न हैं बहुत से।

(आवाजें—रिपोर्ट पढ़ी जाय, रिपोर्ट पढ़ी जाय।) (शोर)

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

सुन कर आपको परेशानी होगी । खैर, मैं रिपोर्ट पढ़ता हूं।

MY DEAR SRI, MUSTAFY

Reference discussion with you to-day about a short notice question on alleged misbehaviour of Sri G. S. Gupta, District Magistrate, Bareilly.

It is a fact that on 14th July, 1969, Sheo Singh, Driver of the District Magistrate came to see me and complained that Sri G. S. Gupta had attempted to misbehave with his wife in the night between 12th and 13th July, 1969.....

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

अब जरूरत नहीं है, अब न पढ़ें । बस ...बस ।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

पूरी रिपोर्ट अब आप सुनिये, क्योंकि आपको श्रम हुआ है ।

I told him to give me in writing the full details of the alleged incident. The driver went away and did not come to me again. A complaint alleged to have been signed by Sheo Singh was received by me by post a few days after. I tried to contact Sheo Singh but I learnt that he was not available at Bareilly and had sent some leave application to the District Magistrate. He has not so far returned to Bareilly and I have not been able to contact him and ascertain whether the complaint is signed by him or not.

I showed the complaint to the District Magistrate, Sri Gyan Swarup, and asked him to give his comments on the complaint. His comments are enclosed.

The incident is a widely talked scandle in the town. At this stage it is not possible to say if the incident is correct or false. The District Magistrate says that the allegations are false and frivolous and cooked up by some intriguing officials and peons working at his residence office. I am continuing the enquiry and will be in a position to send a report as soon as I have ascertained all the facts. In the meanwhile I would suggest that in the interest of the Officer himself and in the interest of administration Sri Gyan Swarup Gupta should be transferred from Bareilly forthwith as his presence will be unnecessarily embarassing to himself and to Government.

(Sd.) B. P. S. SETH,

श्री ओम प्रकाश सिंह--

क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस ड्राइवर का अविलम्ब ट्रांसफर दूसरी जगह कर दिया गया है, जिससे वह शिकायत नहीं कर सका ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

इस ड्राइवर के साथ अन्य कई कर्मचारियों का भी ट्रांसफर किया गया है, इसका शायद नियोजन विभाग में ट्रांसफर किया गया है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मंत्री जी क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि इस ड्राइवर के साथ किन-किन कर्मचारियों का ट्रांसफर इसकी शिकायत जाने पर ट्रांसफर हुआ है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

ट्रांसफर की बात तो डी० एम० के सामने पहले से ही चल रही थी, जिन्हें डी० एम० रखना नहीं चाहते थे। एक कोई एकबाल बहादुर थे, एक कोई थे जो कनेक्शन लाइसेंस देने का काम करते थे, उनकी शिकायत थी। तो वह उनको हटाना चाहते थे हटा दिया।

श्री राजितराम पांडेय--

मान्यवर, इस सदन के बहुत से लोग अंग्रेजी नहीं जानते, इसलिये जो रिपोर्ट पढ़ी गई है वह हिन्दी में पढ़ी जाए, जिससे सरकारी अधिकारियों द्वारा जो अत्याचार हुआ है वह लोग जान जाएं। एक औरत की इज्जत लूटी जा रही है एक अफसर के द्वारा, वह शराब पीकर मस्त है और मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि उसकी जांच होगी, जब कि वरिष्ठ अधिकारी की जांच आ गयी है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, जो रिपोर्ट आई है, उससे पता चलता है कि उन्होंने जो जांच की उससे इस निर्णय पर पहुंचे कि सचमुच इस अधिकारी ने इस ड्राइवर की औरत के साथ दुर्व्यवहार किया। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह मामला दस्तन्दाजी पुलिस है, पुलिस मामले की तफतीश करती है और मुकदमा कायम करती है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह जो साधारण नियम है इसके बाद में यह जानना चाहता हूं कि यह जो शिकायत है इसमें पुलिस का कोई दखल अभी तक हुआ या नहीं? मान्यवर, कृपया इसका भी जबाब दिलवा दें कि साधारण नियमों से डिपार्चर इस केस में क्यों किया जा रहा है?

श्री नित्यानन्द स्वामी--

अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतलायेंगे कि उस व्यक्ति ने रिपोर्ट की है और उसकी रिपोर्ट की जांच हो रही है तो उस व्यक्ति को वहां से ट्रांसफर क्यों किया गया?

एक सदस्य--

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस केस में उस अधिकारी के खिलाफ दफा ३७६-ताजीरात हिन्द का मुकदमा सरकार चलायेगी?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

यह श्री नित्यानन्द जी का प्रश्न नहीं है। मैं श्री नित्यानन्द जी से यह अर्ज करूंगा कि जो कमिश्नर को रिपोर्ट मेरे पास है इसमें यह नहीं कि शिकायत सही है या झूठ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मन्यवर, माननीय मंत्री जी जो कुछ कह रहे हैं उससे गलतबयानी हो रही है जबकि यह फैक्ट है कि उस अधिकारी ने उस औरत के साथ मिसबिहेव किया।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने यह कहा है कि कंप्लेन्ट आई है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

इसमें लिखा है ऐन्ड इट इज ऐ फैक्ट।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

आपने नहीं सुना तो मैं क्या करूं। उन्होंने लिखा है कि--

It is a fact that on the 14th July, 1969, Sri Shiv Singh, Driver of the District Magistrate came to see me and complained that Sri G. S. Gupta

has attempted to misbehave with his wife in the night between the 12th and 13, July.

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। मेरा प्रश्न यह था कि जिस व्यक्ति ने शिकायत की उसको ट्रांसफर न किया जाता। उसका ट्रांसफर क्यों किया गया ?

श्री अध्यक्ष—

वह यह पूछते हैं कि जिस व्यक्ति ने शिकायत की थी उसका ट्रांसफर क्यों किया गया ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हाथ में था। दूसरे आफिसर के खिलाफ़ शिकायत थी उस पर इंक्वायरी करने की बात थी। उन्होंने प्लानिंग डिपार्टमेंन्ट में ही ट्रांसफर कर दिया था। पहले तो उसका कुछ पता ही नहीं था कि वह है कहां। उसका ट्रांसफ़र प्लानिंग डिपार्टमेंट में कर दिया गया तो कौन सी बात हो गई।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जिस व्यक्ति ने शिकायत की उस व्यक्ति को वहां से हटा देने से ही जिम्मेदारी खत्म हो जायगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं यह क्या आप पुछवा रहे हैं। नियोजन विभाग में उसको भेज दिया गया था। चार महीने पहले उसको रखा गया। एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज से उसकी दरख्स्त क्यों नहीं आई। यह सारे प्रश्न ऐसे हैं जो इनक्वायरी के समय सामने आयेंगे तो इनका क्या नतीजा होगा।

(व्यवधान)

श्री राजितराम पांडेय—

इसका हिन्दी में अनुवाद करायें अन्यथा में हाउस को चलने नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या यह सही है कि जिस समय ड्राइवर रिपोर्ट कराने के लिये कोतवाली गया तो उसकी रिपोर्ट लिखने से इसलिये इन्कार किया गया क्योंकि यह कलेक्टर, ऐडीशनल डी० आई० जी, सी० आई० डी० के सगे भाई हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

न तो हमारी ऐसी सूचना है और न यह सब बातें किसी आधार पर कही जा रही हैं। सब निराधार हैं और सब मनगढ़न्त हमारे प्रश्नकर्ता की ओर से हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, यह विषय इतना गम्भीर है क्योंकि जिले का जो सबसे बड़ा हाकिम है वही इतना भयंकर अपराध करता है और अगर यह सही है तो रक्षक ही भक्षक बन चुका है। इसलिये यह नीति का विषय हो जाता है कि क्या उनको ट्रांसफ़र करना चाहिये ? या नीचे अधिकारियों

को ट्रांसफ़र या कर्मचारियों को इस तरह से ट्रांसफ़र करना चाहिये ? यह सारे प्रान्त के क्षोभ का विषय हो जाता है कि इतने बड़े अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग किया। ऐसी परिस्थिति में आधा घंटे के विवाद और चर्चा के लिये समय दे दें क्योंकि बहुत से लोग प्रश्न नहीं कर पाये हैं तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष—

आप इस बात की जिम्मेदारी ले लें कि आठ-आठ दस दस व्यक्ति एक साथ खड़े होकर नहीं बोलेंगे तो मैं वह भी कर दूंगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जिम्मेदारी तो आप लेंगे श्रीमन्, हम भी कोशिश करेंगे। मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि उनको पता नहीं है कि उनको ऐडीशनल कमिश्नर बनाया गया और चार महीने के बाद उसको परमामेंट कर दिया गया। यह कहते हैं कि इनको पता नहीं है कि ये ऐडीशनल आई० जी०, सी० आई० डी० के भाई हैं। (व्यवधान) (कई माननीय सदस्य खड़े होकर बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष—

इस तरह से मैं कंट्रोल नहीं कर सकता।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

माननीय वर्मा जी ने जो बहुत से आरोप लगाये हैं और जो कल्पित आधार पर आरोप लगाये हैं मैं उनका घोर विरोध करता हूं। (श्री वीरेन्द्र वर्मा और अन्य कई सदस्यों के खड़े होकर कहने पर नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे कहने पर) (व्यवधान) आपको सुनना पड़ेगा। यह क्या तरीका है कि आप किसी को बोलने नहीं देना चाहते। आपको सुनना पड़ेगा। इस तरह से चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। आप को सुनना होगा। (व्यवधान.....बहुत सी आवाजें... नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे)।

कैसे नहीं सुनेंगे। सुनना पड़ेगा। (व्यवधान) नहीं सुनते हैं तो मैं बैठता हूं। (व्यवधान)।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, इस सदन के अन्दर माननीय नेता सदन ने सीधे-सीधे वर्मा जी के लिये कुछ बातें कही हैं। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि (व्यवधान).....(बहुत से सदस्य खड़े हो कर बोलते रहे) (उनके शब्द पकड़े नहीं जा सके।)

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

हम सब बी० के० डी० के सदस्य, माननीय मुख्य मंत्री ने जिस प्रकार से धमकी दी है, उसके विरोध में सदन का वाक आउट करते हैं ५ मिनट के लिये।

(शोर)

(सभी विरोधी दल के सदस्य कम्युनिस्ट और प्रजा समाजवादी दल को छोड़कर नारे लगाते हुये सदन से उठकर चले गये।)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मैं यह पूछना चाहता हूं कि उस अधिकारी को छुट्टी भेजकर सरकार ने जब उस को पनिशमेंट दे दिया तो यह प्राइमाफ़ेसी केस बन गया तब फ़िर जुडिशल जांच कराने में सरकार को क्यों हिचक है ?

श्री गोविन्द सिंह—

बहुत गम्भीर प्रश्न के ऊपर सरकार ने जो रुख अख्तियार किया है वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिये मैं भी सदन का त्याग करता हूं ५ मिनट के लिये।

(श्री गोविन्द सिंह अपने दल के साथ सदन से बाहर चले गये।)

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, आपसे इस प्रश्न पर आध घंटे का विवाद मांगा गया था और आप सहमत भी थे लेकिन मुख्य मंत्री जी ने बड़े जोर से डांटकर यहां पर गर्मी पैदा कर दी है तो मैं भी ५ मिनट के लिये सदन का त्याग करता हूं।

(श्री छांगुर सदन छोड़ कर चले गये।)

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

अभी तो शिकायत मिली है और उसकी जांच हमारे एक सीनियर अफ़सर कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट आने के बाद अगर ऐसा पता चलेगा कि इसमें सच्चाई है तो तब उसके बाद जुडिशियल जांच के बारे में विचार का प्रश्न पैदा होगा।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली की ओर दिलाना चाहता हूं। अभी आपने वीरेन्द्र वर्मा जी से कहा कि अगर वे ८, ८ आदमी बोलने के लिये खड़े हो जाते हैं उनको रोकें तो आप उस प्रश्न पर विचार कर सकते हैं। इसके बाद वीरेन्द्र वर्मा तथा उसके अन्य साथियों ने जो सदन में परिस्थिति पैदा की है। उससे यह कार्यवाही चूंकि सदन के सामने ही हुई है और उन्होंने सदन के सामने कार्यवाही की है और आपके आदेश का उल्लंघन किया है। यह आदेश का उल्लंघन करना सदन की मर्यादा भंग होने के समान है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप माननीय वीरेन्द्र वर्मा और उनके अन्य साथियों के विरुद्ध अवश्य कार्यवाही करें। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा.....

श्री अध्यक्ष—

यदि विशेषाधिकार का लिखित प्रश्न देना चाहें तो दे सकते हैं। आपने नोटिस मुझे दे दिया।

श्री रियासत हुसैन—

जुडीशियल इनक्वायरी की मांग थी लेकिन मुख्य मंत्री ने जिस ऐटीट्यूड से जवाब दिया उससे बराहरास्त सदन का अपमान हुआ है और चूंकि सरकार जुडीशियल इंक्वायरी के लिये तैयार नहीं है, उन अधिकारियों को सपोर्ट कर रही है, इसलिये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी सदन का त्याग करती है।

(श्री रियासत हुसैन ने अपने दल के साथ सदन का त्याग किया।)

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मैं आपके जरिये से निवेदन करना चाहता हूं कि जो माननीय मुख्य मंत्री ने धमकी दी है उसे वापस लें, जो शब्द कहे हैं वह वापस लें।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि सदन की गरिमा और सदन के जो भी नियम हैं उनके संचालन की जितनी जिम्मेदारी आपकी है उतनी ही सदन के नेता की भी है। अभी मान लीजिये, वर्मा जी ने कुछ शब्द कहे जो उनको पसन्द नहीं आये मैं नहीं कहता कि वह

क्या थे—लेकिन उनके बारे में आपको आपत्ति हो सकती है। यदि किसी माननीय सदस्य को आपत्ति थी तो वह आप को कहते लेकिन हमको खेद यह है कि सदन के नेता होते हुए उन्होंने सीधे-सीधे आरोप उन पर लगाने शुरू किये और इस तरह से डांटना शुरू किया जिस तरह से केवल आप कह सकते थे। मैं समझता हूं कि एक माननीय सदस्य जो एक जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं उनका बड़ा भारी अपमान हुआ है, इसलिये मुख्य मंत्री जी अपने शब्द वापस ले लें तो आगे की परम्पराएं अच्छी रहेंगी।

श्री अध्यक्ष—

देखिये, आपने कोई शब्द बताये नहीं। मैंने शब्दों को खुद सुना....

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फ़ैजाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठें। चार-पांच चीजें कहीं गयीं कि किस तरह से तरक्की करने पर आपने यह किया, फ़लाने को कुछ किया। तो तीन-चार प्रश्न उन्होंने किये। उसके लिये उन्होंने सिर्फ़ यह कहा था उसके जवाब में कि जो आरोप लगा रहे हैं उसका मैं विरोध करता हूं। इसी पर आप नाराज हो गये।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं दोहराये देता हूं। कुल चार आरोप लगाये। वह क्या थे, क्या-क्या नहीं थे उन आरोपों को खंडन करने का उन्हें पूरा अधिकार था, परन्तु माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने ऐक्शंस और अपनी वाणी से, दोनों चीजों से इस तरह से जाहिर किया कि "तुम इस तरह से बोलते हो। तुम काम नहीं करने देना चाहते हो, तुम रुकावट डालते हो।" मेरा निवेदन है कि यह बात उनको शोभा नहीं देती, इसलिये वह अपने शब्दों को वापस लें। उनके ऐक्शंस उनकी बातों में जुड़ करके उन बातों को परिपक्व करते हैं। डायरेक्टली इस तरह से अक्यूज करना उचित नहीं था। आपके माध्यम से भले ही वह उनसे कुछ भी कहते।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर जो प्रक्रिया यहां पर लागू की जाती है उसमें साफ तौर से यह लिखा हुआ है कि जब कभी कोई सदस्य अपना भाषण दे या वक्तव्य दे तो सीधे किसी सदस्य से बात नहीं करेगा, सीधे उसे संबोधित नहीं करेगा। दूसरे वह किसी सदस्य ने इंगित नहीं करेगा और तीसरे यह कि अगर आप कहेंगे तो वह खड़ा होगा और आपकी आज्ञा का पालन करेगा। म बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि आज मुख्य मंत्री जी ने यह तीनों जुर्म किये हैं। पहली बात उन्होंने गुस्से में माननीय वर्मा जी से कई बातें कहा। वह इतने आवेश में थे, मैं अदब से कहना चाहता हूं कि आपने पूरी बात सुनी नहीं। वह इस हद तक गये कि कहा आप रोज इस तरह की बात करते हैं, मैं आपको देख लूंगा।" मान्यवर यह एक चीज हुई। उसके बाद बोलते-बोलते वह बैठ गये बगैर आपके कहे हुए या बगैर आपकी इजाजत लिये हुए। तीसरी बात उन्होंने इनकी तरफ मुक्का तान कर इशारा भी किया। इस तरह से यह तीनों जुर्म हुए।

श्री प्रेमचन्द शर्मा (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष महोदय व्यवस्था का प्रश्न है। यह जुर्म शब्द का प्रयोग क्या संसदीय है?

(व्यवधान)

माननीय सदस्य ने जो जुर्म शब्द का प्रयोग किया है है तो वह संसदीय है या नहीं।

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, इस तरह से इन नियमों को भंग करके मुख्य मंत्री जी ने इस सदन का अपमान किया है। जब मुख्य मंत्री इस सदन में हैं तो यहां उन्हें अपनी हैसियत समझना चाहिये कि वह इस सदन के यहां नौकर और सेवक हैं। सदन के बाहर चाहे हम पर डंडे चलवायें या मुकदमा चलवायें लेकिन जब हम इस सदन के सदस्य के नाते यहां बठते हैं तो हम उनमें सवाल पूछ सकते हैं और वह इस सदन के प्रति जिम्मेदार हैं और जवाबदेह हैं। यहां पर किसी माननीय सदस्य से ज्यादा हैसियत मुख्य मंत्री की नहीं है। हम जब सवाल करें तो वे खड़े होकर जवाब दें यह अधिकार हमें प्राप्त है। मान्यवर बुढ़ापे में गुस्सा आ जाता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि गुस्सा तन्दुरुस्ती के लिए नुक्सानदेह हुआ करता है। इसलिये वे गुस्सा न किया करें और नियमों का पालन करें। जहां तक आज का प्रश्न है, मान्यवर, मैं बहुत ही आजिजी से कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री ने इस पूरे सदन की अवमानना की है और इसकी कार्यवाही अभी शुरू होनी चाहिये। अगर कार्यव ही नहीं होगी तो ये चीजें रोज होती रहेंगी और सदन की व्यवस्था भंग होती रहेगी। अगर यह कार्यवाही नहीं होगी तो सदन की कार्यवाही भी नहीं चलेगी।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जो घटना घटी उससे बड़ा दुख है। चिन्ता यह होती है कि संसदीय प्रणाली की रक्षा हम कैसे कर पायेंगे। किसी ने क्या कहा मैं दुहराना नहीं चाहता, सम्भवतः मैं कुछ सुन नहीं पाया हूंगा इस झगड़े में। मगर मेरी अपील है कि हम अनुशासनबद्ध होकर अपने प्रश्नों को रखें और उसको बड़े संतुलित ढंग से रखा जाय। सदन की गरिमा जहां कायम रखने का हमारा दायित्व है वहां उस पक्ष का भी दायित्व अधिक है। हम विरोधी पक्ष के हैं हो सकता है कि हम कोई ऐसा प्रश्न आ जाय और उस पर उत्तेजित हो जायं। हम स्वीकार करते हैं कि उत्तेजना नहीं होनी चाहिये, मगर क्या कर्त्तव्य है सरकार के पक्ष का, मुख्य मंत्री जी का या और जो दूसरे उच्च व्यक्ति हैं उनका। उनका दायित्व है कि एक आदर्श रखें, संसदीय प्रणाली को सुचारुरूप से रखें और जो निर्णय आप करें वह मानें।

श्री अध्यक्ष—

दोनों को अध्यक्ष का निर्णय मानना चाहिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जी हां, मैंने पहले कहा कि हमारा भी कर्त्तव्य है। वह मुख्य मंत्री हैं उनके ऊपर अधिक दायित्व है। एक तो यह कि उन्हें अपने प्रशासन से हमें संतुष्ट करना है और दूसरे कोई गम्भीर प्रश्न कर ा है तो संतुलित बुद्धि से उत्तर दें। यह न समझें कि उनको यह कार्य नहीं करना है। वह स्वयं कहते हैं कि विरोधी दल रथ का दूसरा पहिया है। लेकिन उनका क्या कर्त्तव्य है उसके प्रति ? क्या आदर्श उन्होंने रखा अपने व्यवहार से। सीधी बुद्धि से, संतुलित बुद्धि से उत्तर दें। आज उनके अधिकार का प्रश्न आया। खुद उनको गम्भीर हो जाना चाहिये लेकिन सारे मंत्रियों की मुद्रा मैंने देखी इनडिफरेंट थी। उसको सुनकर पूरी इनफारमेशन लेकर कहने के बजाय उन्होंने डिफेंस के लिए कहना शुरू किया। अगर यह स्थिति कायम रही तो हमारा आपका काम करना मुश्किल होगा। इसलिये मेरी अपील है कि आज की बात तो समाप्त की जाय लेकिन मुख्य मंत्री जी कभी भी आवेश में आकर ऐसा उत्तर न दें जैसा कि आज उन्होंने दिया है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, मैंने आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से प्रश्न पूछे थे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

क्या क्या प्रश्न थे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जितने प्रश्न पूछे जा चुके थे उनको दुहराया था और यह कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बरेली ने आउट आफ वे जाकर बगैर इम्प्लायमेंट इक्सचेंज के उस आदमी की नियुक्ति की और चार महीने के अन्दर उसको परमानेंट कर दिया । इसी के ऊपर हमारा शक जाता है । दूसरे ओम प्रकाश जी ने यह प्रश्न पूछा था कि उनके सगे भाई, रियल ब्रदर, यहां बोर्ड आफ रेवेन्यू के चेयरमैन हैं, मेम्बर से जो उनके मातहत होते हैं उनसे जांच करा रहे हैं । यह भी एक प्रश्न आया था कि एडिशनल आई० जी०, सी० आई० डी० उनके भाई हैं । चौथी बात मैंने कही थी जो पहले भी प्रश्न आया था कि उनको एडिशनल कमिश्नर बनाया गया । शिकायत करने वाले आदमी का ट्रांसफर कर दिया गया और जिस आदमी के खिलाफ शिकायत थी उसको पदोन्नति करके एडिशनल कमिश्नर बनाकर भेज दिया गया । उसको भी १५० रु० का एलाउन्स न भी मिलता हो ।

यह प्रश्न नहीं है कि १५० रु० का एलाउन्स मिला । सवाल यह था कि डिप्टी कमिश्नर से ऊपर एडीशनल कमिश्नर बनाया है । यह बुद्धि में आने वाली बात है कि डिप्टी कमिश्नर बड़ा है या एडीशनल कमिश्नर बड़ा है ? श्रीमन, जितने उत्तर दिये गये, हमें संतोष नहीं हुआ । इसके ऊपर माननीय गुप्ता जी जो खड़े हुए, आपको नहीं संबोधित किया बल्कि मुझे संबोधित किया । इस तरह से घूसा दिखाकर मुझे संबोधित किया । इससे मेरा ही नहीं बल्कि पूरे सदन का अवमान हुआ है । आज मैं इस स्थिति में हूं, परसों गुप्ता जी भी हो सकते हैं । अगर नेता सदन किसी एक सदस्य के लिए अपमानजनक शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह अकेले उस सदस्य का नहीं बल्कि सारे सदन का अवमान है । इसीलिये मुझे खेद हुआ और इसी कारण आपके माध्यम से माननीय गुप्ता जी से प्रार्थना करूंगा कि जो कुछ उन्होंने धमकी भरे शब्द कहे हैं वह वापस लें और सदन में खेद प्रकट करें ।

श्री अध्यक्ष—

क्या धमकी भरे शब्द थे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

आप पढ़वा लीजिये क्या कहा गया है । जो घूंसा दिखाया गया वह तो नहीं लिखा गया होगा ।

श्री अध्यक्ष—

आपको शब्द तो याद होंगे ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मेरे प्रश्नों का उत्तर तो किसी का दिया नहीं बल्कि यह कहा कि गलत कहते हैं । उन्हें क्या अधिकार है यह कहने का कि गलत है । मैंने तो वाकयात बताये थे कि डिप्टी कमिश्नर से एडीशनल कमिश्नर बना दिया, दो सगे भाई ऊंची पोस्ट पर हैं, जुडिशियल इंक्वायरी की प्रार्थना की गई थी । उन्होंने घूसा तान दिया । उनका घूसा मेरा भला क्या नुकसान कर सकता है ? लेकिन घूसा ताना मेरे ऊपर और फिर कहा कि बैठो ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, मेरे सामने घटना हुई है, मुझे भी कृपा करके सुन लें, सम्भव है कि मैं आपके कार्य में कुछ सहायक हो सकूं । श्रीमन्, माननीय नेता सदन एक राष्ट्रसेवी हैं, उनका जीवन समाज सेवा में बीता है ।

श्री अध्यक्ष--

आप फैक्ट्स बताइये ।

श्री मही लाल--

श्रीमन, इस सदन के माननीय सदस्यों में वह अवस्था में सबसे बड़े है। हमारे नेता विरोधी दल से भी ६ महीने बड़े हैं। जिस ढंग से अब वह सदन में बोलते हैं वह ढंग धीरे-धीरे इस बात की ओर संकेत करता है, मुझे क्षमा करें जिसकी घोषणा उन्होंने कुछ दिन पहले की कि आइंदा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मुख्य मंत्री पद का उम्मीदवार नहीं होऊंगा,....

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

आप फैक्ट्स बताइये ।

(शोर)

श्री महीलाल--

मान्यवर, मैं उनकी प्रतिष्ठा और निष्ठा में विश्वास रखता हूं। न केवल मैं बल्कि पूरा विरोधी दल उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखता है उनकी सेवाओं के लिए। लेकिन उन्होंने इस सदन में पहले दिन ही यह व्यवहार नहीं किया है बल्कि माननीय वर्मा जी के साथ इससे पहले भी यह घटना हो चुकी है जो क्रोधावेश में....

(शोर)

एक सदस्य--

श्रीमन्, क्या यह सदन का अवमान नहीं है कि आप रोक रहे हैं और यह फिर बोल रहे हैं ? अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि बैठ जाइये, फिर भी बोलते जा रहे हैं, क्या यह अवमान नहीं है ?

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें। मैंने इनको बैठने के लिए नहीं कहा था, मैंने कहा था कि आप यह बातें न करें, फैक्ट्स के बारे में कहें।

श्री महीलाल--

मैं तो आप की आज्ञा से बोल रहा था। श्रीमन्, माननीय नेता सदन क्रोधावेश में आये। वर्मा जी को आपने आज्ञा दी, उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिये। माननीय नेता सदन उत्तर में यह कह सकते थे कि वे जन हित में उत्तर देना नहीं चाहते, या अपनी असमर्थता प्रकट कर देते, मगर उन्होंने यह नहीं किया। उनकी मुद्रा तो पहले दिन से भी ज्यादा क्रोधावेश में थी। और उसके कारण ही जब वे उत्तर दे रहे थे तो उनका सारा शरीर गुस्से में कांप रहा था और उन्होंने एक हाथ की नहीं दोनों हाथों की मुट्ठियां बांध रखी थीं। मैं यह मानता हूं कि जिस दल के वे नेता हैं, उस दल के वे डिकटेटर बन कर रहे हैं। आज वे घोषणा करें कि क्या वह इस प्रदेश के डिक्टेटर होना चाहते हैं ? यदि नहीं, तो वे इसके लिए क्षमा मांगे।

श्री अध्यक्ष--

अब इसे आप खत्म कीजिये। माधव प्रसाद जी की भी आपने अपील सुनी, उसके बाद भी आप बोले। सवाल यह है कि इस सदन की कार्यवाही शांति के साथ चले और यहां व्यवस्था कायम रहे। अब इस सदन की व्यवस्था मैं कायम करूंगा कि आप। अब जैसा

कि आप उनके लिए कहते हैं, आप को भी चाहिये कि आप सदन न छोड़ते। माधव प्रसाद जी ने कहा कि उन्होंने वे शब्द नहीं सुने, मैं भी सुन नहीं पाया। लेकिन इस सब के बाद भी सदन को शांति के साथ कार्य करना चाहिये। आप कहते हैं यह कहा, वह कहा, तो वह सब चीज जो भी कही जाय उसको शांत होकर बैठ कर सुनना चाहिये। आप की तरफ गरम लोग हैं तो इधर भी हैं। तो मेरी अब सब से अपील है कि आप लोग शांति से सदन की कार्यवाही चलने दें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मेरी यह प्रार्थना है कि माननीय गुप्ता जी धमकाया न करें।

श्री अध्यक्ष--

मैं आप को उनसे गले मिलवा दूंगा। मैंने तो आधा घंटे की चर्चा भी स्वीकार करने के लिए कहा था मैं उसके लिये तैयार था.....

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, उसे आप वापस न लें, वह अवश्य रहे।

श्री अध्यक्ष--

मैंने कहा था कि शर्त यह है कि शोर वगैरह न हो।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

जब वातावरण शांत हो जाय तब चर्चा हो जाय।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय नेता सदन का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, मैंने आपसे निवेदन किया कि चूंकि आज की घटना इस सदन के सम्मुख आपके सामने हुई है इसलिये इस पर तुरन्त अवमान की कार्यवाही की जाय। मैं इसलिये और जोर दे रहा हूं कि इस तरह से छूत की बीमारी फैल रही है। खाली मुख्य मंत्री जी ही नहीं करते बल्कि इनके दल के सदस्य यहां तक कहते हैं, आपके सुनने में भी आया होगा, "स्पीकर मस्ट रिजाइन" आपके सचिवालय के साधारण से साधारण अनपढ़ चपरासी को भी यह वाक्य याद हो गया है कि "स्पीकर मस्ट रिजाइन" इसलिये मैं अपना धर्म समझता हूं कि इस पर अभी कार्यवाही हो। अगर कार्यवाही नहीं की तो उसका दूसरा धर्म है। मैं उसके लिये आज जो कर रहा हूं.....

(संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों ने मेजों को थपथपाना आरम्भ कर दिया।)

(थपथपाहट के मध्य)

श्री अध्यक्ष--

आप डिक्टेट करना चाहते हैं। मैं डिक्टेट होना पसन्द नहीं करूंगा।

(थपथपाहट के पश्चात्)

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष महोदय, सदन आपका बहुत आभारी है कि आप ने आध घंटे का समय इस प्रश्न पर चर्चा करने के लिए नियत करने को तय किया। लेकिन मैं यह समझता हूं कि यह प्रश्न बहुत महत्व का है। मामूली नहीं है। बहुत बड़े अफसरान से ताल्लुक रखता है और जो मुझे अभी मालूम हुआ है कि जिन लोगों ने शिकायत की थी उनका ट्रांसफर वगैरह, यह

[श्री चरणसिंह]

सारा प्रशासन ने इस तरह का जो कुछ किया है या नहीं किया है उसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। इसलिये मेरी गुजारिश यह है कि अगर आपको बहुत बड़ी कठिनाई और आपत्ति न हो तो एक घंटे का समय रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

दे दूंगा। आप शांत हो जायं।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

यह सदन एक शर्त पर चल सकता है कि माननीय मुख्य मंत्री ने जिन नियमों का उल्लंघन किया है उसके लिए गैर मशरूत (बिना शर्त) माफी यहां पर मांगें.....

कई कांग्रेसी विधायक--

यह नहीं होगा।

(संयुक्त समाजवादी दल के सदस्यों ने पुनः मेजें थपथपाना आरम्भ कर दिया।)

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय जायसवाल जी से कहना चाहता हूं कि वे शांत रहें।

(इस पर भी माननीय सदस्य मेजें थपथपाते रहे)

श्री अध्यक्ष--

चूंकि आप शांत नहीं होते हैं, इसलिये मैं १० मिनट के लिये सदन को स्थगित करता हूं। कृपा करके आप मेरे कमरे में आ जायं।

(इस समय ११ बजकर ३५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ।)

(मार्शल ने ११-५० पर सदन में घोषणा की कि माननीय अध्यक्ष ने आदेश दिये हैं कि यह सदन १५ मिनट और स्थगित रहेगा।)

(१२ बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत अनुग्रहीत हूं तथा विरोधी दल, जनसंघ तथा समाजवादी दल के नेताओं का भी अनुग्रहीत हूं कि वे और माननीय वर्मा जी भी आपके कमरे में आये जिनसे आपसी बातचीत के दरमियान सदन में हुई बातों के संबंध में बातें हुई और स्थिति साफ हुई। मैंने केवल इतना कहा था कि कल्पित आरोप जो वर्मा जी अभी लगा रहे हैं मैं उनका घोर विरोध करता हूं। वर्मा जी ने बीच में कुछ बात कही और कुछ साथी भी बोलने लगे। तब मैंने यह कहा कि जब आप सुनना नहीं चाहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं और ऐसा मैंने अवश्य आवेश में आ कर कहा। अब कुछ उम्र का तकाजा भी है, आवेश में बात कह भी दी जाती है और इन नौजवानों से मैं कुछ आवेश में बात कहने का हक भी रखता हूं लेकिन यहां तो सदन की मर्यादा और मान की रक्षा का संबंध है। प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार बराबर के हैं और उम्र का तो कोई विचार यहां रखा नहीं जाता है। उससे वर्मा जी को कुछ ठेस पहुंची। मैं फिर बैठ गया। उन्होंने कुछ ऐसी बात कही कि मैंने कुछ यों दिखाया। यों तो दिखाने की क्षमता और शक्ति मुझ में रही नहीं है और न मैं नौजवानों के बीच में इस तरह की क्षमता दिखाता हूं। हां दिमागी गुस्सा तो इस सदन के बाहर अभी भी नौजवानों से ज्यादा प्रदर्शित करता हूं। वह आदत आखिरी दिन छूटेगी, उससे पहले तो छूटने वाली नहीं है। लेकिन उसमें काफी संतुलन हुआ है।

तो मैं सदन से यह कहना चाहता हूं कि मेरे यहां बैठ जाने से यदि हमारे भाई वर्मा जी को तकलीफ हुई है तो यह तकलीफ मेरे लिये भी है और सदन का जो इतना वक्त इस भ्रम में गया उसके लिये मुझे खेद भी है। आवेश में कोई भी नवयुवक साथी जो सदन में पहली बार आये हैं वे नाराज हो जायं तो यह मेरे लिये दुख की बात है और उन सबके लिये जो सदन के एक जमाने से सदस्य रहे हैं दुख की बात है। हम चाहे इधर बैठे हों या उधर बैठे हों जब कोई बात करें तो हम सब का कर्तव्य है कि अपनी बातों को शान्तिमय ढंग से कहें और हर एक की बात सुनें और तर्क का जवाब तर्क से दें, जानकारी का जवाब जानकारी से दें और एक दूसरे के प्रति लांछन लगाने अथवा मोटिव एट्रिब्यूट करने की चेष्टा न करें। अभी मुझे यह बतलाया गया कि यह अधिकारी इस अधिकारी का भाई है। इस तरह के इंसिनुएशंस किसी के बारे में पास किये जायं जो वास्तविकता से परे हों तो किसी व्यक्ति को गुस्सा भी दिला सकते हैं और किसी व्यक्ति को एक क्षण के लिये आवेश में लाने के लिये प्रेरित भी कर सकते हैं।

अब तो मैं और अधिक सदन का समय नहीं लेना चाहता। अभी जो बातें आपके नेतृत्व में आपके कमरे में हमारे माननीय नेताओं ने और वर्मा जी ने कीं और उससे जो नतीजा निकला वह अच्छा ही निकला। हमारे उप मुख्य मंत्री जी भी वहीं उपस्थित थे और हमारे सचेतक भी थे। इन सब के सहयोग से जो वातावरण बना उसके लिये मैं सभी साथियों को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि यह सदन एक ऐसा वातावरण बराबर अपने बीच में बना कर रखेगा कि बहस में चाहे जो कोई सख्त से सख्त बात कहे परन्तु वह वास्तविकता हो तो सदन का कार्य सुचारु रूप से चलता रहेगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जरा एक स्पष्टीकरण आपके द्वारा करना चाहता हूं। अभी माननीय गुप्ता जी ने यह कहा कि मेरा रिश्तेदार बताया गया है। तो मेरी तरफ से तो नहीं आया कि गुप्ता जी का रिश्तेदार बताया। हां, एडिशनल आई० जी० का भाई बताया और जो चेयरमैन रेवेन्यू बोर्ड हैं उनका भाई बताया।

श्री अध्यक्ष—

आपने यह नहीं कहा कि गुप्ता जी के रिश्तेदार हैं।

श्री चरण सिंह—

माननीय गुप्ता जी ने यह कहा कि वर्मा जी ने उसको मेरा रिश्तेदार बता दिया।

श्री अध्यक्ष—

(श्री चन्द्रभानु गुप्त से) क्या आपने यह कहा?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मेरे ऊपर यही असर था इसीलिये यह बात भी मैंने कही।

श्री अध्यक्ष—

वर्मा जी ने यह नहीं कहा।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

तो मैं इसको वापस लेता हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

[illegible] एक ही सवाल हो पाया। तो इनको अगले दिन के लिये लगा दें।

श्री अध्यक्ष—

नियम तो यह है कि वह प्रोसीडिंग्स में आ जाते हैं। दूसरे रोज के लिये अगर फिर से आप हमको नोटिस दें तो हम रख दें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मैं एक बात यहां निवेदन करना चाहता हूं। वैसे तो आपका और सदन का अधिकार है लेकिन अगर किसी अधिकारी के ऊपर कोई ऐसा लांछन लगाये और उसकी इन्क्वायरी हो और इन्क्वायरी के बाद कुछ बात निकले नहीं तो फिर उस आदमी की कार्य क्षमता कम होती है क्योंकि यह तो एक ऐसी जगह है जहां से सारी बातें प्रसारित होती हैं। अगर माननीय सदस्य समझते हैं कि इस अधिकारी के बड़े भाई चेयरमैन रेवेन्यू बोर्ड हैं तो मैं इस प्रश्न पर भी विचार करने के लिये उद्यत हूं कि कोई डिस्ट्रिक्ट जज या और कोई इन्क्वायरी कर लें। मुझे इसमें किसी को बचाने की आवश्यकता नहीं है। मैं यह बताना चाहता हूं कि एक बात तो तय ही है कि उस अधिकारी ने स्वतः स्वीकार कर लिया है कि वह एक जगह से शराब पी कर आये थे। मैंने उससे सवाल पूछा और कहा था कि जब मैंने अभी आदेश दिये थे और सारे अधिकारियों को सम्बोधित किया था कि कोई भी अधिकारी पब्लिक प्लेस पर शराब नहीं पियेगा, वह किसी क्लब में शराब पीने क्यों गये थे, तो जब यह बात उन्होंने स्वीकार कर ली और हमारे अधिकारियों ने भी बताया कि इतनी ही बात थी तो उनका इतना ही कसूर मेरे निर्णय के अनुसार उन्हें स्थानान्तरित करने के लिये काफी था। मैंने यह कहा था कि अगर कोई भी अधिकारी पब्लिक प्लेस पर शराब पीते पकड़ा जायगा तो मैं ऐसे अधिकारी के खिलाफ अवश्य कोई न कोई हस्तक्षेप करूंगा, किसी को ट्रांसफर करूंगा किसी को और सजा दूंगा।

दूसरी बात जिसको वह चैलेन्ज करता था वह एक ऐसी नाजुक बात थी कि जब तक वह साबित न हो जाय और बिना उसे मौका दिये हुए मैं उसे ऐसे ही स्वीकार कर लूं तो यह एक अनुचित कार्यवाही होगी और इस तरह से अधिकारियों के बीच में एक बड़ा डिमारेलाइजेशन पैदा होगा। इसलिये मैं ऐसा समझता हूं कि अगर सदन यह चाहता है, जैसा कि अभी कहा गया, कि जुडिशल इन्क्वायरी हो तो मुझे कोई बचाने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी अधिकारी ने गलती की है तो अवश्य उसकी जांच हो लेकिन उसके पहले ही सदन में ऐसी बात कर देना कि बाद में वह छूट जाय और छूटकर उसकी कार्यक्षमता खत्म हो जाय तो यह दूरदर्शिता की बात मैं नहीं मानता।

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, आपने इजाजत दी थी कि घंटे भर तक इस पर बहस होगी, तो वह बहस होगी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

आप चाहते हैं तो होगी।

श्री चरणसिंह—

उसी वक्त ये सब बातें हो जायेंगी।

श्री अध्यक्ष—

लेकिन शान्ति से होंगी।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

श्रीमन्, अभी अभी जो विरोधी दल के नेता बोल रहे थे वे गुस्से में बोल रहे थे या शान्ति में बोल रहे थे ? (हंसी)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मुझे उम्मीद है कि गुप्ता जी शान्तमय बने रहेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बहुत अच्छा वातावरण लाये हैं, इसके लिये मैं आप सब को धन्यवाद देता हूं ।

इलाहाबाद में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कौन्सिल फौजदारी की नियुक्ति

**२—श्री श्याम सूरत (जिला इलाहाबाद)—

क्या न्याय मंत्री बतायेंगे कि जिला इलाहाबाद में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कौंसिल फौजदारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में इलाहाबाद जिला के कई जजों के नाम के जाली प्रमाण पत्र तथा जिलाधीश व अतिरिक्त जिलाधीश, इलाहाबाद के जाली प्रमाण-पत्रों के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट सचिवालय की पत्रावली से गायब है ?

न्याय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

जी नहीं ।

**३—श्री श्याम सूरत—

क्या न्यय मन्त्री यह भी बतायेंगे कि जिला इलाहन्बाद के डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कौंसिल फौजदारी का स्थान दो वर्षों से क्यों रिक्त है ?

श्री स्वामीप्रसाद सिंह—

इलाहाबाद में डी० जी० सी० (फौजदारी) का पद दिनांक २६ मई, १९६७ को रिक्त हुआ । उस पद पर नियुक्ति के लिये नियमानुसार जिलाधिकारियों की संस्तुति दिनांक ८ अक्टूबर, १९६७ को प्राप्त हुई । नियमानुसार सभी अभ्यर्थियों को चयन समिति के समक्ष साक्षातकार के लिये दिनांक २६ जुलाई, १९६८ को बुलाया गया । इससे पूर्व चयन समिति की बैठक नहीं हो सकी थी । चयन समिति ने किसी अभ्यर्थी को इस नियुक्ति के योग्य नहीं पाया तथा संस्तुति की जिलाधिकारी से कहा जाय कि वे किसी वरिष्ठ एवं सुयोग्य वकील के, जो उक्त नियुक्ति के लिये तैयार हो, नाम की संस्तुति करें । तदनुसार जिलाधिकारी को दिनांक ११ अक्टूबर, १९६८ को कहा गया । इस दिशा में जिलाधिकारी द्वारा किये गये प्रयत्न सफल नहीं हुये और इसकी सूचना जिलाधिकारी ने अपने १६ जून, १९६९ के पत्र द्वारा दी । अब महाधिवक्ता से दिनांक १८ जुलाई, १९६९ को अनुरोध किया गया है कि वे किसी वरिष्ठ एवं सुयोग्य वकील के नाम की सस्तुति करें । महाधिवक्ता की संस्तुति की प्रतीक्षा की जा रही है । इस बीच श्री एस० पी० मालवीय, ए० डी० जी० सी० (क्रिमिनल) को अस्थायी रूप से डी० जी० सी० (फौजदारी) का कार्यभार दे दिया गया है ।

सरेनी ब्लाक में सब-पोस्टमास्टर की पिटाई

**४—श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि २० जुलाई, १९६९ से २९ जुलाई, १९६९ के मध्य में जन पद, रायबरेली के अन्तर्गत ब्लाक सरेनी के डाकखाने के पोस्टमैन को जो हरिजन है कुछ गुन्डों ने उसके घर से पकड़ कर बुरी तरह से पीटा जो कि हास्पिटल में भर्ती है और डाकखाना बन्द है, क्योंकि वहां कोई जाने को तैयार नहीं है ?

नोट—अल्प सूचित तारांकित प्रश्न १ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

उपलब्ध सूचना के अनुसार दिनांक २०–७–६९ से २९–७–६९ के मध्य में जिला राय बरेली के अन्तर्गत ब्लाक सरेनी के डाकखाने के पोस्टमैन को तो नहीं बल्कि दिनांक २३–७–६९ को सब-पोस्ट मास्टर को अमुक व्यक्तियों ने मारा पीटा और चोटें पहुंचाई। वह अस्पताल में भर्ती नहीं है। डाकखाना बन्द नहीं है।

**५—श्री गुप्तार सिंह—

क्या यह सही है कि उपरोक्त मारने वाले गुन्डों में ब्लाक के दो कर्मचारी भी शामिल हैं? यदि हां, तो उनका चालान हुआ या नहीं?

[श्री चन्द्रभानु गुप्त—

थाने में लिखाई गई रिपोर्ट के अनुसार घटना स्थल पर दो ब्लाक के कर्मचारियों की उपस्थिति का तो उल्लेख है, परन्तु इस मारपीट में उनके भाग लेने की कोई शिकायत नहीं है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

कताई-बुनाई सिखाने वाले अध्यापकों की प्रशिक्षण व्यवस्था

*१—श्री हिम्मत सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गैर सरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिये निर्धारित मिनिमम क्वालिफिकेशन्स फार टीचर्स कलेंडर १९५८–६० में पृष्ठ ७९ पर लिखित धारा ३० के अधीन इन्टरमीडियेट कक्षाओं तथा हाई स्कूल कक्षाओं को कताई-बुनाई पढ़ाने के लिये निर्धारित योग्यता में अंकित नोट में जिस कोर्स का उल्लेख किया गया है उसकी पढ़ाई उत्तर प्रदेश में कहां होगी?

शिक्षा मंत्री (श्री रामजी लाल सहायक)—

पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षार्थियों के आवेदन प्राप्त होने पर रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है।

जूनियर हाई स्कूल, जाफरपुर, के अध्यापक का शिकायती पत्र

*२—श्री दलसिंगार (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २० जनवरी, १९६९ को जूनियर हाई स्कूल जाफरपुर, जिला आजमगढ़ के कितने अध्यापकों ने शिक्षाधिकारी, जिला परिषद आजमगढ़ के यहां लिखित शिकायती आवेदन पत्र कुछ सरकारी शिक्षा निरीक्षकों के विरुद्ध दिया था? यदि हां, तो उस पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री रामजीलाल सहायक—

जूनियर हाई स्कूल जाफरपुर जिला आजमगढ़ के एक अध्यापक ने शिक्षा अधिकारी जिला परिषद् आजमगढ़ के यहां केवल एक सरकारी प्रति उप विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध २० जनवरी, १९६९ को लिखित शिकायती आवेदन पत्र दिया था। शिकायत पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४४९–४५० पर)

*३—श्री दल सिंगार—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शिकायती पत्र की जांच कब और किस अधिकारी द्वारा कराई गई तथा किन किन व्यक्तियों का साक्ष्य लिया गया तथा परिणाम क्या निकला?

श्री रामजी लाल सहायक—

शिकायती पत्र की जांच विद्यालय उप-निरीक्षक, आजमगढ़ के माध्यम से ५ जुलाई, १९६९ को तथा सह जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ द्वारा २१ जुलाई, १९६९ तथा २२ जुलाई, १९६९ को कराई गई।

निम्नलिखित व्यक्तियों के साक्ष्य लिये गये।

आरोप निराधार निकले।

व्यक्तियों के नाम

सर्वश्री—

१—विन्द्रा पाठक, प्रधानाध्यापक, जूनियर हाई स्कूल, जाफरपुर
२—कल्पनाथ चतुर्वेदी, सहायक अध्यापक, जाफरपर
३—कबीर अहमद, काष्ठ कला अध्यापक, जाफरपुर
४—द्वारिका प्रसाद, सहायक अध्यापक, जाफरपुर
५—उदय राय, सहायक अध्यापक, जाफरपुर
६—परमहंस सिंह, सहायक अध्यापक, जाफरपुर
७—हरिवंश पांडेय, सहायक अध्यापक, जाफरपुर
८—हरदेव पाठक, सहायक अध्यापक, जाफरपुर
९—विशुन कुमार श्रीवास्तव, प्रसार अध्यापक, जाफरपुर।

उपशिक्षा निदेशक, बरेली, के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

*४—श्री राजेन्द्रकुमार शर्मा (जिला रामपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १७ मार्च, १९६९ को कुछ विधायकों ने उप शिक्षा निदेशक, द्वितीय मंडल, बरेली के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत की है ? यदि हां, तो विभाग उस पर क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां, कथित शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी जांच कराई गई। जांच आख्या आ गई है और उस पर विचार किया जा रहा है।

जातीयता के आधार पर शिक्षा संस्थाओं के प्रधान

*५— श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में ऐसी कितनी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थायें हैं जिनकी नियमावली में उल्लेख किया गया है कि अमुक जाति के व्यक्ति ही उस शिक्षा संस्था के प्रधान हो सकते हैं ?

श्री रामजी लाल सहायक—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*६—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि सरकार इस प्रकार की संकुचित मनोवृत्ति को समाप्त करने की कार्यवाही करने की इच्छा रखती है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

अभी प्रश्न नहीं उठता।

रूरा मार्केटिंग सोसाइटी में घाटा

*७—श्री रामपाल सिंह (जिला कानपुर)—

क्या सहकारिता मंत्री बतायेंगे कि कानपुर जिले की रूरा मारकेटिंग सोसायटी घाटे पर चल रही है ? यदि हां, तो कितना घाटा है और उसका क्या कारण है ?

सहकारिता मंत्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)--

समिति की वर्ष १९६७-६८ को बैलेंस शीट के अनुसार ३०-६-६८ तक १,२५,०४५.३८ रुपया का घाटा हुआ। घाटा मुख्यतः सोसायटी द्वारा सीधी खरीद की वस्तुओं के दाम गिरने के कारण हुआ।

[८ अगस्त, १९६९ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

माध्यमिक विद्यालय पूरे त्रिलोकी केन्द्र पर कृषि प्रायोगिक परीक्षा

*१--श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि जिला बाराबंकी में बनीकोडर क्षेत्र के अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालय पूरे त्रिलोकी केन्द्र पर उस क्षेत्र के प्रति उप विद्यालय निरीक्षक ७-४-६९ को कृषि प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न कराने में असमर्थ रहे ?

*२--क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त प्रति उप विद्यालय निरीक्षक ने उपर्युक्त परीक्षा न करा सकने के कारण बताते हुये एक सूचना दिनांक ९-४-६९ को विद्यालय निरीक्षक बाराबंकी को दी ? यदि हां, तो क्या उस पर कोई कार्यवाही की गई और यदि नहीं तो क्यों ?

श्री रामजी लाल सहायक--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

वैश्य डिग्री कालेज, शामली में गबन की शिकायत

*३--श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या १९६७-६८ में वैश्य डिग्री कालिज, शामली, जिला मुजफ्फरनगर के हिसाब में गबन और गम्भीर अनियमितताओं की शिकायतों पर सरकार ने कोई स्पेशल आडिट कराया था ?

श्री रामजी लाल सहायक--

जी हां।

*४--श्री वीरेन्द्र वर्मा--

यदि हां, तो उक्त स्पेशल आडिट में क्या खास-खास अनियमिततायें बताई गईं और उन्हें दूर कराने के लिये अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि कोई नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री रामजी लाल सहायक--

सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है। इस पर कार्यवाही स्थगित रक्खी गई क्योंकि विद्यालय को सम्बद्धता से वंचित करने के प्रश्न पर विचार आरम्भ हो गया था।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४५१-४५२ पर)

प्री-ग्रान्ट इन-एड लिस्ट में बांदा जिले का माध्यमिक विद्यालय

*५--श्री दुर्जन (जिला बांदा)--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले के कितने उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को १९६८-६० में सरकार द्वारा प्री-ग्रांट-इन-एड लिस्ट में शामिल किया गया है ?

श्री राम जी लाल सहायक--

केवल एक विद्यालय को ।

हरिजन पाठशाला निवादा में छात्रों पर अत्याचार की शिकायत

*६--श्री दुर्जन--

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले के ब्लाक नरैनी के ग्राम निवादा के हरिजन प्राइमरी पाठशाला के निर्माण में की गई धांधली की शिकायत जिला परिषद अध्यक्ष बांदा के पास दिनांक ३-६-६९ को भेजी गई ? क्या उसमें हरिजन छात्रों के प्रति किये जा रहे अत्याचारों का भी वर्णन है ? यदि हां, तो उसके निराकरण के लिए क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी स्वयं कोई कार्यवाही करेंगे ।

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती विद्यावती राठौर)--

जी नहीं ।

अन्य प्रश्न नहीं उठते।

महिला दीक्षा विद्यालयों में छात्रावास निरीक्षिकाओं की सेवा नियमावली

*७--श्री कन्हैया लाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)--

क्या सरकार बतायेगी कि राजकीय महिला दीक्षा विद्यालय में कार्य कर रही छात्रा निरीक्षकों के लिये कोई सेवा नियमावली बनी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार सेवा नियमावली शीघ्र तैयार करायेगी ?

श्री रामजी लाल सहायक--

अभी तक कोई सेवा नियमावली नहीं है, परन्तु राजकीय शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों/अध्यापिकाओं के सेवा नियमों के साथ इनके नियम बन रहे हैं ।

शिक्षा निदेशालय में आशुलिपिक

*८--श्री कन्हैया लाल सोनकर--

क्या सरकार बतलायेगी कि शिक्षा निदेशालय में उच्च अधिकारियों के साथ जो आशुलिपिक गत कई वर्ष से कार्य कर रहे हैं, उन्हें रूटीन क्लर्क का वेतन क्यों दिया जा रहा है ? क्या यह सही है कि आशुलिपिकों का वेतन उन लोगों को दिया जा रहा है जो इसके अधिकारी नहीं हैं ? क्या सरकार इस प्रकार के आशुलिपिकों की संख्या बतलायेगी और यदि यह आरोप सत्य है तो इस मामले में सरकार क्या कर रही है ?

श्री रामजी लाल सहायक--

शिक्षा निदेशालय के लिये २० आशुलिपिकों के पद स्वीकृत हैं और उन पर कार्य करने वाले सभी आशुलिपिकों को उस पद का वेतन दिया जाता है ।

किसी अनधिकारी व्यक्ति को आशुलिपिक के पद का वेतन नहीं दिया जा रहा है ।

क्योंकि आरोप सत्य नहीं है, किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

अनुसूचित जन जातियों के कल्याणार्थ योजनायें

*९--श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)--

क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितनी आदिम जातियों की सूची केन्द्रीय सरकार के पास मान्यता प्राप्त करने हेतु भेजी है तथा कब ?

श्रीमती विद्यावती राठौर--

सन् १९५६ से १९६५ के बीच राज्य सरकार ने समय-समय पर २३ जातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिये संस्तुति की थी, जिनमें से ५ को जून, १९६७ में घोषित किया गया। तदुपरान्त शेष १८ जातियों में से १५ जातियों के संबंध में जून १५, १९६८ को पुनः संस्तुति भेजी गई।

*१०--श्री रामप्यारे--

क्या यह सही है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में इनके विकास के लिये विशेष योजनायें तैयार की गयी है ? यदि हां, तो योजनायें कौन-कौन सी हैं ?

श्रीमती विद्यावती राठौर--

जी हां।

योजनाओं की तालिका संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४५३ पर)

*११--श्री कन्हैया लाल सोनकर--

[४थे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

राजकीय बालिका इण्टर कालेज, बलिया, में स्थानाभाव

*१२--श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय बालिका इंटर कालेज, बलिया के भवन का कितना हिस्सा कब-कब राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय, बलिया को दिया गया ?

श्री रामजी लाल सहायक--

दो कमरे, छात्रवास, प्रधानाचार्या का आवास एक, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का एक आवास गृह--२४ अप्रल, १९६३ को और हाल, एक कमरा तथा चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का एक और आवास गृह १७ अगस्त, १९६८ को।

*१३--श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त व्यवस्था से उक्त इंटर कालेज के कितन कक्षाओं क वर्ग की लड़कियों न १९६८-६९ के सत्र में कमरों के अभाव में बाहर या ओसारा में बठकर शिक्षा ग्रहण की ?

श्री रामजी लाल सहायक--

१९६८-६९ में एक कक्षा के दो वर्ग की पढ़ाई ओसारे में की गई तथा एक कक्षा तथा कुछ ऐच्छिक विषयों की पढ़ाई बाहर की गई।

सहकारी सूती मिल, बुलन्दशहर, के मन्त्री पर व्यय

*१४--श्री मुमताज मोहम्मद खां--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बुलन्दशहर की सहकारी सूती मिल जिसका प्रशासन निबन्धक, सहकारी समिति, उत्तर प्रदेश के हाथ में है, के मंत्री ने १ जनवरी, १९६९ से ३० जून, १९६९ तक कितनी बार बुलन्दशहर से लखनऊ का दौरा किया तथा किन-किन कामों से किया तथा उनके ऊपर यात्रा भत्ते में कुल कितना धन सूती मिल का व्यय हुआ ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव---

१ जनवरी, १९६९ से तथा ३० जून, १९६९ तक मिल के मंत्री आठ बार बुलन्दशहर से लखनऊ आये। प्रत्येक बार वे मिल के कार्य से लखनऊ आये तथा उनकी इन यात्राओं पर मिल का रु० १८९८-६५ पैसे खर्च हुये।

*१५-श्री मुमताज मोहम्मद खां---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मंत्री, सहकारी सूती मिल, बुलन्दशहर मिल से कितना किराया प्रतिमास मकान का चार्ज करते हैं तथा कितना किराया वह एलाटेड मकान का देते हैं ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव---

मिल के मंत्री ने मिल से कोई मकान का किराया नहीं लिया है। १९-५-६९ तक वे एक मित्र के साथ रह रहे थे और २०-५-६९ से मित्र के तबादला हो जाने पर मकान अपने नाम में एलाट करा लिया है, उसके नियंत्रित किराये के बारे में रेंट कंट्रोलर से पूछा गया है। जो किराया निर्धारित होगा उसे २०-५-६९ से मिल को देना पड़ेगा। यह मकान अब मिल के ही नाम एलाट करा दिया गया है। जिस से मिल जिस अधिकारी को देना चाहे द सके या और किसी कार्य में उपयोग करें।

प्राथमिक शिक्षा योजना

*१६---श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)---

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ६ से ११ वर्ष तक की आयु वाले बालकों की प्राथमिक शिक्षा देने की कोई सरकारी योजना है ?

श्री रामजी लाल सहायक---

जी हां।

*१७-श्री जगदीश गांधी---

यदि हां, तो क्या सरकार इन बालकों के लिये दोपहर को निःशुल्क भोजन की भी व्यवस्था करेगी ?

श्री रामजी लाल सहायक---

जी नहीं।

श्री हशमत हुसैन उसमानी, उप शिक्षा निदेशक, बरेली, के विरुद्ध जांच

*१८---श्री केशोराम (जिला बरेली)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपशिक्षा निदेशक, तृतीय मंडल, बरेली, के भ्रष्टाचार से संबंधित कितनी शिकायतें हाल में मिली हैं और उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री रामजी लाल सहायक---

पांच।

शिकायतों की जांच अतिरिक्त शिक्षा निदेशक द्वारा की गई। उनकी जांच आख्या प्राप्त हो गई है जो शासन के विचाराधीन है।

*१९—श्री केशोराम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक ३० अप्रैल, १९६९ को उपशिक्षा निदेशक, बरेली ने अपनी उपस्थिति इलाहाबाद में दिखाकर विभाग से उस दिन का डी०ए० चार्ज किया है। जब कि इस तारीख हो यह लखनऊ सचिवालय में मौजूद थे और इनका प्रवेश-पास बना है ? यदि यह सत्य है तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री रामजीलाल सहायक—

श्री हशमत हुसैन उसमानी, उप शिक्षा निदेशक, बरेली, ने दिनांक ३० अप्रैल, १९६९ को अपनी उपस्थिति इलाहाबाद में दिखाकर डी०ए० चार्ज नहीं किया।

जिला परिषद्, सुल्तानपुर, के अध्यापकों की पदोन्नति

*२०—श्री प्रियदर्शी जेटली—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद, सुल्तानपुर जिला परिषद् के प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों में अध्यापकों को ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति नहीं दी गई है जिसकी शिकायतें प्रभावित अध्यापकों द्वारा एजूकेशन रूल १२ के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन को दिनांक १८ नवम्बर, १९६४, २६ जुलाई, १९६५, १ जून, १९६७, १३ सितम्बर, १९६७, तथा २५ अप्रैल, १९६८ को भेजी है उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामजीलाल सहायक—

जिला परिषद्, सुल्तानपुर में प्राइमरी अथवा जूनियर हाई स्कूलों के सहायक अध्यापकों की प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति ज्येष्ठता के आधार पर की गई है।

केवल एक श्री राम अजोर पाण्डे सहायक अध्यापक, जूनियर हाई स्कूल, कूड़ेभार, जिला परिषद्, सुल्तानपुर का प्रार्थना पत्र दिनांक ९-४-१९६८ को प्राप्त हुआ था। उन्हें आवश्यक उत्तर २-७-१९६९ को भेजा जा चुका है।

जिला परिषद्, फर्रुखाबाद, के कथित निलम्बित अध्यापक

*२१—श्री कृष्णस्वरूप—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, फर्रुखाबाद के प्राइमरी विद्यालयों के कितने ऐसे प्रधानाचार्य हैं जो १९६६ से निलम्बित चले आ रहे हैं और अब तक उनको कोई भत्ता या वेतन नहीं दिया गया है ?

श्री रामजीलाल सहायक—

ऐसा कोई प्रधानाचार्य नहीं है।

*२२—श्री कृष्णस्वरूप—

क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इतनी लम्बी अवधि तक उन अध्यापकों के बारे में निर्णय न होने तथा निर्वाह भत्ता न दिये जाने के क्या कारण हैं तथा अब तक का निर्वाह भत्ता अब तक दे दिया जायेगा ?

श्री रामजीलाल सहायक—

प्रश्न नहीं उठता।

*२३—२४—श्री गंगाप्रसाद—

[४थे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

गोरखपुर जिले के सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) का वेतन

*२५--श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि गोरखपुर जिले में १ नवम्बर, १९६८ से ३१ दिसम्बर, १९६८ तक का कितने सहायक विकास अधिकारी सहकारिता का वेतन बाकी है, और वेतन न मिलने का क्या कारण है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

गोरखपुर जनपद में १ नवम्बर, १९६८ से ३१ दिसम्बर, १९६८ तक का किसी भी सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) का वेतन देना बाकी नहीं है।

अतारांकित प्रश्न

मैनेजिंग डाइरेक्टर व उपाध्यक्ष, सहकारी बैंक, फतेहपुर, का भत्ता

१--श्री पन्नालाल--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक, फतेहपुर, की वार्षिक जनरल मीटिंग पिछली बार कब बुलाई गयी और आगामी मीटिंग कब बुलाई जायगी ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

फतेहपुर जिला सहकारी बैंक लि०, फतेहपुर, की पिछली वार्षिक बैठक १० जनवरी, १९६५ को हुई थी।

आगामी बैठक की कोई तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है। पर उत्तर प्रदेश सहकारी अधिनियम, १९६५ तथा उत्तर प्रदेश सरकारी समिति नियमावली, १९६८ के प्राविधानों के अनुसार समिति की नई उपविधियों का निबंधन हो चुका है जिसकी सूचना बैंक को ५-७-१९६९ को प्राप्त हो चुकी है नियमानुसार निबंधन की तिथि से ९० दिन के अन्दर वार्षिक अधिवेशन हो जाना चाहिए।

२--श्री पन्नालाल--

क्या सरकार बतायेगी कि जब से मौजूदा मैनेजिंग डाइरेक्टर व उपाध्यक्ष सहकारी बैंक, फतेहपुर के चुने गये हैं उनका टी० ए० व डी० ए० हर साल कितना लिया गया जिससे बैंक की आर्थिक स्थिति में क्या असर हुआ, इसकी तालिका मेज पर रखने की कृपा करेंगी ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४५४ पर)

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय गैर शिक्षक कर्मचारी संघ द्वारा ९ अगस्त, १९६९ से हड़ताल की घोषणा के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--

अब उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय गैर शिक्षक कर्मचारी संघ द्वारा ९ अगस्त, १९६९ से हड़ताल की घोषणा के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री का वक्तव्य होगा। साथ ही मैं चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री माध्यमिक विद्यालयों के गैरशिक्षक कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी कुछ जिक्र कर दें तो अच्छा ही होगा।

एक सदस्य--

वक्तव्य की कापी दिलवा दें।

एक अन्य सदस्य---

वक्तव्य की कापी किसी-किसी को मिल जाती है, सबको उसकी कापी मिलनी चाहिये, इसकी आप व्यवस्था करा दें।

श्री अध्यक्ष--

जिन्होंने यह प्रश्न उपस्थित किया है उनको हम कापी दिला चुके हैं। लेकिन सबको कापी देने लगें तो बड़ा मुश्किल होगा। सबको कापी नहीं मिलती है, माननीय शिक्षा मंत्री उसे पढ़ कर सुना दें।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

विधान परिषद् में तो हर एक सदस्य को कापी मिलती है। इसमें तो बहुत आसानी है कि साइक्लोस्टाल करा कर सबको दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

वहां बहुत कम सदस्य हैं।

शिक्षा मंत्री (श्री रामजीलाल सहायक)--

सम्भवतः उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय गैर शिक्षक कर्मचारी संघ ने ९ अगस्त, १९६९ से हड़ताल करने की धमकी दी है। विश्वविद्यालयों से अभी तक इस सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। समाचार पत्र पायनियर दिनांक ६-८-६८ के आधार पर लखनऊ विश्वविद्यालय के गैर शिक्षक कर्मचारियों की मांगे जो विदित हुई हैं निम्नवत हैं :--

पाइनियर, दिनांक ६-८-६९

(१) राज्य कर्मचारियों के समान दर से मंहगाई भत्ता स्वीकार करना।

(२) अप्रैल १, १९६७ से कुछ कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता मिलना चाहिये था लेकिन वह नहीं मिला।

(३) संशोधित मंहगाई भत्ता वर्क चार्ज स्टाफ को भी दिया जाय।

(४) कर्मचारी अप्रैल १, १९६७, से जो वेतन पा रहे थे उसका सुरक्षित रखना।

२---मांगों के सम्बन्ध में स्थिति क्रमानुसार इस प्रकार है:-

(१) शासन ने यह निर्णय लिया है इन कर्मचारियों को जुलाई १, १९६९ से उसी दर पर मंहगाई भत्ता स्वीकृत किया जाय जो राज्य कर्मचारियों को जनवरी १, १९६९, से पहले मिलता था। यही मंहगाई भत्ता अपने सीमित आर्थिक साधनों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय, डिग्री कालेजों तथा माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के लिये भी स्वीकृत हुआ है। यदि इन कर्मचारियों की यह मांग मान ली जाय कि १-१-१९६९ से राज्य कर्मचारियों को देय भत्ता इन्हें दे दिया जाय तो इस प्रकार सभी विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेजों के गैर शिक्षक कर्मचारियों के ऊपर ७ लाख रु० वार्षिक अतिरिक्त व्यय होने का अनुमान है और यदि सभी वर्गों के शिक्षक भी यही मांग करें तो अतिरिक्त व्यय वार्षिक इस प्रकार होगा :--

		लाख रु०
(१)	विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेजों के शिक्षक ..	८
(२)	माध्यमिक संस्थाओं के शिक्षक	५५
(३)	प्राइमरी स्कूलों के शिक्षक	५०
(४)	माध्यमिक संस्थाओं के गैर शिक्षक कर्मचारी ..	२१
	योग ..	१,३४,००,०००
	विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेजों के गैर शिक्षक कर्मचारी ..	७,००,०००
	कुल योग ..	१,४१,००,०००

राज्य सरकार के लिये इतनी बड़ी धनराशि का अतिरिक्त व्यय अपने ऊपर ले लेना स्पष्टतया सम्भव न होगा।

(२) इस प्रकार की विषमताओं के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय से पत्र आया था और उस को कुछ जिज्ञासा अर्ध शासकीय प० सं० सी/७०७४/पन्द्रह-३४ (३०) ६८ दिनांक २५ सितम्बर, १९६८, द्वारा की गई थी किन्तु स्मरण पत्र देने पर भी इनका पत्रोत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर निर्णय लिया जा सकेगा।

(३) वर्क चार्ज (दैनिक कार्य करने वाले) कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता स्वीकार करना सम्भव नहीं है।

(४) बेसिक वेतन का संरक्षण प्रदान करना--

विश्वविद्यालय ने बिना शासन की सहमति लिये अपने कर्मचारियों के वेतन मान १-४-१९६६ से स्वयं संशोधित कर दिये थे, यह वेतन क्रम शासन द्वारा संशोधित वेतन क्रमों से ऊंचे हैं। विश्वविद्यालय के कर्मचारी यह चाहते हैं कि इन वेतन क्रमों पर उनको जितना बेसिक वेतन मिल रहा था उसी के ऊपर शासन द्वारा संशोधित वेतन क्रम में उनका वेतन निर्धारित किया जाय। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि स्वयं विश्वविद्यालय द्वारा संशोधित वेतन मानों पर शासन सहमति प्रदान करे। यदि इस मांग को किसी प्रकार स्वीकृत किया जाय तो इससे शासन पर कितना अतिरिक्त व्यय भार पड़ेगा इसकी गणना की जा रही है। शासन कर्मचारियों की इस मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर रहा है और शीघ्र ही समुचित आदेश जारी करने का विचार करता है।

श्री अध्यक्ष--

मैंने बोरा जी से कहा था कि आज सबेरे सिर्फ वक्तव्य हो जायगा। अब इस पर प्रश्न शाम को हो जायेंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

माध्यमिक विद्यालयों के जो गैर शिक्षक कर्मचारी हैं, उनके बारे में वक्तव्य की कापी अगर हमें मिल जाय तो इन दोनों विषयों पर इकटठे ही प्रश्न हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष--

जी, वह तो इस समय मिल नहीं सकता।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

आज नहीं तो सोमवार को उसको दिलवा दीजिये।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)--

श्रीमन्, यह तो बहुत जरूरी है, उनकी तो हड़ताल ही शुरू हो गयी है।

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)--

श्रीमन्, इस वक्तव्य की कापी आप हमें माननीय मंत्रीजी से दिलवा दें जिससे पूरे वक्तव्य को स्टडी किया जा सके।

श्री अध्यक्ष--

दो चार कापी करा दूंगा। (शिक्षा मंत्री) से इसकी कापी आप करा दें अथवा मेरे पास उसकी एक कापी भेज दें, मैं करा दूंगा। जब केवल वक्तव्य देना होता है, तब कापी नहीं आतीं। नियम ५१ में तो कापी आ जाती हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

आप कृपया समय तय कर दें कि उस पर चर्चा कब होगी। आज वे लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष--

आज ही शाम को इस पर थोड़ी चर्चा हो जायगी।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)--

यह चर्चा माध्यमिक विद्यालय के कर्मचारियों के बारे में होगी या लखनऊ विश्वविद्यालय कर्मचारियों के बारे में ?

श्री अध्यक्ष--

दोनों पर थोड़ी-थोड़ी हो जायगी।

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)--

इसके लिये समय कोई निर्धारित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

५ बजे तक बजट हो जायगा। उसके बाद नियम ५१ का एक प्रश्न गाजियाबाद के बारे में है, वह साढ़े पांच बजे तक होगा। साढ़े पांच बजे इसको ले लेंगे।

श्री नगीनासिंह (जिला बलिया)--

आपने बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के संबंध में वक्तव्य दिलाने के लिये कहा था, वह कब होगा ?

श्री अध्यक्ष--

मैंने इसके बारे में मंत्री जी से पूछा था। उनका जब उत्तर मेरे पास आ जायगा, तब मैं आप को बता दूंगा।

१९६९--७० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या २५--उद्योग, अनुदान संख्या ४१--लेखन सामग्री और मुद्रण तथा अनुदान संख्या ४७--औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय

उद्योग मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)--

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफ़ारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २५--उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ९,१९,८७,४०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफ़ारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४१--लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,५७,४०,७०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफ़ारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४७—औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ६,१०,५०,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। हमारी जो वर्तमान आय है वह ४५९ है और १९६०–६१ के भाव पर २५४ रुपये है। हमारा प्रयास कि अपनी खेती से या दूसरी तरह से हमारी आमदनी बढ़े, यह इसलिये सम्भव नहीं हो सकता कि हमारे यहां जो खेती की जमीन है ६ एकड़ प्रति व्यक्ति है। ६ एकड़ प्रति व्यक्ति जमीन पर कितनी ही अच्छी खेती करें फ़िर भी हमें दूसरे साधन देखने पड़ेंगे। इसलिये हमको उद्योगों की तरफ़ जाना पड़ेगा। पिछले दिनों में उद्योगों की तरफ़ बहुत कोशिश करने के बावजूद जितनी हम चाहते थे उतनी सफ़लता नहीं मिली। अब हमारा प्रयास है और मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब मिल कर प्रयास करें कि अपने प्रदेश की आमदनी को बढ़ाने के लिये हम अपने प्रदेश में उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ायें।

जब मैं यह कहता हूं तो मुझे यह आशा है कि छोटे उद्योग, हाथ के उद्योग, और मीडियम उद्योगों की तरफ़ ज्यादा ध्यान दिया जायेगा। बड़े-बड़े उद्योगों को भी लगाने की बात की जाय, लेकिन उनसे प्रति व्यक्ति ज्यादा आमदनी नहीं बढ़ती है जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार में हैं, पंजाब में ज्या ा नहीं हैं। मैं यह सोच कर आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूं और मैंने नारा भी लगाया है "उद्योग का नाम उत्तर प्रदेश" कि हम सब लोग मिल कर प्रयास करें कि हमारे प्रदेश में चारों तरफ़ छोटे बड़े उद्योग फ़ैल जायं और मैं कहना चाहता हूं कि हर माननीय सदस्य प्रयास करें कि अपनी कांस्टीट्युएंसी में कम से कम ५ उद्योग लगायेगा। जितनी सहायता की जरूरत होगी, चाहे भूमि के लिये, चाहे धन के लिये और टेक्नीकल सहायता के लिये, सब के लिये विभाग के लोग आपकी सहायता करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे प्रदेश में उद्योग नहीं है। कुछ नारा लगाते थे कि उद्योगों के मामले में हमारा प्रदेश बहुत पिछड़ा है। मैं इस बात को नहीं मानता हूं। जहां तक छोटे उद्योगों का सवाल है, चाहे पूर्वी जिले हों या पश्चिमी जिले हों, बहुत सी जगहों पर हैं जैसे मऊ, बनारस, फ़िरोजाबाद, आगरा और मुरादाबाद, वगैरह में ऐसे उद्योग हैं जिनकी हमारे देश में ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी ख्याति है। लेकिन ये उद्योग बहुत सीमित हैं। हम चाहते हैं कि जितने उद्यो ा हैं उनको हम चारों तरफ बढ़ाएं। मैं इस दिशा में माननी ा सदस्यों से सुझाव चाहूंगा। वैसे हमने जो सुविधायें दी हैं उसकी मैंने ३/४ कापियां बटवा दी हैं और कोई बात जानना चाहेंगे तो अपने उत्तर में उस बात को बता दूंगा।

आप की सुविधा के लिये तिलक हाल में हमने एक प्रदर्शनी दिखाई है जिसमें दिखाया है कि हम क्या कर सकते हैं। मेरा विश्वास है कि यदि आदरणीय सदन के सदस्य सहायता करेंगे तो हम आने वाले वर्षों में जो उद्योग के अन्दर रीजनल इम्बैलेंस है, उसे दूर कर सकेंगे। जैसे हमारे बुन्देलखण्ड में उद्योग नहीं लगे, पहाड़ में उद्योग नहीं लगे। बहुत से पिछड़े हुए जिले हैं, जहां उद्योग नहीं लगे। मैं ऐसी स्कीम बना रहा हूं कि हर कांस्टीटुएंसी में कोई न कोई उद्योग लगना चाहिये। अगर आप सहायता करेंगे तो हमारा विभाग उसमें मदद करेगा और हमारा प्रदेश उद्योग के रास्ते में आगे बढ़ेगा। आपके सुझावों के बाद मैं निवेदन करूंगा। मैंने तीन किताबें यहां बटवायी हैं अगर किसी माननीय सदस्य को न मिली हों तो मैं आपके पास भेजवा दूंगा। मैं आप से फिर दरख्वास्त करूंगा कि आप हमारी वह प्रदर्शनी देख लें।

*श्री मनोहर लाल (जिला कानपुर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उद्योग मंत्री ने जो अनुदान पेश किया है उसके सिलसिले में मैं कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं कि अनुदान संख्या २५, ४१ और ४७ के अधीन सौ-सौ रुपये की कटौती की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव इस प्रकार है--यह चर्चा करना कि जाजमऊ, कानपुर स्थित ३२ चमड़े की टेनरियों में लगभग १०,००० मजदूर कार्य करते हैं । मालिकों द्वारा नाजायज परेशान किये जाते हैं । निदेशक को शिकायतें होती हैं । ग्रेचुइटी, महंगाई बोनस तथा वार्षिक छुट्टियों नहीं मिलती हैं । फिर भी कोई कार्यवाही नहीं होती है । यह चर्चा करना कि हथकरघा उद्योग का विकास न हो कर उसे समाप्ति की ओर ले जाया जा रहा है । मिलों द्वारा निर्मित वस्तुओं के मुकाबले हथकरघा उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है जिससे कि उद्योग का विकास नहीं हो रहा है । उदाहरण के लिये दरी उद्योग ।

मेरा कहना यह है कि हमको आजाद हुए २२ साल हो चुके । उसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना बराबर हम लोगों के सामने आयी । जैसा कि उद्योग मंत्री ने आज बजट प्रस्तुत किया है, वैसे हर साल बजट प्रस्तुत होता रहा है लेकिन २२ साल के जो आंकड़े हैं वह यह कह रहे हैं कि ये बजट हम को रूढ़िवादिता की ओर ले जाते हैं, बड़े उद्योगों को बढ़ाने के लिये और छोटे उद्योगों को खत्म करने के लिये होते हैं । जैसे कृषि जिसका सीधा संबंध उत्पादन और उद्योग से है उस तरफ ध्यान न देकर बड़े-बड़े उद्योगों की तरफ ध्यान देते हैं, जिससे पूंजीपति के पास पहले एक मिल थी आज उसके पास दस मिलें हैं । किसी भी देश की तरक्की के लिये यह आवश्यक है कि अधिक से अधिक छोटे उद्योग धन्धों को, गृह उद्योगों को जिनमें हथकरघा भी आता है, बढ़ाएं । आजादी मिलने के २२ साल बाद भी उत्तर प्रदेश आज उद्योग धन्धों के मामले में कितना पिछड़ा हुआ है । आप देश के किसी भी प्रदेश को ले लीजिए, यह प्रदेश सभी प्रदेशों से उद्योग में पिछड़ा हुआ है ।

कृषि और उद्योग धन्धों का बहुत घनिष्ट संबंध होता है । उद्योगों के लिये कच्चे माल की आवश्यकता होती है । वह कृषि के द्वारा प्राप्त होता है । हमारी प्रदेशीय सरकार किस प्रकार से जो गरीब काश्तकार हैं उनकी जमीनों को लेकर उद्योग धन्धों को लगाने के लिए पूंजीपतियों को देती है, बहुत छोटा सा मुआविजा देने के बाद जो जमीन लेकर उनको देती है, वे दस-दस साल तक जमीन को छोड़ रखते हैं । अध्यक्ष महोदय, कानपुर में जैसी कि मंत्री जी की रिपोर्ट पेश की गई है २३० एकड़ भूमि एक्वायर की गई थी उद्योग धन्धों को चलाने के लिये । लेकिन, अध्यक्ष महोदय, हम आपको बतायें कि कानपुर के अन्दर जितनी जमीन एक्वायर की गई, उसमें पूंजीपतियों ने न तो श्रमिकों के मकान बनाये, न अन्य कोई उनकी सुविधाओं के हेतु प्रबन्ध किया । वहां पर रेयान वालों की एक मिल थी, लेकिन अध्यक्ष महोदय हम आपको बतायें कि उस में मिल तो करीब एक-दो एकड़ में बनी होगी, लेकिन उससे ज्यादा जमीन में वह खेती करा रहे हैं । क्या यह सरकार के लिये मुनासिब है कि किसी गरीब किसान से किसान लेकर उद्योगपतियों को दे दी जाए जो कि कारखाने न चलाकर उसमें खेती करें, यह कहां तक न्यायसंगत बात है ? यदि यह इसी तरह चलता रहा तो हमारे गरीब किसान जिनका मुख्य धन्धा खेती है, उनके साथ न्याय नहीं होगा । इस तरह से कैसे कृषि का उत्पादन पनपेगा और कैसे मिलों के हेतु उन्हें कच्चा माल मिल सकेगा ? जो किताबें उद्योग मंत्री द्वारा बांटी गई हैं उनके द्वारा मालूम होता है कि गाजियाबाद, लखनऊ व कानपुर आदि में ३,०२० एकड़ भूमि पूंजीपतियों के कारखानों के लिये एक्वायर की गई है, लेकिन हम यह जानना चाहेंगे कि यह जो जमीन है, पूरी जमीन डेवलप करके सरकार द्वारा उद्योगपतियों को दी गई क्या उसका सदुपयोग हुआ ? बजाये, उसमें कारखाने बनाने के वह उसमें खेती करा रहे हैं ।

आप देखें १९६७-६८ में १६ लाख ५५ हजार रुपये के पूंजीपतियों को लोन दिया गया और एक लाख ४६ हजार ५० रुपये का अनुदान दिया गया, तथा वर्ष १९६८-६९ में १३ लाख

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रुपये का कर्ज दिया गया तथा ४४ लाख ८९ हजार ९०७ रुपये का अनुदान दिया गया। इस प्रकार से हम उद्योग धन्धों को बढ़ाने के लिये इतनी बड़ी-बड़ी रकमें उद्योगपतियों को देते हैं, लेकिन क्या हमने इस पर कभी ध्यान दिया कि उसकी वापसी होती है या नहीं ? समय पर होती है या नहीं ?

हमारा कानपुर एक औद्योगिक नगर है, लेकिन कानपुर की जिस तरह से उपेक्षा की जा रही है, मैं समझता हूं कि यह प्रदेश के लिये शर्म की बात है। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो कारखानें उत्पादन के कारखाने हैं, अर्थात् जो उद्योग धन्धे उत्पादन की वस्तुयें पैदा करते हैं वह वास्तव में औद्योगिक कारखाने नहीं हैं। हमारे कानपुर की लगातर उपेक्षा की जा रही है। हमारे उद्योग इतने पीछे हैं कि चाहे वह हथकरघा उद्योग हों, चाहे कोई हों, मैं चाहता हूं कि यदि आप देश की प्रगति चाहते हैं, समाज की प्रगति चाहते हैं, प्रदेश की प्रगति चाहते हैं और गरीब काश्तकारों की प्रगति चाहते हैं तो हमको अच्छे ढंग के उद्योग धन्धे आगे बढ़ाने पड़ेंगे। जब तक हम उनको बढ़ाकर गरीब भाइयों और खेतिहर मजदूरों को रोजी नहीं देंगे तब तक हमारा प्रदेश पिछड़ा रहेगा। मैं चाहता हूं कि प्रदेश आगे बढ़े। हम सब जानते हैं कि किसी प्रदेश की तरक्की के लिये आवश्यक है कि कृषि की उन्नति के साथ-साथ उद्योग धन्धे तरक्की करें।

मंत्री जी ने बताया है कि उद्योग धन्धों में हम हथकरघा उद्योग में भी आगे बढ़ रहे हैं। श्रीमन्, आजमगढ़, आगरा, सीतापुर व कानपुर चार ऐसे प्रमुख नगर हैं जहां पर हथकरघा उद्योग चलता है और इसमें करीब ८-१० लाख हिन्दू मुसलमान भाई लगे हुए हैं। लेकिन हमारी प्रदेशीय सरकार ने उन हथकरघा उद्योगों पर बिक्री कर लगा दिया है जो की लागू नहीं था। हमारे हाथ की बनी दरियों की कीमत कम थी, लेकिन इस बिक्री कर के लगने से हाथ की बनी दरियों की कीमत बहुत ज्यादा हो गई है, जिसके कारण इतने लाखों मजदूरों की अब रोजी छिन रही है। दरी की उनको बहुत कम कीमत मिलती है और अधिक कीमत रखें तो कोई उसको खरीदने को तैयार नहीं होता है। हमारी प्रदेशीय सरकार ने दरी आदि पर बिक्री कर लगा कर इस उद्योग पर कुठाराघात किया है। अध्यक्ष महोदय, हम कहते हैं कि हमारे यहां हथकरघा उद्योग बढ़ रहा है और जो लोग उनमें लगे हुए हैं वह तरक्की कर रहे हैं।

एक तरफ़ हम यह कहते हैं कि यह उद्योग हमारे यहां तरक्की करे और दूसरी तरफ हम उनको सुविधाएं न देकर उन पर बिक्री कर लगा कर उनको तरक्की की ओर न ले जा कर पतन की ओर बढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं कि मंत्री महोदय इस पर ध्यान देंगे क्योंकि यह एक ऐसा सवाल नहीं है जो सिर्फ़ एक जिले--हमारे जिले से संबंधित हो। यह हथकरघा कई जिले में है और यह हजारों बुनकर भाइयों की जीविका का साधन है। हम चाहते हैं कि जहां पर एक तरफ आप हथकरघा उद्योग की उन्नति की बात करें वहीं पर आपको इस उद्योग में लगे हुए भाइयों की तरफ भी ध्यान देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बतलाऊं कि कानपुर में चमड़े की ३२ टेनरीज हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा चमड़ा उद्योग कानपुर में है, लेकिन मुझे अफसोस है जो किताब आपने बटवाई है उसमें आपने पढ़ा होगा कि हमारी प्रदेशीय सरकार ने कानपुर में एक निगम की स्थापना की थी। चमड़ा राजकीय अनुसंधान एवंम परीक्षण प्रयोगशाला, चर्म, कानपुर की स्थापना १९६१ में हुई थी लेकिन आज तक अध्यक्ष महोदय, वहां पर ११० चमड़ों का परीक्षण किया गया है। श्रीमन्, ११० चमड़ों का परीक्षण राजकीय अनुसंधान एवंम परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा किया गया है जब कि ३२ टेनरीज कानपुर में काम कर रही है और उनमें दस हजार मजदूर काम कर रहे हैं। श्रीमन्, इन टेनरीज में जो मजदूर भाई काम कर रहे हैं उनकी बड़ी ही करुण कहानी है और यह भी प्रदेश का एक अंग है। आशा है प्रदेशीय सरकार

[श्री मनोहर लाल]

उनकी उन्नति की ओर भी ध्यान देगी। आजकल उनको ३० रुपये और ६० रुपये के बीच में तनख्वाह मिलती है। न उनको वार्षिक छुट्टी मिलती है और न उनको बोनस और ग्रेचुएटी मिलती है। मालिकान इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सामन्तशाही के पुराने जमाने में श्रीमन्, आपने देखा होगा और सुना होगा और हम लोग जानते हैं कि किस तरह से गरीबों से बेगार ली जाती थी। बिलकुल वही नमूना आज चल रहा है। इन टेनरीज में काम करने वालों की आवास की समस्या का न कोई समाधान है और न उसकी तनख्वाह बढ़ाने पर किसी का ध्यान है। श्रीमन् इस संबंध में एक वेज बोर्ड बना था उसमें इनकी तनखाह बढ़ाने की बात कही गई थी लेकिन वह लागू नहीं की गई। हमारे इन १० हजार भाइयों पर आज कुठाराघात हो रहा है। यह बेचारे अपनी रोजी रोटी के लिये लड़ते हैं चाहे वह प्रदेश सरकार के कारखानों में काम करने वाले हों, चाहे खेतिहर मजदूर हों या कल कारखानों में काम करने वाले मजदूर हों उनकी आवास की समस्या का और महंगाई का हल होना चाहिए, उनको बोनस और ग्रेचुएटी भी देने की बात है। अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि हमारी प्रदेश सरकार चमड़ा उद्योग कानपुर में काम करने वाले मजदूरों की उन्नति के बारे में वेज बोर्ड बनाए या एक कमेटी बनाए जो टेनरीज में काम करने वालों की दिक्कतों को सुन कर फैसला दे सकें। हम चाहते हैं कि मंत्री महोदय इन बातों की तरफ़ ध्यान दें।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक अन्य उद्योगों की बात है, हम चाहते हैं जैसे कानपुर में बहुत से कपड़ा मिल हैं। उनके संबंध में प्रदेश सरकार कहती है कि श्रम के मामलों में यह वर्ष शांति का वर्ष रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहां लक्ष्मी रतन काटन मिल है, ऐलगिन मिल है, न्यू विक्टोरिया मिल है, वे अभी तक बन्द पड़े हुए हैं। उनके मालिकान तानाशाहों के रूप में काम ले रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, लक्ष्मी रतन काटन मिल का एक किस्सा मैं आपको बताऊं। वहां के मैनेजर अन स्किल्ड लेबरर्स से जो मशीन चलाना नहीं जानते हैं उनसे जबरदस्ती उस मशीन पर लगा कर काम ले रहे हैं। एक मजदूर का हाथ कट गया था फिर भी उसमें कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि यह अनस्किल्ड लेबर है और यहां परमानेंट नहीं है, काम करने वाला नहीं है।

इसी प्रकार जितने हमारे यहां मिल्स या कारखाने हैं वहां हम जानते हैं कि हमेशा कहीं पर हड़ताल हो रही है तो कहीं पर लाक आउट हो रहा है। अभी बनारस में साहू केमिकल्स के अन्दर लाक आउट हुआ है। एंटी बायोटिक्स, हरिद्वार, जो कारखाना २२ करोड़ की लागत से बना था उसमें आज सदन को मालूम होगा कुछ दिन पहले हड़ताल हुई थी। उससे हमारे प्रदेशीय सरकार की और जनता की कितनी क्षति हुई है? लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। यह नुकसान हमारे मासूम बच्चों और माताओं, विधवाओं का पेट काटकर दिया। टैक्स का पैसा है, फ़िर भी हम इतनी बड़ी क्षति को नजरन्दाज करते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं, कि प्रदेश की तरक्की हो, उद्योग धन्धे बढ़ें तो हम लोग जो यहां नुमाइन्दे हैं और मंत्री जी हैं वह यह देखें कि जो परिवार उद्योग धन्धों पर लगे हुए हैं उनके बच्चों की शिक्षा के लिये, उनकी आवास समस्या के सिलसिले में और उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई या उनकी चिकित्सा के सिलसिले में अधिक ध्यान दें।

श्रमिकों के रहने के लिये जो श्रमिक बस्तियां बनी हुई हैं उनकी दर्दनाक कहानी मैं उपस्थित करना चाहता हूं। चाहे वह बस्तियां कानपुर में हों या कहीं भी हों अगर हालत आप देखें तो पता चलेगा कि जो क्वार्टर्स बनाये जाते हैं हमारी प्रदेशीय सरकार की ओर से एक साल के अन्दर ही उनकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि उनकी छतें टपकती हैं, प्लास्टर गिर जाते हैं, बिजली का सामान रद्दी लगाया जाता है, उनमें सफाई और रोशनी का प्रबन्ध नहीं है, ऐसा मालूम होता है कि एक नरक से निकालकर उनको दूसरे नरक में बसा दिया गया है। कोई भी नागरिक उनमें रहना पसन्द नहीं करेगा लेकिन वे उसमें रहने के लिये मजबूर हैं। उनके

छोटे-छोटे बच्चों को देखिए, उनकी पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था नहीं है। इसकी जिम्मेदारी हमारी सरकार पर संविधान में दी हुई है कि जितने भी हमारे प्रदेश के नागरिक हैं उनके बच्चों के शिक्षा के सिलसिले में, उनके रहने, उनकी रोजी-रोटी की समस्या के सिलसिले में हमारा कर्त्तव्य है कि हम उनकी तरफ़ ध्यान दें। लेकिन जितने श्रमिक हैं उनके बच्चों की तरफ सरकार ने ध्यान कहां दिया है। उनको देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी के लिये उनका कांट्रेक्ट हो गया है कि वे बराबर श्रमिक बने रहेंगे, वे कभी आगे आ नहीं सकते। क्या यह मुमकिन नहीं है कि चाहे वे श्रमिक के बच्चे हों, चाहे विधायकों के बच्चे हों, चाहे मंत्रिगण के बच्चे हों उनके समान श्रमिकों के बच्चों को अधिकार है कि वे शिक्षा पावें ? क्या हम उनके भविष्य के बारे में गर्व के साथ कह सकते हैं कि वे उस देश के रहने वाले हैं जिसमें भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, भगवान राम ने जन्म लिया, जहां नालन्दा और तक्षशिक्षा जैसे विश्वविद्यालय बने थे? हम उस देश के रहने वाले हैं जहां देश के महान नेताओं ने जन्म लिया है लेकिन अगर आप देखें तो २२ साल पहले जो आजादी में नेता पैदा हुए थे वह महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल और जवाहर लाल या अन्य व्यक्ति उत्पन्न हुए जब हम गुलाम थे लेकिन गुलामी के बाद कौन से नेतृत्व आज उभर कर हमारे सामने आए हैं ?

हमारे यहां राजकपूर और देवानन्द का नेतृत्व उभरकर आया है। उनके अलावा कोई भी नेतृत्व नहीं दिखाई देता किसी भी क्षेत्र में जिस पर हम गर्व कर सकें कि ये उसी भारतवर्ष के पुत्र हैं जिसने राम, कृष्ण, बुद्ध, गांधी, नेहरू को पैदा किया था। इसका कारण यह है कि हमारी प्रदेशीय सरकार ने ध्यान नहीं दिया है कि चाहे वह श्रमिक हों, या मंत्री, मालिक हों या नौकर, विधायक हो या कोई और, सबके समानाधिकार हैं। सब समान रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अभाव के दो कारण हैं। एक तो हमारे यहां दो प्रकार की शिक्षा प्रणाली हैं। एक तो उन लोगों की है जो गरीब भाई हैं और दूसरी वह है जो बड़े लोगों के लिये हैं और पैसा खर्च करते हैं।

आज हमारा गरीब भाई योग्यता रखते हुए भी उसको शिक्षा नहीं मिलती है। जो पैसे वाले हैं वह शिक्षा को खरीद लेते हैं। जो गरीब भाई हैं उनको योग्यता रहते हुए भी हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। इसी प्रकार से आपकी चिकित्सा की बात है। जो हमारे श्रमिकों के आवास हैं उनके अन्दर उनके लिये एक डिस्पेंसरी बनी हुई है। उसके लिये उनका पैसा काटा जाता है जिससे उनके परिवार के लिये सहूलियत दी जाती है। सरकार को इसकी जानकारी हो कि उन डिस्पेंसरीज में कंपाउन्डर है तो डाक्टर नहीं है और डाक्टर है तो कंपाउन्डर नहीं है। कहीं पर पार्टीबन्दी है और कहीं पर दल बन्दी है। इन डिस्पेंसरीज से जितनी सुविधा श्रमिकों को मिलनी चाहिये उतनी नहीं मिल पाती है जिसकी तरफ सरकार का ध्यान जाना जरूरी है।

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं वह अपनी कटौती के प्रस्ताव पर नहीं बोल रहे हैं बल्कि शिक्षा पर और दूसरी बतों पर बोल रहे हैं ?

(इस समय १२ बजकर ४५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव, पीठासीन हुए।)

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री मनोहरलाल—

हम उद्योग धन्धों के बारे में अपनी बात कह रहे थे कि किस प्रकार से उद्योग धन्धे हमारे प्रदेश में पिछड़े हुए हैं। माननीय सदस्य को यह मालूम होना चाहिये कि हमारा यह भी

[श्री मनोहरलाल,]

कर्त्तव्य है कि जो कारखानों में काम करने वाले श्रमिक भाई हैं उनकी शिक्षा का ध्यान रखें, उनकी चिकित्सा का ध्यान रखें तथा उनके आवास का ध्यान रखें। अगर हम इस संकीर्ण मनोभावना से काम करेंगे तो जिस प्रकार से २२ साल से हमारा प्रदेश पिछड़ा रह गया है उसी तरह से यह पिछड़ा रहेगा। उद्योग धन्धों में काम करने वाले जो इंसान हैं उनके भविष्य पर भी हमको ध्यान रखना चाहिये। हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश की तरक्की हो। हमारा समाज ऊपर उठे और हमारे उद्योग-धंधे ऊपर उठें तो हमको सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से आगे बढ़ें जिससे उद्योग-धन्धे जितना पैदा करते हैं उससे अधिक पैदा करें।

इसके साथ-साथ हमको यह भी देखना होगा कि कृषि और उद्योग में बड़ा संबंध है। हम देखते हैं कि बराबर हमारे यहां जो पूंजीपतियों के उद्योग हैं वह बराबर आगे बढ़े हैं। पूंजीपति को अनुदान और लोन दिया जाता है तो वह हमेशा आगे बढ़ते हैं उससे यह परिणाम होता है कि छोटे उद्योग-धंन्धे पीछे रह जाते हैं। हम चाहते हैं कि छोटे उद्योग धन्धों की तरफ भी ध्यान दिया जाय। हमारी बी० के० डी० की यह नीति है कि छोटे उद्योग-धन्धों को आगे बढ़ाया जाय। हम चाहते हैं कि अगर इस पर ध्यान दिया जाय तो यह पिछड़ा प्रदेश आगे बढ़ने के लिये मुकाबला करेगा। इन शब्दों के साथ में अपने कटौती क प्रस्ताव को प्रेस करता हूं।

*श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस उद्योग के अनुदान पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया। मैं उद्योग मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, सब लोग जानते हैं कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। हमारे प्रदेश की जनसंख्या भी और प्रदेशों के मुकाबले में सबसे अधिक है। भूमि बढ़ नहीं सकती है। इसलिये अगर हम अपने प्रदेश का कल्याण करना चाहते हैं तो अधिक से अधिक बल हमें औद्योगीकरण के लिये देना होगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

इस समय सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री कन्हैयालाल--

श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि हमको अपने प्रदेश के कल्याण के लिए अधिक से अधिक औद्योगीकरण की दिशा में आगे बढ़ना होगा। इस दिशा में हमने काम भी किया है पिछले साल में। प्रदेश में बहुत काम है दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में, लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी जितना काम हुआ है वह अधिकतर बड़े उद्योगों की तरफ हुआ है। हमारे पब्लिक सेक्टर में भी जो उद्योग खुले हैं वह बड़े खुले हैं, छोटों की तरफ ध्यान कम गया है। उद्योग मंत्री जी सौभाग्य से बहुत उत्साही हैं, उन्होंने अपने भाषण में भी कहा था कि मैं चाहूंगा कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में कम से कम ५ उद्योग जरूर स्थापित हों। यह बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमारे उद्योग विभाग की जो नीति है और अधिकारियों का जो तरीका है अगर वह यही रहा तो प्रत्येक क्षेत्र में ५ उद्योग की जगह अगर एक भी स्थापित हो पाये तो बड़ी खुशी होगी। मैंने देखा है कि प्रत्येक उद्योग के स्थापित करने के लिए ५ चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पहला धन, दूसरे मशीनें, यंत्र शक्ति, कच्चा माल, फिर बाजार और उसके लिए सरकार की तरफ से प्रोत्साहन। श्रम की आवश्यकता भी पड़ती है, लेकिन उसका ज्यादातर सम्बन्ध सरकार से नहीं बल्कि जो भी उद्योग लगाता है उसको वहन करना पड़ता है। इन पांच

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बातों के लिए सरकार की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। अगर एक-एक को हम एग्जामिन करें तो हम देखेंगे कि सरकार की तरफ से बहुत कम प्रोत्साहन मिला।

मैं मथुरा जिले का हूं। हरियाणा प्रदेश मेरे जिले से मिला हुआ है। मैं देखता हूं कि वहां के अधिकारी लोग अगर कोई जरा भी दरख्वास्त दे दे कि हम फलां उद्योग में रुचि रखते हैं तो वे उसके पास जाते हैं, उससे पूछते हैं सब बातें, योजना बनाते हैं, धन और मशीनों के बारे में सहायता देते हैं और जो भी सहायता हो सकती वह उद्योग विभाग के लोग उसके बारे में पूछते हैं। लेकिन हमारा ५ साल का अनुभव रहा है, स्टेट ऐडवाइजरी कमेटी का मैं सदस्य था। हमारे अधिकारी लोग ऐसा नहीं करते, बल्कि उनको और रोकने का प्रयत्न करते हैं कि उनके उद्योग में बाधा पड़े। एक जिला लेविल पर कमेटी बनी हुई थी जो औद्योगीकरण के लिए रुपया देती थी, वह समाप्त कर दी गयी। स्टेट लेविल की कमेटी भी पता नहीं जाने किस तरह से काम करती है, किसके द्वारा रुपया दिया जाता है, कोई कारपोरेशन बना हुआ है या नहीं, कुछ पता नहीं है। बल्कि उद्योग विभाग हमारे प्रदेश में है या नहीं, ऐसी इस वक्त स्थिति है। यहां धन लगाने वाले हैं, लेकिन कोई सुविधा उनको यहां नहीं मिलती। इसलिए हम देखते हैं कि वह हरियाणा और राजस्थान में जा रहे हैं।

भरतपुर में हमारे उद्योगपति और खलीलाबाद में जो हरियाणा में है वहां जी लगा रहे हैं। हमारे यहां तो बिजली की रुकावट होती है, मशीनों के लिए एसेंश्यल सार्टिफिकेट लेने में दिक्कत होती है, अगर कोई बाहर से लाना चाहे तो जितनी सुविधा दूसरे प्रान्तों के लोगों को मिलती है हमारे प्रान्त के लोगों को नहीं मिलती। न जाने क्या नियम बना रखे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जिस उत्साह के साथ उन्होंने इस डिपार्टमेंट को संभाला है कृपा करके मंत्री जी देखें कि किस तरह से हम अपने उद्योग को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से प्रोत्साहन की बात मैं कह रहा था। हमारा एक बुनकर उद्योग है, हमारी तरफ का बहुत बड़ा उद्योग है। इटावा में और मथुरा में भी है। वहां बुनकरों की सोसाइटियां ५-७ हैं। पहले उनको प्रोत्साहन देने के लिए सब्सीडी मिला करती थी पांच परसेंट, छः परसेंट। लेकिन एकाएक आर्डर जाता है कि सब्सीडी खत्म। इससे हमारे मथुरा में उद्योग ही समाप्त हो गये। जहां मथुरा में बुनकरों की दुकानें थीं वह अब नहीं हैं। अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी कि आखिर ये जो उद्योग थे क्यों खत्म हो गये। हो सकता है कि किसी समिति ने गलत मांग दे दी हो लेकिन हमारे अधिकारियों को चाहिए था कि वे उसको देखते। इसलिए इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, तभी ये छोटे-छोटे उद्योग तरक्की कर सकते हैं।

मैं एक बात और अपने जिले की कहना चाहता हूं। हमारा जिला ऐसा है जहां के लिए एक पुरानी कहावत चली आ रही है "तीन लोक से मथुरा न्यारी"। हमारे उद्योग अधिकारियों ने हमारे मथुरा जिले को उद्योग के मामले में तीन लोक से अलग कर दिया है। मथुरा के आस पास का इलाका पहले बहुत पिछड़ा हुआ था। आजादी मिलने से पहले वहां रेगिस्तान था। दस बीस मील तक मकान देखने को नहीं मिलते थे। लेकिन २२ मील की दूरी पर अब भरतपुर को देखें। कितना सरसब्ज इलाका हो गया है, आज वहां चमक है, तरक्की है। आगरे में जूता उद्योग है, अलीगढ़ में ताला उद्योग है। लेकिन मथुरा में न कोई लघु उद्योग है, न कुटीर उद्योग है और न कोई बड़ा उद्योग बनाने की ही सम्भावना है। सन् ६५ से पता चल रहा था कि वहां खाद का कारखाना बनने वाला है। लेकिन पता नहीं क्या कमी निकली कि वह कारखाना गोरखपुर में बन गया।

श्रीमन्, मथुरा एक धार्मिक स्थल रहा है। यहां जितने भी कस्बे हैं—वृन्दावन, गोकुल, महावन, गोवर्द्धन, राधाकुंड आदि—सब कस्बे तब बने जब यहां की जनता धर्म परायण थी और ये तीर्थ के नाम पर बने। लेकिन आज यह भावना लुप्त होती जा रही है। इसलिए अब इन छोटे-छोटे कस्बों को इंडस्ट्रियलाइज करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो नतीजा यह

[श्री कन्हैयालाल,—]

होगा कि वहां चोरी, डकैती, राहजनी बढ़ती जायगी। कोई उद्योग धन्धा नहीं खुलेगा। तो ये लोग क्या करेंगे। इसलिए सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि ऐसी पिछड़ी हुई परिस्थिति वाले इलाके की तरक्की के लिए छोटी इंडस्ट्री के लिए प्रोत्साहन दें।

हमारे मथुरा जिले में करीब सात आठ साल से इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने की बात चल रही है। एक कोआपरेटिव है और एक सरकारी। आठ साल हो गये, मैं दस साल पहले एम० एल०ए० रह चुका और आज भी हूं, मुझे नहीं पता चला कि उन इंडस्ट्रियल स्टेट्स का क्या हुआ? दूसरी जगह आगरा, अलीगढ़ में इंडस्ट्रियल स्टेट हैं। लेकिन हमारे यहां कुछ पता नहीं चला। कभी कहते हैं कि पानी खराब है, दूसरी जगह तलाश करो। कभी टेक्निकल आफिसर नहीं पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से नेगलेक्ट किया जा रहा है, इससे बड़ा भारी नुकसान पहुंच रहा है प्रदेश को और खास करके हमारे जिले को।

श्रीमन्, एक बात और कहना चाहता हूं। चमड़ा उद्योग की बात भाई मनोहर लाल जी ने कही। उन्होंने बड़े उद्योग की बात कही और मैं छोटे उद्योग की बात कह रहा हूं। हमारे यहां छोटी-छोटी टेनरियां हैं। जिनकी बाकायदा सोसाइटीज हैं और वह चल रही हैं। उसमें सरकार का रुपया भी लगा हुआ है और वहां एक सरकार का सुपरवाइजर भी होता है। लेकिन उन टेनरीज में धेले भर का भी काम नहीं होता है और सुपरवाइजर की तनखाह बेकार में जाती है। सिर्फ़ उनको लोन उद्योग विभाग से मिल जाता है और वह मय ब्याज के वसूल हो जाता है। कोई टेक्निकल एडवाइस देने का काम उद्योग विभाग का अधिकारी नहीं करता, वह सिर्फ़ दफ्तर में कागज घिसता है। अन्त में मंत्री जी से मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा करके इन बातों को देखें। मैंने चमड़ा उद्योग की तरफ़, मशीनों की तरफ बुनकरों की तरफ जो ध्यान आकर्षित किया उसकी ओर ध्यान दें क्योंकि छोटे उद्योगों से ही प्रदेश का भला हो सकता है।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फ़ैजाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अपना प्रान्त उद्योग के मामले में अन्य प्रान्तों से काफी पिछड़ा हुआ है। हमारा उद्योग कई श्रेणी में विभक्त है। पहली श्रेणी हेवी इन्डस्ट्रीज की है जिसको सरकार बड़े बड़े लोगों को ही देती है। हेवी इंडस्ट्रीज दो प्रकार की हैं। एक तो पब्लिक सेक्टर में है और दूसरी प्राइवेट सेक्टर में। जो पब्लिक सेक्टर में है उनमें तो बड़ी धांधली है। उसकी व्यवस्था ठीक नहीं है और जिस प्रकार उद्योग चलने चाहिए चलते नहीं हैं। दूसरे जो प्राइवेट सेक्टर में हैं जिनको सिर्फ़ लाइसेन्स दे दिये जाते हैं वे सिर्फ़ बड़े-बड़े लोगों को दिए जाते हैं। टाटा, बिड़ला और सिंघानिया को दिये जाते हैं और उनको लोन और अनुदान दिया जाता है जिसका वह दुरुपयोग करते हैं। लोन वह इसलिए लेते हैं कि वह कम ब्याज पर उनको मिल जाता है। लोन उनको नहीं दिया जाना चाहिए।

अभी मिर्जापुर में जो फ़ैक्ट्री बिड़ला ने लगाई है उनको बिजली दो पैसे यूनिट पर दी गई जो प्रोडक्शन से भी कम है। हेवी इंडस्ट्रीज को जो बढ़ावा देते हैं उसका असर लघु उद्योगों पर पड़ता है। जो बड़े-बड़े उद्योग खोले जाते हैं उनमें बहुत थोड़े से आदमी काम करते हैं। हमारा कृषि प्रधान देश है और हमको उन उद्योगों की तरफ़ जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो ज्यादा से ज्यादा रोजगार दे सके उस उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए। तो लघु उद्योग और कुटीर उद्योग पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, उसके लिए साधन होना चाहिए, रामेटेरियल होना चाहिए और दूसरी फ़ैसिलिटीज मिलनी चाहिए। अभी हमारे माननीय सदस्य ने जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है बताया है कि दरी बनाने, रेशम की साड़ी बनाने और चूड़ियों पर बहुत ज्यादा सेल्स टैक्स लगा दिया गया है जिससे छोटे उद्योगों को बहुत ज्यादा क्षति पहुंची है।

जहां तक पब्लिक सेक्टर का सवाल है, हमारा जो डायरेक्टोरेट है वह कभी भी इस पर विचार नहीं करता है कि किस प्रकार से व्यवस्था करे जिससे उद्योग बढ़े। कानपुर की स्थिति यह है —

"70 industrial uuits disappear, Rs. 120 lacs go down."

इस प्रकार की व्यवस्था है डायरेक्टोरेट की। यह तो एक स्थान की बात है। इसी प्रकार सब जिलों का हाल है। जो पैसा दिया जाता है, कर्मचारी उसमें से अपने पैसे निकालने की कोशिश करते हैं। कर्मचारी उसमें से पैसा लेकर यह नहीं देखता कि वह पैसा इंडस्ट्री में लगा या नहीं। जब चार-पांच साल बाद वसूली होती है तो पता लगता है कि वहां कोई इंडस्ट्री ही नहीं है। तो इस पर विचार करके कर्मचारियों को सतर्क करने की आवश्यकता है, उनमें भृष्टाचार खत्म करने की आवश्यकता है।

उद्योग में हमारे पिछड़ेपन का कारण भ्रष्टाचार भी है। जो पैसा हम देते हैं वह घूम फिर के कर्मचारियों के पास पहुंच जाता है। माननीय मंत्री जी से मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कृषि भी बहुत बड़ा उद्योग है। इसके विकास की तरफ़ भी ध्यान देना चाहिए। कृषि के लिए फ़र्टीलाइजर की बहुत आवश्यकता होती है। उसके बड़े-बड़े कारखाने खोले जाने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा खाद उपलब्ध हो सके। खेती के काम में आने वाले औजार के लिए भी उद्योग खोले जाने चाहिए ताकि कम दरों पर काश्तकार को औजार मिल सके। जैसे हरियाणा और पंजाब में हर घर को बिजली दे रखी है उसी प्रकार से यहां हर खेत को बिजली और सिंचाई के साधन दिये जायं ताकि ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके। हर खेत के लिए खाद, पानी और बिजली का इन्तजाम होना चाहिए। हर हाथ को काम मिल सके इसके लिए लघु उद्योग और कुटीर उद्योग खोलिए। हमारे प्रान्त में किन-किन चीजों की आवश्यकता होती है इस पर विचार करें। हम इस बात का स्वागत करते हैं कि हर कांस्टीटुएन्सी में पांच उद्योग खोलने का विचार है, लेकिन जिस कांस्टीटुएन्सी में जिस उद्योग की आवश्यकता है वहां वही खोला जाय।

वैसे तो हर उद्योग के लिए प्रयास किया जाना चाहिए जैसे जूता, ताले, दरियां, कालीन, जो छोटे-छोटे उद्योग हैं वह चलने ही चाहिए। अपने प्रान्त की आवश्यकता की पूर्ति भी हो और बाहर भेज सकें तो और भी अच्छा है। लेकिन जो अपने प्रान्त के लिए उपयोगी हो सकते हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाय। चार हिस्से बना दिये जायं जिससे कि पूरे प्रान्त में उनका वितरण हो सके। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा, बहुत सी जमीन जो कृषि के लिए उपयोगी हो सकती है वह उन इंडस्ट्रियलिस्ट्स को दे दी गई है जो उसको उद्योग के काम में नहीं ला सकते हैं। तीन तीन हजार एकड़ जमीन दे रखी है। वह उद्योग के काम में नहीं लगेगी। वह तब अपने इन्फ्लुएन्स से लेकर दूसरे उपयोग में लेंगे। इससे कृषि की हानि होती है और बहुत से लोग उजड़ जाते हैं और बेरोजगार होते हैं। इस कारण से इन्डस्ट्रीज के लिये जितनी भूमि की आवश्यकता है, उतनी ही जमीन दी जानी चाहिये।

श्रीमन्, लघु उद्योगों के लिये कच्चे माल की बड़ी आवश्यकता होती है। जो रा-मैटीरियल जहां पर अधिक पैदा होता है, उससे संबंधित उद्योग भी वहीं अधिकतर लगाने चाहिये। आज लघु उद्योगों को कच्चा माल नहीं मिल रहा है। जैसे रहट के लिये टीन की चद्दरों की जरूरत पड़ती है। टीन की चद्दरें न मिलने के कारण कितने ही रहट बनाने के उद्योग फेल हो गये। इस ओर भी माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए।

एक निवेदन मैं खादी बोर्ड के बारे में करना चाहता हूं। आखिर, खादी बोर्ड को आप कब तक चलाते रहेंगे? २२ वर्ष तो उसको चलते हो गये। इसमें जो कर्मचारी काम करते हैं उनमें कम्पटीटिव स्प्रिट नहीं रह गयी है, आपने उनको सब्सीडी देकर पंगु बना दिया है।

[श्री हरिनाथ तिवारी]

आप जो इसको सहायता देते हैं इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। इसलिये आप अब सब्सीडी देना बन्द करें, और इस अनुदान की जरूरत नहीं है।

इसके अलावा जो आपके प्रेस काम कर रहे हैं, वे ठीक से काम करें, इस तरफ भी आप ध्यान दें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री शिव सम्पत्ति शर्मा (जिला जालौन)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो उद्योग और ग्रामोद्योग विभाग पर विचार हो रहा है, इस सम्बन्ध में मुझे भी कुछ निवेदन करना है। दुर्भाग्यवश यह जो किताब उद्योग विभाग की तरफ़ से मिली है इसमें और सब बातों की तरफ़ तो इशारा किया गया है, मगर यह नहीं बताया गया है कि किन किन उद्योगों को ऋण दिया गया और उनकी आज क्या स्थिति है। इसमें यह नहीं है कि कितने लोगों को लोन दिया गया और आज उसका क्या नतीजा हुआ। कितने परसेंट लोगों ने उसका उपयोग किया, अपने उद्योगों को चलाया, कितने उद्योग फ़ेल हो गये या बन्द हो गये। कितने ऐसे लोग हैं जिनकी जमीन, मकान, पैसा, और प्रतिष्ठा सभी खो गयी। मैं समझता हूं कि इस सब की जांच के लिये एक कमेटी बिठाना चाहिये। खाली आंकड़े प्रस्तुत कर देने से ही प्रदेश का भला होने वाला नहीं है।

श्रीमन्, इसमें एक बड़ी विषमता देखने में आती है। २० वर्ष तक ग्राम-उद्योगों और उद्योगों में काम करने के पश्चात् मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस बजट में से ग्राम-उद्योग तथा लघु उद्योग को निकाल दिया जाय। बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्रीज जो पूंजीपति चलाते हैं उन्हीं को उन्हें चलाने दिया जाय, क्योंकि उससे इतना तो हो जायेगा कि उनकी कम से कम प्रतिष्ठा तो बची रहेगी। बेइज्जती तो नहीं हो पायेगी। जो आपके इन्डस्ट्रीज विभाग के अधिकारी और इंसपेक्टर वगैरह आए दिन लोगों को परेशान करते हैं, उससे तो वे बच जायेंगे। मान्यवर, उद्योग विभाग से ऋण लेते वक्त कई वायदे किये जाते हैं कि हम तुमको कच्चा माल देंगे, केमिकल्स देंगे, यह देंगे वह देंगे, लेकिन जब लोन लेकर हम किसी तरह अपनी भी सारी पूंजी आदि लगाकर उद्योग खोल लेते हैं तो हमको कोई सहायता नहीं मिलती। नतीजा यह होता है कि उसका उद्योग फेल हो जाता है। छोटे-छोटे लोग जो किसी तरह किसी उद्योग को शुरू करते हैं, वे आगे चल कर मुसीबत में पड़ जाते हैं।

जो छोटे व्यवसायी थे वे उन पर जो पहले से कर रहे हैं जो चोरी करने में माहिर हैं, उनमें फिट नहीं हुए। वे अपने इरादों से, अपने कामों से, मजबूत रहे। वे रिश्वत नहीं दे सके वे डिपार्टमेंट में घुस नहीं सके। उसको कच्चा माल नहीं मिला। उसको केमिकल नहीं मिला। उसको सहायता नहीं मिली। उसको वर्किंग कैपिटल नहीं मिला और नतीजा यह हुआ कि वे आगे जाकर फेल हो गए। हजारों कार्यकर्त्ता हैं जिनमें किसी के खिलाफ कुर्की किसी के खिलाफ वारंट, और किसी के खिलाफ अब गिरफ्तारियां हुई हैं और वे असेंबली भवन के चारों तरफ घूमते हैं कहीं किसी मिनिस्टर के पास और कभी किसी मिनिस्टर के पास। इसमें जरूरत यह है कि जहां ये और चीजें छापते हैं कि हमने इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट द्वारा इस प्रदेश में यह काम किया, जहां यह छापते हैं कि इन्डस्ट्रीज ठीक काम कर रही हैं वहां दो कमेटियां कायम की जायं। जो उद्योगों में लोन दिये गये हैं उसमें कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ कुर्की, वारेंट और गलत तरीके से वसूली की कार्यवाही की जा रही है या डिपार्टमेंट के अफसरों ने जो कच्चा माल इन्डस्ट्री के लिये देने का वायदा किया था वह नहीं दिया गया। इन्डस्ट्रियल स्टेट की बात जो भाई करते हैं, हमारा ख्याल है वह प्रदेश में इन्डस्ट्रियल स्टेट की स्थिति को नहीं जानते हैं इसलिये करते हैं। मान्यवर, आप देखें कि सारे प्रदेश में जो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इन्डस्ट्रियल बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वे सिर्फ कानपुर, आगरा और कुछ बड़े-बड़े कस्बों को छोड़कर सारी बिल्डिंग्स बेकार पड़ी हुई हैं। उसमें भिखमंगे, गधे और जानवर बांधे जाते हैं और उसका कोई उपयोग नहीं है। न तो उनमें इन्डस्ट्रीज चलती हैं और न इन्डस्ट्रीज के काम करने वाले रहते हैं और न तैयार हैं काम करने के लिये। उसका कारण पूछेंगे तो मैं बताता हूं कि उसका मुख्य कारण यह है कि इन्डस्ट्रियल इस्टेट्स ऐसी जगह बनाई गई हैं... (लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, मुझे चार मिनट और दे दें। मैं बीस साल से इन्डस्ट्रीज को जानता हूं....

श्री उपाध्यक्ष––

तीन मिनट और आपको दिये जाते हैं।

श्री शिव सम्पत्ति शर्मा––

उसका कारण सिर्फ इतना ही है कि वे इन्डस्ट्रिएल इस्टेट्स ऐसी जगह बनाई गई हैं कि जहां पर जाकर कोई रोजगार नहीं कर सकता। कोई सुरक्षा की गुंजाइश नहीं है। किराया इतना महंगा है कि वहां कोई आदमी काम करने को तैयार नहीं है। जो कुछ माल वे प्रोडक्शन में तैयार करते हैं उनकी सेल का कोई प्रबन्ध नहीं है। उनके कच्चे माल का कोई प्रबन्ध नहीं है। जो इन्डस्ट्रियल इस्टेट्स में फंस गया वह उसमें और फंसता गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इन्डस्ट्रियल इस्टेट्स और ग्रामोद्योग के लिये, दोनों विभागों के लिये अलग-अलग कमेटियां बनाकर मूल्यांकन करें जिससे असली स्थिति का पता लगे। खादी ग्रामोद्योग का काम प्रदेश में व्यक्ति विशेष पर और पार्टीबन्दी पर चलाया जा रहा है और वे काम करने को तैयार नहीं हैं। ऐसे व्यक्ति रक्खे गये हैं जो अयोग्य हैं और जो उस काम में दिलचस्पी नहीं रखते। खाली सिफारिश पर रक्खे जाते हैं। सारी हिस्ट्री ऐसी है उद्योग विभाग में। शर्मा जी के पास इतना काम है कि बेचारे करें क्या। अगर इनके पास टाइम हो तो ऐसी कमेटी ये बनायें जो इन्डस्ट्रीज का मूल्यांकन करे। अगर इनका मूल्यांकन नहीं करेंगे तो केवल खर्च करते चले जायेंगे और उसका उपयोग नहीं होगा और उससे प्रदेश की बड़ी हानि होगी। इन शब्दों के साथ मैं अपने उद्योग मंत्री जी से फिर प्रार्थना करूंगा कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाय।

श्री शम्भू नाथ चौधरी––

मान्यवर, मैं अपने साथी के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए एक बात और जोड़ देना चाहता हूं कि उद्योग अनुदान के अधीन मांग की राशि एक रुपया कर दी जाय। यह एक रुपया भी अधिक है लेकिन मैंने सोचा कि कुछ उनके पाकेट में रहना चाहिये। पैसा उसी को दिया जाता है जब कि घर का मालिक अच्छा हो। अगर मालिक बिगड़ जायेगा तो उससे पैसा ले लेना चाहिये। लेकिन मैंने समझा कि सब न लेकर एक रुपया दे दिया जाय। क्योंकि एक कहावत याद आ गई है। एक बहेलिया था और उसके एक लड़का था। वह बहेलिया का लड़का फल बेचता था और शाम को जितना बचा लेता था उससे जुआ खेल लेता था। और रात को उसका पिता पिटाई करता था। रोजाना यह घटना घटित होती थी। तो गांव वालों ने एक पंचायत की और कहा कि इसकी आदत को छुड़ाने के लिये इसको १ रुपया प्रति दिन दे दो। उसको एक रुपया प्रति दिन मिलने लगा। एक रुपया लेकर जब वह अपने साथियों में गया तो उन्होंने उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिये उसको जिताना शुरू कर दिया और एक रुपये से वह अधिक रुपया पैदा करने लगा। इसी प्रकार से हमारे माननीय मंत्री जी ने अब प्रदेश में जुए का खेल फैला दिया है। और वैसे यह लालच दे दिया कि एक रुपये से शायद माननीय मंत्री जी लाख रुपये पैदा कर लें या बहुत ज्यादा धनराशि।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस सरकार की कोई औद्योगिक नीति नहीं है। इसके अभाव में देश का विकास कैसे हो सकता है? अभी हमारे माननीय मंत्री

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

जी ने कबूल किया है कि हमारा देश और प्रदेश एक कृषि प्रधान देश और प्रदेश है। लेकिन हमारी सरकार का ध्यान न तो किसानों की ओर और न उन लोगों की ओर जाता है जो गांवों में रहते हैं। इस बजट में उनके लिए कहीं पर गृह उद्योग की चर्चा भी नहीं है। अंग्रेजों के जमाने में भी जो किसानों और हरिजनों को सहूलियतें थीं वे आज इस सरकार के जमाने में चौपट हो गई हैं। गांव में जो गृह उद्योग के द्वारा किसान अपने फालतू समय का उपयोग कर सकते थे वह भी इन्होंने चौपट कर दिया। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह देश और प्रदेश की जनता आपको माफ नहीं करेगी, इसलिये आपको एक नीति पकड़नी होगी कि कौन सा उद्योग चाहते हो। आप निजी और सहकारी उद्योग चला रहे हैं। वे हैं क्या? अगर ये उद्योग चलते रहे तो भ्रष्टाचार फैलता ही रहेगा और त्रिकोण लुटेरे, एक बिरला सेठ, दूसरा सरकारी सेठ और तीसरा नौकरशाही सेठ, इन तीनों का गठबन्धन होगा और देश और प्रदेश की सारी आमदनी समाप्त हो जायेगी और जो लोग गरीब हैं, वे कभी भी खुशहाल नहीं होगें। एक नीति नहीं चलायेंगे तो क्या होगा? आजकल ४-५ सरकारी योजनायें चल रही हैं लेकिन वे या तो लखनऊ या बनारस के आस-पास चल रही हैं। सारी योजनायें माननीय मुख्य मंत्री और उप मुख्य मंत्री ने ले डाली हैं। मिर्जापुर से १९ मील की दूरी पर डल्ला फैक्ट्री सीमेंट की बनाई जा रही है। आपने चीन को देखा है वह आज गांवों में उद्योग धन्धे बना रहा है लेकिन हमारी सरकार टाटा, बिरला को प्रोत्साहन दे रही है और उनसे मिलीजुली चल रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह सामान्य बहस नहीं है। आप अपने भाषण को विषय से ही जोड़ें?

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

श्रीमन्, जो सरकारी उद्योग हैं वे सफल नहीं हो पाए हैं। और वे इसलिये नहीं हो पाए हैं कि उनमें २-२ प्रतिनिधित्व चल रहे हैं। तो लूट, फिजूलखर्ची और अय्याशी का बाजार गर्म होता जा रहा है। अपनी स्टेटिस्टिकल डायरी, १९६९ को अगर माननीय मंत्री देखेंगे तो पायेंगे कि सीमेंट, बनस्पति तेल आदि में लगातार ह्रास हो रहा है। जब आप औद्योगिक नीति को पकड़ेंगे तब विभाग में आयेगा कि कौन सी नीति हो सकती है जो इसमें सहायक हो सकती है। औद्योगिक नीति में संपत्ति, भाषा, जाति, आधुनिक उपज तथा उसकी खपत की नीति को पकड़ना होगा तभी उद्योग धंधे पनप सकेंगे और यह प्रदेश दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में प्रगति कर सकेगा।

इस सदन में बैठ कर यह समझ में नहीं आता मेरे कि कौन सी इस सरकार की नीति है? मैं किस चीज पर चर्चा करूं? इस सरकार की क्या दिशा है और कहां यह जाना चाहती है? जब इन बातों की ओर मैं गौर करता हूं तो हमको निराश होना पड़ता है और इस निराशा के गर्त में सारे प्रदेश की जनता डूबी हुई है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप गृह-उद्योग को पनपाइए। एक चीनी का उद्योगपति हमको मिला। उसने कहा कि जब वे सरकार से दाम बढ़ाने की बात करते थे सरकार ने कभी दाम नहीं बढ़ाए लेकिन जब सरकार ने उस उद्योग को शुरू कर दिया और उसको घाटा होता है तब वह दाम बढ़ा देती है और साथ में हमारे भी दाम बढ़ जाते हैं। इस तरह से निजी उद्योग धन्धों को भी लूट करने की छूट मिल जाती है। अभी सरकार ने चीनी मिलमालिकों को साढ़े ३ करोड़ रुपये की छूट दे दी, अलाभकर जोत पर छूट देने के लिये कहा मालगुजारी में तो उसको नहीं दिया। इस तरह से मिल-मालिक फलते-फूलते रहेंगे। होना यह चाहिये कि चीनी, कपड़ा, वनस्पति तेल की मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं वरन समाजीकरण यह सरकार करे। राष्ट्रीयकरण में तो नौकरशाही का प्रतिनिधित्व होगा और समाजीकरण अगर होगा तो मजदूर, किसान और उपभोक्ता के प्रतिनिधि होंगे और तभी उद्योग धन्ध इस देश व प्रदेश में पनप सकेंगे। आप गांव की तरफ जायं।

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय सदस्य "आप" शब्द का इस्तेमाल न करें ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी––

बहुत अच्छा । गांधी जी ने गृह उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये कहा था । लेकिन वे आज नष्ट हो गये हैं । उनको पनपाया जाय क्योंकि देश की ८० प्रतिशत जनता, जिसमें अधिकांश पिछड़ी जाति के और निर्धन लोग हैं, देहातों में रहते हैं और वे गृह उद्योगों से ही अपनी जीविकोपार्जन करते हैं । इससे देश के गरीब, पिछड़े दलित वर्ग की समस्या हल होगी । इन शब्दों के साथ मैं जोरदार शब्दों में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री मदन मोहन मिश्रा (जिला रायबरेली)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने कृपा कर के मुझे इस विषय में बोलने का समय दिया । कुछ दिन पहले मैं आल-इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक के संबंध में फरीदाबाद गया था तो मैंने देखा कि दिल्ली से फरीदाबाद तक अरबों रुपये के कारखाने और इन्डस्ट्रीज वहां लगी हुई हैं । सायंकाल मैंने अपने उद्योग मंत्री श्री शर्माजी का ध्यान आकर्षित किया और एक प्रश्न किया कि आखिर यहां कौन सा कच्चा माल पैदा होता है जो अरबों रुपये की इन्डस्ट्रीज यहां लगी हुई हैं । शर्मा जी ने कहा कि मैंने तो यह कभी नहीं कहा । मैंने जब इन्डस्ट्री की बात उठाई क्या प्रधान मंत्री से और क्या अन्य मंत्रियों से, शर्मा जी से तो उसी दिन पूछा था, तो मुझसे यह कहा गया था कि रायबरेली में कोई कच्चा माल नहीं मिल सकता है तो उद्योग कैसे लगें ? लेकिन कानपुर में क्या रुई पैदा होती है या मुगलसराय में क्या लोहा पैदा होता है ?

एक तरफ तो विकेन्द्रीकरण हो रहा है और दूसरी तरफ केंद्रीयकरण कर रहे हैं । जहां पचासों प्रकार के उद्योग लगे हुए हैं वहीं और लगते चले जा रहे हैं । कोई भी नया उद्योग होता है तो गाजियाबाद, कानपुर में लगता है और अगर थोड़ा बहुत बचा तो आगरा चला गया । मतलब यह कि उत्तर प्रदेश के साथ अभी तक उद्योग के मामले में मजाक सा हुआ है । आंकड़ों से सारी रिपोर्टें भरी रहती हैं लेकिन वास्तविकता यह है कि इन्डस्ट्री के जो माने हैं वह हमको मिलना चाहिये और उस सम्बन्ध में मुझे बहुत दुख है कि अभी तक उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की गई । अब हमारे नये उद्योग मंत्री श्री शर्मा जी आए हैं । आशा है शायद इनके माध्यम से कुछ उद्योग यहां लग जायं । मैंने इनका ध्यान फरीदाबाद में भी आकर्षित किया था और आज फिर आकर्षित कर रहा हूं कि बंगाल की स्थिति ठीक नहीं है, यहां का उद्योगपति भाग रहा है लेकिन वह यू० पी० की ओर न देख कर पंजाब की तरफ देख रहा है । तो बंगाल से भागने वाले उद्योगपतियों या दूसरे उद्योगपति जो अपनी रकम को इन्वस्ट करने वाले हैं उनका ध्यान इस प्रदेश की ओर आकर्षित किया जाय विशेषकर उस इलाके की ओर जो आजतक उपेक्षित रहा है । केवल पूर्वी और पश्चिमी जिलों की ओर ही ध्यान न दिया जाय बल्कि कुछ ध्यान लखनऊ के ५०–६०–७० मील की परिधि में जो जिले आते हैं जो अवध के नाम से प्रख्यात हैं उधर भी आप देखें । ऐसा न हो कि अवध यही समझ बैठे कि आप उसकी उन्नति नहीं करना चाहते ।

इन्डस्ट्रियल लोन के बारे में मुझे यह कहना है कि जो आप ५–५ और १०–१० हजार रुपया कर्ज देते हैं उसकी हालत यह है अगर किसी को ५ या १० हजार रुपया कर्ज मिलता है तो पहले तो एक हजार या १५ सौ रुपये वह रिश्वत देने के लिये जेब में रख ले । मैं जानता हूं कि गरीबों ने अपनी औरतों के जेवर बेच-बेच कर रिश्वतें दी हैं और तब उनको पया मिला है । उद्योगों के नाम पर मशीन आते आते उनका तमाम रुपया अधिकारियों के साथ यों ही फूंक गया है और जो मशीन वे लोग देते हैं वह भी उन्हीं की भेंट हो गई । इस संबंध में मैं रायबरेली के

[श्री मदन मोहन मिश्रा]

एक अब्दुल खालिक नाम के आदमी का जिक्र करूंगा जो कानपुर में अपनी साइकिल का काम कर रहा था और बहुत आसानी के साथ खाने पीने भर की मेहनत करके कमा लेता था। उद्योग विभाग के कुछ लोग कानपुर गये और उन्होंने उसको लालच दिया कि तुम रायबरेली आकर अपना साइकिल का उद्योग खोलो और हम लोग हर तरह से तुम्हारी मदद करेंगे। करीब ५ या ८ हजार रुपया उसे लोन दिया गया लेकिन लोन के पहले ही हजार रुपया उसका रिश्वत में चला गया। कहीं इंसपेक्टर साहब, कहीं बड़े बाबू आदि की सेवा के रूप में रिश्वत देने में। किसी तरह से ८ हजार रुपये उसको मिले जिसके आधार पर उसने करीब १५–१६ हजार की मशीनें लगाई। उसके बाद पावर के लिये उसने लिखा तो बहुत दिनों तक उसे पावर नहीं दिया गया। उसके पास कोई रा-मेटिरियल नहीं था तो उसने कहा कि कच्चा माल खरीदने के लिये उसे कुछ पैसे दे दिये जायं ताकि हमारी इन्डस्ट्री विकसित हो सके लेकिन आज तक उसे रामेटिरियल खरीदने के लिये ३ हजार रुपये नहीं दिये जा सके हैं। नतीजा यह है कि वह टूट कर बैठ गया। अब तहसील से बराबर उसके नाम वारंट गिरफ्तारी जा रहा है। जब ऐसा वातावरण रखा जायेगा तो आप बतलावें कि उद्योग कैसे पनप सकेंगे। ५ हजार रुपये छोटे–छोटे उद्योग के नाम पर दिये जायं और उसमें से हजार रुपये रिश्वत के रूप में निकल जायं, अधिकारियों की जेबों में चले जायं तो किस तरह से कोई मशीन लगायेगा या कच्चा माल ले सकेगा? जब कच्चा माल नहीं मिलता तो कारखाने ठप्प हो जाते हैं। इसलिये आपसे मेरी प्रार्थना है कि इस बात पर आप विशेष ध्यान दें और आपके उच्च अधिकारी भी इस तरफ ध्यान दें कि उद्योग के नाम पर जो कर्जा दिया जाय वह समय पर मिल जाय और समय से वह रुपया उसके पास पहुंच जाना चाहिये ताकि उसका उद्योग खोलने का जोश ठण्डा न पड़े।

मैं इसी तरह से आपका ध्यान रायबरेली के कुछ छोटे उद्योगों की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारे जिले में चारपाई बुने जाने वाले बांध का कुछ काम हो रहा है। इसी तरह से अरहर की कांडी से छींके व टोकरा वगैरह बनती हैं लेकिन इन उद्योगों के लिये कोई मदद विभाग की तरफ से नहीं दी गई है। इसके अलावा हमारे यहां ५० वर्ष पहले पीतल का काम बहुत बढ़िया होता था। बहुत अच्छे पीतल के बर्तन महाराजगंज तहसील में बनते थे लेकिन वह भी बन्द हो गया और सरकार ने कोई भी प्रोत्साहन उन लोगों को नहीं दिया। इसलिये आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप हमारे जिले की ओर ध्यान दें। वहां पर छोटे कारखानों की बात तो है ही, इसके अलवा हैवी इन्डस्ट्रीज के बारे में मैं आपसे विशेष रूप से कहता हूं कि कम से कम २५–३० करोड़ की लागत का कोई बड़ा कारखाना हमारे जिले में खोला जाय। इसका परिणाम यह होगा कि छोटे-छोटे कारखाने तमाम अपने आप खुल जायेंगे। वहां की पब्लिक में एक विश्वास जागृत होगा कि बड़े कारखाने खुलने से यहां का अब विकास होगा और यहां की उन्नति होगी। इस तरह से जिनके पास पैसे हैं वे छोटे–छोटे उद्योगों में अपने पैसे लगावेंगे और हजारों आदमियों को रोजी रोटी मिल सकेगी और हमारे जिले में खुशहाली आ जायेगी।

हमारे जिले में बीड़ी का उद्योग भी चल रहा है। उसमें होता यह है कि पैसे वाले लोग कुछ पैसे लगा कर बीड़ी का काम कराते हैं। एक आदमी ठेका ले लेता है और वह हजारों की तादाद में ठेके पर मजदूर रख लेता है, जो बीड़ी बनाते हैं। इस संबंध में मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमारे जिले की ओर ध्यान देकर ये जो बीड़ी मजदूर हजारों की संख्या में आसपास के गांवों से आकर अपनी रोजी कमाते हैं उनको प्रोत्साहित करें।

हमारे जिले में एक और अवैध उद्योग चल रहा है कच्ची शराब बनाने का। हमारे जिले में १४ लाख की आबादी है लेकिन कोई उद्योग नहीं है, केवल खेती होती है। खेती में भी नहरों का पानी समय पर नहीं मिलता। लिफ्ट इरीगेशन स्कीम चली है, उससे भी किसानों को ठीक से पानी नहीं मिल पाता। पंपिंग सेट खरीदने के लिये ५ हजार रुपया दिया जाता है। एक हजार रुपया तो रिश्वत में ही लैंड डेवलपमेंट बैंक के अधिकारियों और ग्राम सेवकों आदि को देने में निकल जाता है क्योंकि उस रुपये का चेक भी उस किसान के नाम नहीं मिलता है जिसने अपनी

जमीन को बन्धक रखा है बल्कि वहां मिलता है मशीन बेचने वाले के नाम। इस प्रकार उद्योग तो वहां है ही नहीं और खेती इस प्रकर से चौपट है।

कुछ लोग हमारे यहां कच्ची शराब बना कर पेट पालते हैं, खासतौर से हरिजन (पासी) लोग। मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे जिले पर आप तरस खाएं और वहां पर उद्योगों के लिये ऐसी रकम एलाट करें जिससे वहां पर हैवी इंडस्ट्री खोली जा सके। छोटे–छोटे कारखाने तो अपने आप ही लग जायेंगे। इन शब्दों के साथ में उद्योग विभाग के अनुदान का समर्थन करता हूं।

(श्री कन्हैयालाल सोनकर का नाम पुकारे जाने पर)—

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

श्रीमन्, कोरम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

१ और २ बजे के बीच में सामान्यतः कोरम का प्रश्न नहीं उठाया जाता है। किन्तु यदि कोई प्रश्न उठ जाता है तो यह देखा जाता है कि कोरम होना ही चाहिये।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

श्रीमन्, उद्योग मंत्री जी भी नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

ज्वाइंट रेस्पांसीबिलटी है। दूसरे मंत्री बैठे हुए हैं।

(घण्टी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

अब कोरम हो गया। माननीय कन्हैयालाल सोनकर भाषण जारी रखें।

*श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने केलिये खड़ा हुआ हूं। मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जो जिला भारतवर्ष को आज तक बराबर प्रधान मंत्री देता चला आया है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मेरे जिले के उस हिस्से से आज भी कांग्रेस सदस्य ही संसद में चुना गया है, सरकार ने उस क्षेत्र को एक हरिजन क्षेत्र जानकर एक दम अछूता ही छोड़ दिया है, हर माने में, हर विषय में। आज उद्योग मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं, नहीं तो मैं उनसे निवेदन करता कि वे उस क्षेत्र को देख कर तो आयें जो इलाहाबाद में गंगा और जमुना के बीच का दुआबा क्षेत्र कहलाता है, और वहां भी कोई बड़ा उद्योग लगवाने की कृपा करें। उस क्षेत्र के रहने वाले पिछड़ी जाति के और हरिजन जाति के लोग अपनी रोजी रोटी, कपड़ा, मकान आदि की पूर्ति कर सकें। लेकिन श्रीमन्, माननीय मंत्री जी शायद उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। कारण यह है कि वे उसी स्थान पर ध्यान देंगे जहां से वे चुन कर आये हैं या अन्य मंत्रिगण आये हैं, या मुख्य मन्त्री या उपमुख्य मंत्री चुनकर आते हैं, उसी क्षेत्र को स्वर्ग के रूप में बदलने की चेष्टा की जाती है और जिस क्षेत्र का कोई मंत्री नहीं है उसका भगवान ही मालिक है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि इलाहाबाद, लखनऊ तथा कानपुर में उद्योग धंधे लगाये गये हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वे कागज पर ही हैं और उनको धोखा हुआ है। इलाहाबाद में नैनी में उद्योग लगाये गये हैं जहां से स्वर्गीय लाल-बहादुर शास्त्री चुनकर आते थे। दूसरी जगह आटे में नमक के बराबर लगाये गये हैं। फूलपुर में जरूर लगाया गया है लेकिन वहां भी बंद हो जायेगा क्योंकि वह सीट कांग्रेस से चली गई है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कन्हैयालाल सोनकर]

जिस स्थान की मैं बात कर रहा हूं वह सुरक्षित सीट है। महात्मा गांधी की दुहाई देकर यह सरकार हरिजनों के हित का आश्वासन देती आ रही है। मैं मन्त्री जी से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि हरिजनों के हित के लिये गांवों में छोटे-छोटे उद्योग धंधे लगाये जायं। मैं पंजाब गया था वहां मैंने देखा कि प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर में महिलायें कुटीर उद्योग का काम करती हैं। मैंने देखा कि सिलाई मशीन की कहीं सुई, कहीं तख्ता, कहीं पायदान और कहीं मशीन के पार्ट्स बनाये जा रहे हैं और उनको एक स्थान पर इकट्ठा करके बड़ा रूप दे दिया जाता है। अगर पंजाब में यह हो सकता है तो हमारे प्रदेश के प्रत्येक गांव में भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि केवल टाटा, बिड़ला और कानपुर में बड़े-बड़े पूंजीपतियों को ही सस्ती बिजली दी जाय और उद्योग धंधे चलाने के लिये सरकारी लोन दिया जाय। वह भी बाद में कह दिया जाय कि वह कम्पनी ही गायब हो गई शायद अपोलो पर बैठ कर चांद पर चली गई।

श्रीमन्, मैंने अखबारों में देखा कि २० लाख का कर्जा बट्टेखाते में डाल दिया गया है। यह सरकार की ढील है। मेरा निवेदन है कि प्रदेश के गरीब पिछड़े हुये लोग और हरिजन सरकारी लोन को बट्टेखाते में डालने की कोशिश नहीं करेंगे। इस देश और प्रदेश की तरक्की के लिये, अपने परिवार की उन्नति के लिये, वे ईमानदारी के साथ उद्योग धंधे लगाना चाहते हैं। उनको लोन दिया जाय। इलाहाबाद में एक बहुत बड़ी फ़ैक्टरी है जो एक संसद सदस्य की है जिसको कई लाख रुपया कर्ज मिला है। उसमें बड़ी-बड़ी मशीन लगी हुई हैं और मानव का कहीं नाम निशान तक नहीं है बहुत थोड़े से इंसान काम पर लगे हैं। इलाहाबाद में इंसान हो कर घोड़े का काम कर रहे हैं यानी रिक्शा खींच रहे हैं। अगर वहां ४-६ हजार आदमी लगे होते। तब भी कोई बात थी। ये लोग देश के निर्माण के लिये किसी चीज के बनाने में लग जाते। गरीब हरिजनों का काम सूअर का बाल और चमड़े का है जिसे कोई छूना पसन्द नहीं करता। सूअर का बाल जो विदेशी मुद्रा का अर्जन करता है उस काम को करने के लिये आज तक सरकार ने कोई भी लोन देने का नियम नहीं बना रखा है। मैं आप के माध्यम से उद्योग मंत्री महोदय से कहूंगा कि सूअर पालन का व्यापार करने वालों को भी लोन दिया जाय और हरिजनों को केवल सूअर और मुर्गी पालन तक ही सीमित न रखा जाय उनको बड़े-बड़े कर्ज दिये जायं।

मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, माननीय उद्योग मंत्री ने ऐलान किया है कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में पांच-पांच उद्योग धंधों की फ़ैक्टरियां लगायी जायंगी। कहीं ऐसा न हो कि ढ़पोरसंख की तरह २० की जगह ४० लो वाली बात हो। जिस तरह से हर योजना के अन्दर एक नया नारा आता है, वह नारा यह भी न हो। अगर वह ईमानदारी से लगाना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि इलाहाबाद जिले में चायल में एक शीशे का कारखाना लगाया जाय। इलाहाबाद में शीशे की बालू बहुतायत से निकलती है। ३५ रुपये का एक ट्रक बालू निकलता है। वहां से जाकर, १२, १५ सौ रुपये का बिकता है। अगर इलाहाबाद में शीशे का कारखाना गवर्नमेंट की तरफ़ से लगाया जाय तो हिन्दुस्तान के अन्दर शीशा बहुत सस्ता बिकेगा। दूसरा मेरा सुझाव यह है कि भदोही टाउन एरिया है जो कलकत्ता और बम्बई लाइन पर पड़ता है। वहां पर अगर रेल के डिब्बा बनाने का कारखाना लगाया जाय तो बहुत बड़ा कल्याण होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

वह केन्द्रीय सरकार से सम्बद्ध है।

श्री कन्हैयालाल सोनकर—

अगर माननीय मंत्री केन्द्रीय सरकार से निवेदन करें तो वह ध्यान में रखेंगे। लेकिन अफ़सोस तो यह है कि उद्योग मंत्री महोदय नहीं हैं। इसलिए जो माननीय मंत्री बैठे हैं वही खबर पहुंचा देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में पांच नहीं तीन ही कारखाने अगर ईमानदारी के साथ खुलवा देंगे तो दोआब क्षेत्र की जनता बड़ी आभारी रहेगी। नहीं तो ढपोरशंख

का नारा लगाने से कोई लाभ नहीं है। यह कह कर मैं कटौती के प्रस्ताव का पूर्णतया समर्थन करते हुए कहता हूं कि अगर गरीबों के उद्योग नहीं लगा सकते तो एक पैसे का अनुदान न दिया जाय।

*श्री राम प्यारे —

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का बड़ा आभारी हूं कि आप ने उद्योग पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। माननीय उद्योग मंत्री ने जो अनुदान संख्या २५, ४५ और ४७ प्रस्तुत किया है मैं उनका समर्थन करता हूं। इसमें कोई दो राएं नहीं हैं कि माननीय उद्योग मंत्री की कार्यकुशलता, कर्मठता, कार्य के प्रति जागरूकता के लिए सभी सहमत हैं। माननीय उद्योग मंत्री ने चार-पांच महीनों में, जब से इस विभाग का शासन लिया है, प्रदेश में ऐसा वातावरण पैदा किया है जिससे छोटे और बड़े उद्योग लगाने वाले उत्तर प्रदेश की ओर आंख लगाये हुए हैं। अगर यही स्थिति रही तो जो हमारी योजना है कि पांच साल के अन्दर ८ से लेकर १० प्रतिशत तक आमदनी बढ़ाएंगे हमारा खयाल है उसकी पूर्ति होगी। विरोधी दल की ओर से छोटी-छोटी बातें कही गयीं। यह कौन नही कहता कि यह प्रदेश औद्योगिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ हो। लेकिन उसके कारणों को भी हम देखें। मान्यवर, आप जानते हैं कि जो तीन पंचवर्षीय योजनायें पूरी हुईं, दो पंचवर्षीय योजनाओं में एक भी केन्द्रीय परियोजना उत्तर प्रदेश को नहीं मिली। तीसरी योजना में मुश्किल से ७२ करोड़ रुपया मिला जो मुश्किल से कुल बजट का ३.१२ परसेन्ट होता है, जब कि हमारी आबादी के हिसाब से १७.८ हमें मिलना चाहिये था।

यह निर्विवाद सत्य है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यदि हम इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आवश्यक है कि जो कृषि में लगे हुये लोग हैं उनको उससे निकाल कर उद्योग में लाया जाय। मान्यवर, आप देखें अमेरिका में केवल १४ प्रतिशत आदमी खेती पर लगे हैं, रूस में १८ प्रतिशत और इंग्लैंड में सिर्फ ६ प्रतिशत लोग खेती के व्यवसाय में लगे हैं, जब कि हमारे यहां ८०–८५ प्रतिशत संख्या खेती में लगी हुई है। जरूरत इस बात की है कि हम प्रदेश में औद्योगिक वातावरण पैदा करें, नये-नये और छोटे-छोटे उद्योग धंधे लगायें और कृषि पर जो जनता का अधिक भार है वह कम हो, तभी हमारा विकास हो सकता है। विरोधी पक्ष के लोगों ने घोषणा की कि यह बजट जनहित में नहीं है। उन्होंने कहा पूंजीपति समर्थक सरकार है कांग्रेस की, जिसने सस्ते दर पर बिजली उन्हें दी। आखिरकार यह देना पड़ता है जब हम उद्योग धंधे बढ़ाना चाहते हैं तो यह करना पड़ेगा।

उद्योगपतियों के अन्य प्रदेश हमसे ज्यादा बड़ी बड़ी सुविधाएं दे रहे हैं, हम को उसे देखना पड़ता है हमें उनके साथ कम्पटीशन में आना पड़ता है। यदि उद्योगधंधा स्थापित करने वाले को जमीन सस्ती नहीं मिलेगी, बिजली नहीं मिलेगी तो वह क्यों यहां धंधा लगाएंगे। उद्योग की दृष्टि से हमारे प्रदेश के पिछड़ेपन का यही कारण है। हमारे उद्योग मन्त्री ने दूरदर्शिता का परिचय दिया है और उन्होंने इस दिशा में अच्छा वातावरण पैदा किया है और हमें आशा है कि इससे पंचसाला योजना में दी गई हमारी सारी चीजें पूरी होंगी जो हमने उन योजनाओं में रखी हुई हैं। मिर्जापुर में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में भी उद्योग धंधे लगे हुये हैं, अल्मूनियम की फैक्ट्री दे दी गई है, वह चल कर देखें अल्मूनियम की फैक्टरी किस जगह पर, कैसी परिस्थिति में लगी हुई है? वह रा-मैटेरियल बिहार से लाते हैं और यहां पर उन्हें जो दो पैसे की बिजली की बात करते हैं, हमारे मद्रास वाले उस फैक्टरी को ज्यादा सुविधा देकर दक्षिण भारत में ले जाना चाहते थे। तो क्या आप यह चाहते हैं कि हम इन्हें दूसरे प्रदेश में जाने दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामप्यारे]

मान्यवर, जो अच्छी सुविधाएं दे कर मंत्री जी इंडस्ट्रिलिस्ट को अट्रेक्ट कर रहे हैं, उनको जारी रखा जाय। इस प्रदेश में इंडस्ट्री लगाना जरूरी है इसलिये उन्होंने लोगों को सहायता दी, उत्साह दिया। मिर्जापुर में सीमेंट फैक्टरी है, किस परिश्रम से वहां पर लोग काम कर रहे हैं, जिन कठिनाइयों में हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं, यह देखने की बात है। मैं कहना चाहता हूं कि जब ओबरा और रिहन्द में कांस्ट्रेक्शन पीरियड चल रहा था, उस समय वहां के कर्मचारियों को कुछ सुविधायें दी जाती थीं--तनख्वाह का २० प्रतिशत एलाउन्स दिया जाता था, मैं सरकार से मांग करता हूं कि यदि वह अधिक कार्य-क्षमता से उनसे काम लेना चाहते हैं तो उन्हें भी आप को वही सुविधायें देनी चाहिये। मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां ऐल्मुनियम फैक्टरी का विस्तार होने वाला है। २०-२५ हजार आदमी इसमें काम कर रहे हैं। इसका एक्सपेंशन होने वाला है, इसलिये जो भी शर्तें हैं उनको जल्दी से पूरा कर दें ताकि ऐल्मुनियम फैक्टरी का विस्तार हो सके। श्रीमन्, हमारे यहां फर्टीलाइजर फैक्टरी कायम होने की बात है। हमारे यहां फर्टीलाइर फैक्टरी जल्दी कायम हो इसके लिये केन्द्रीय सरकार से वार्तालाप करने की बात है। इसके अलावा श्रीमन्, दो बातें और कहना चाहता हूं।

खास कर एक बात यह है कि हमारे यहां जो बेकारी है उसकी समस्या कैसे हल होगी। अभी हाल में कुछ सदस्यों ने कहा कि यहां पर छोटे उद्योग-धंधे लगने चाहिये तो मैं कहता हूं कि केवल छोटे उद्योग के लगने की ही बात नहीं है। मेरे ख्याल से उद्योग विभाग द्वारा जो साहित्य वितरित किया गया है अगर माननीय सदस्य उसको कष्ट करके पढ़े होते तो शायद यह नहीं कहते। यह सौभाग्य की बात है हमारे प्रदेश को केन्द्रीय सरकार से चार सौ करोड़ रुपया मिलने वाला है और बड़े-बड़े उद्योग धंधे लग रहे हैं। उन से छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे भी पनपें। जब छोटे धंधे पनपेंगे तो स्वाभाविक है उनसे लोगों को काम मिलना चाहिये और उससे इस प्रदेश और प्रदेश की उन्नति होगी। श्रीमन्, इन शब्दों के साथ में माननीय मन्त्री की को हार्दिक बधाई देता हूं और उनकी मांग का समर्थन करता हूं।

श्री हरिवंश प्रसाद (जिला देवरिया)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। कांग्रेस सरकार की इन २० वर्षों में जो उद्योग नीति रही है उससे आर्थिक विषमता उत्पन्न हुई है, बेरोजगारी बढ़ी है और निर्धन गरीब हुआ है और धनी पूंजीपति हुआ है। इसका मुख्य कारण यह है देश में सार्वजनिक स्तर पर उद्योगों का पिछड़ापन होना। इस औद्योगिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण यह है कि इस देश में इस प्रदेश के ही तीन बार प्रधान मंत्री होने के कारण प्रदेश का जो दबाव केन्द्र पर पड़ना चाहिये था वह नहीं पड़ा जिसके कारण केन्द्र प्रदेश को सहायता नहीं दे सका। आप जानते हैं कि इस देश में जो स्टील प्लान्ट बनते हैं वह ३०० करोड़ या ५०० करोड़ रुपये से बनते हैं। इस देश में राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में स्टील प्लान्ट बने हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई स्टील प्लान्ट नहीं बना। अगर उत्तर प्रदेश में कोई स्टील प्लान्ट बनता तो उससे छोटे-छोटे उद्योग पनपते और प्रदेश की जनता का भला होता लेकिन ऐसा नहीं हुआ जिससे यह प्रदेश गरीब है। यदि इस प्रदेश में बड़े उद्योग होते तो छोटे उद्योग भी पनपते जिससे इस प्रदेश की स्थिति बदलती। प्रदेश की नियोजन नीति बड़ी गलत रही है। बड़े उद्योगों को इस प्रदेश की सरकार ने कायम किया है। सरकार को चाहिये कि कम पूंजी वाले उद्योगों को प्रोत्साहन दे जिनमें श्रमिक अधिक लगते हों। अगर इस तरह के काम होते तो बेकारी का भी हल हो जाता। आज इस प्रदेश की जो उद्योग नीति है, जो लायसेंस और क्रेडिट की नीति है उससे इस देश को बड़ा घाटा हुआ है। सन् १९६३ से १९६७ के बीच में यहां टाटा ने ३०० करोड़ रुपया कमाया और बिड़ला ने भी तीन सौ करोड़ रुपया कमाया जिससे इस प्रदेश का कुछ लाभ नहीं हो सका। एग्रो इंडीस्ट्रीज गांव-गांव में होनी चाहिये क्योंकि खेती के लिये ट्रैक्टर्स, पम्पिंग सेट की आवश्यकता पड़ती है और शहरों को उनको बनवाने के लिये दौड़ना पड़ता है। अगर इस तरह के काम गांवों के मुख्य स्थान पर होता तो इस प्रदेश का भला हो सकता था।

छोटे छोटे उद्योगों में लोग परिश्रम से काम करते हैं। उन्हें बैंकों से सहायता मिलनी चाहिये और उनको क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस से सहायता मिलनी चाहिये। अगर इस तरह की बातें हों तो प्रदेश की स्थिति बदल सकती है। इस प्रदेश जो उद्योग धंधे हैं उनमें मुख्य कपड़ा और चीनी के उद्योग हैं जिनके जिम्मे कम से कम ४० करोड़ सरकारी बकाया है। अगर इसकी फौरन् वसूली हो जाती तो इस प्रदेश की स्थिति हल हो सकती है। केवल उत्तर प्रदेश में चीनी मिल के मालिकों पर ४,५६,८३,००० का बकाया है। इस में से देवरिया जिल खड्डा मिल पर १,०२,८५,००० बकाया है। रामकोला मिल पर ३६,४०,००० बकाया है, लक्ष्मीगंज की मिल पर ३१ लाख रुपया बकाया है। भटनी की मिल पर १२ लाख रुपया सरकार का बकाया है और छः लाख रुपया किसानों का बाकी है। देवरिया जिले में गन्ना के काश्तकारों का ढाई करोड़ रुपया बाकी है। मुझे तो यह सूचना मिली है कि इस रुपये को जल्दी न दिया जाय। । इसके लिये मिलमालिक की ओर से यह दरख्वास्त पड़ी है और देवरिया का जिलाधीश उस पर रिकमेंडेशन भेज रहा है कि चीनी बाजार में नहीं बिक रही है, उसकी खपत न होने के कारण वह सस्ती हो गयी है इसलिये वहां के काश्तकारों का जो ढाई करोड़ रुपया बाकी है और जो सरकार का कर्जा है वह माफ होना चाहिये। मैं यह बताता हूं कि देवरिया की चीनी मिल ८ या १० लाख रुपये की लागत से बनी है लेकिन उसमें रिकवरी मशीन पुरानी होने की वजह से ८ या १० परसेंट ही आती है, जब कि दक्षिण भारत में १२ प्रतिशत के करीब वह रिकवरी है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि देवरिया की मिलों से ६ करोड़ रुपया कन्द्र को एक्साइज के रूप में मिलता है और सवा करोड़ रुपया प्रदेश को केन सेस के रूप में मिलता है। जिस समय गन्ना उपकर नियम बना था उस समय यह कहा गया था कि इस रुपयेसे उसी क्षेत्र में बिजली और पानी की व्यवस्था की जायगी लेकिन २२ साल के दौरान देवरिया जिल के लिये कुछ नहीं किया गया। जहां १४ चीनी मिलें वहां कोई नया मिल नहीं खोला गया, पेपर मिल के लिये योजना थी, जूट मिल के लिये योजना थी वह खोली नहीं गई। देवरिया जिले के लिये कोई बड़ा काम नहीं किया गया छोटी गंडक के नदावर घाट पर पुल बनान की बात थी वह नहीं बना। गन्ने के मामले में जो इतनी गड़बड़ी है उसका एक मात्र उपाय है कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाय जिससे मिलों में सरकार का पैसा लगेगा और उसमें से जो आमदनी होगी वह पूरे प्रदेश को मिलेगी। कुल आमदनी जितनी चीनी मिलों से होती है उसका १५–२०½ प्रतिशत केवल देवरिया से होती है।

एक बात की तरफ और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में फिल्मिस्तान बनाया जा रहा है। एशिया का जो सब से बड़ा हवाई अड्डा है उससे दो-तीन मील की दूरी पर यह फिल्मिस्तान बनाया जा रहा है। उसके लिये जमीन एक रुपये गज में दी गयी है जब कि उसी के बगल में ३६ रुपय गज जमीन काश्तकारों को दी जा रही है। उसमें शर्त यह लगायी गई है कि १० वर्ष तक दूसरी फिल्म स्टेट नहीं बन सकेगी और १० वर्ष तक सरकार को जो टैक्स मिलेगा उसका आधा उस उद्योग को दे दिया जायगा। वह कच्चा माल खरीदेगा उस पर कोई सेल्स टक्स नहीं लिया जायगा और साइनों लेबोरेटरी (१) नहीं चलाई जायगी यानी उसमें सिर्फ १५–२० मजदूर काम करेंगे और केवल फोटोग्राफी होगी। हिन्दुस्तान में जहां-जहां फिल्म स्टुडिओ हैं वहां १० या १५ एकड़ जमीन लगी है लकिन यहां पर २७५ एकड़ जमीन लगने का क्या कारण है। उद्योग मंत्री इस पर पुनः विचार करन की कृपा करें कि राजधानी के करीब इस तरह से फिल्म स्टुडिओ नहीं बनायी जानी चाहिये।

अब मैं देवरिया की चीनी मिलों से कितनी आमदनी है उसका इस सदन में चित्र पेश करना चाहता हूं। १ सौ क्विन्टल गन्ने में जितनी चीनी होती है वह साढ़े ९ क्विटल चीनी देता है और तीस प्रतिशत के हिसाब से लगाकर जो चीनी तैयार होती है और इस समय ढाई सौ रुपये क्विन्टल है और अगर उसमें से ७० फीसदी कंट्रोल रट से बेचा जाय तो १,७७६ रुपये मिलेंगे। ३३ क्विटल खोई निकलती है, जो ढाई रुपय के हिसाब से बिकती है, प्रसमड होता है

[श्री हरिबंशप्रसाद]

और शीरा होता है। मैं उद्योग मन्त्री जी से कहूंगा कि पिछले साल १९६७-६८ में पंजाब सरकार ने शीरा १५० रुपया क्विंटल पर लिया था। उत्तर प्रदेश ने इस भाव पर पंजाब सरकार को ५० लाख क्विंटल दिया था। पंजाब सरकार ने इससे बहुत लाभ उठाया। पश्चिमी जिलों के बारे में बताना चाहता हूं कि वहां पर जो खांडसारी से शीरा तैयार होता है उसमें ६० परसेन्ट चीनी शीरे में होती है और उस शीरे से जो अलकोहल तैयार होता है। वह १० परसेन्ट का होता है। इसलिये उससे लाभ अधिक होता है। इसको कुछ लोगों के लिए या कुछ मिलों के लिये या एक निजी धंधा माना जाता है। सरकारी रेट ६७ पैसे है बाजार में ४० रु० है और पंजाब की सरकार ने उसको १५० रु० रेट पर लिया है। अगर पंजाब की सरकार उससे लाभ उठा सकती है तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार उससे लाभ नहीं उठा सकती है? अल्कोहल से मोटर चलता है, इंजिन चलते हैं और दूसरी मशीनरी भी इससे चलने लगी है। मैं चाहता हूं कि उसका लाभ भी उठाया जाय। मिल मालिकों के ऊपर जो रुपया बाकी है इसके लिये सरकार उनको जेल में बन्द करने की बात क्यों नहीं सोचती है? संविद सरकार के जमाने में मिलों पर रुपया बाकी था उसकी वसूली के लिये उसने नोटिस उनको दिया था। इसी प्रकार इस सरकार को वसूली करने की कार्यवाही करनी चाहिये। आपने जो समय मुझे बोलने के लिये दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उद्योग मंत्री जी ने जो उद्योग के लिये अनुदान पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं एक ऐसे जिले से आया हूं जहां पर उद्योग धंधे का नाम भी नहीं है। बड़े पैमाने पर वहां पर कोई उद्योग नहीं है। मैं मानता हूं कि मऊ का नाम आया है परन्तु वह करघा उद्योग के लिये है। थोड़े से बुनकर मऊ और मुबारकपुर के इलाके में करघे का काम करते हैं। आजमगढ़ जिला ७२ मील चौड़ा और ५६ मील लम्बा है और उसकी आबादी २८ लाख की है। मऊ का नाम जरूर आया है लेकिन मऊ में कोई ऐसी फैक्टरी नहीं है। जयपुरिया जी का नाम जरूर आया है कि उस इलाके में कुछ सोच रहे हैं लेकिन आजमगढ़ पच्छिम या दक्खिन इलाके में आप जांय या उसकी तहसीलों का नक्शा देखें तो आपको यह मालूम होगा कि आजमगढ़ में कोई इतना बड़ा उद्योग नहीं है जैसे कि देवरिया या गोरखपुर में है। वहां पर तमाम शुगर फैक्टरियां हैं लेकिन आजमगढ़ में शुगर की फैक्टरी का नाम नहीं है। आजमगढ़ ऐसा जिला है कि वहां के किसान देवरिया के मिलों को अपना गन्ना सप्लाई करते हैं। जौनपुर के रतना मिल को गन्ना देते हैं। वे मिलें अपने रिजर्व एरिया का ही गन्ना लेते हैं और दूसरे किसानों को गन्ना लेने से मना कर देते हैं। पटेल आयोग ने यह सिफारिश की थी कि आजमगढ़ जिला इतना पिछड़ा हुआ जिला है उद्योग के सम्बन्ध में कि उतना पिछड़ा हुआ दूसरा उत्तर प्रदेश का जिला नहीं है। यह पटेल कमीशन की रिपोर्ट है। पटेल कमीशन की जो रिपोर्ट है और उस कमीशन ने जो उसके लिये सुझाव दिये हैं इसे आज तक लागू नहीं किया गया है और वह पटेल कमीशन का काम भी समाप्त हो गया है।

जब चीन की लड़ाई हुई तो पटेल कमीशन का काम समाप्त कर दिया गया। उसने जो सुझाव दिये थे वह भी समाप्त कर दिये गये हैं। सरकार ने वहां पर एक सर्वे भी कराया था लेकिन उसका भी कोई परिणाम आज तक सामने नहीं आया। आजमगढ़ का गन्ना देवरिया और गोरखपुर की मिल नहीं लेती हैं। आजमगढ़ में कोई गन्ने की मिल नहीं है तो फिर क्या किया जाय। जब सरकार से इसके लिये प्रार्थना की गई तो सरकार ने यह कह कर टाल दिया कि चूंकि मीटर गेज है और बड़ी लाइन नहीं है तो फिर सप्लाई अधिक नहीं हो सकती है। मंत्री जी से मैं अपील करूंगा कि प्रदेश में वह आजमगढ़ का भाग ऐसा है जहां पर प्रदेश की उन्नति और वहां की जनता की उन्नति के लिये वहां पर इंडस्ट्री जरूरी है। वहां पर बड़े कारखाने हो जायं तो जो वहां के लोगों के परिश्रम का लाभ दूसरे जिले की इंडस्ट्री जो उठाती हैं वह दूसरे जिले को न जाय। वह फायदा हर साल उस जिले की इंडस्ट्री को ही आयेगा और इस जिले के मुनाफे के लिये ही वह काम होगा।

१९६९-७० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या ४०३ २५—उद्योग, अनुदान संख्या ४१---लेखन सामग्री और मुद्रण तथा अनुदान संख्या ४७---औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय

मान्यवर, एक चीज की ओर और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश उद्योग-धन्धों और इंडस्ट्रीज में पिछड़ा हुआ है। वैसे तो पूरा प्रदेश पिछड़ा हुआ है और पंजाब के मुकाबले में और दूसरों के मुकाबल में उद्योग में बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश की हालत यह है कि अन्य क्षेत्रों में तो हर तरह की फैक्टरी और उद्योग-धंधे दिये जा रहे हैं, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में खाली एक देवरिया और गोरखपुर को छोड़ कर---चाहे वह गाजीपुर हो, जौनपुर हो और अन्य जिले जो बनारस कमिश्नरी में हैं वह औद्योगिक मामले में बहुत ही पिछड़े हुए हैं। उद्योग के मामले में हमारे भाई हबीबुरहमान साहब की जानकारी ज्यादा है, लेकिन करघा उद्योग के लिए इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से उतना प्रोत्साहन नहीं मिला है जितना मिलना चाहिए। इसलिए बुनकर बहुत गिरी हालत में हैं। इस संबंध में पटेल कमीशन के अन्तर्गत जो सुझाव दिये गये हैं मेरा निवेदन है कि उनको चालू किया जाय और फरटीलाइजर और कृषि के इम्पलीमेंट्स के कारखाने खोले जायं ताकि इतने बड़े जनपद और आबादी का भला हो सके।

श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़)---

मोहतरिम स्पीकर साहब, मुझे खुशी है कि आपने मुझे सनअत की मांग पर कुछ कहने का मौका दिया। यह बात अपनी जगह पर बिल्कुल सही है कि हमारी सरकार ने मुल्क की गरीबी दूर करने के लिए, बल्कि उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी जिले हैं उनकी कुछ हद तक कोशिश की है। इसमें शक नहीं, जैसा कि हमारे उद्योग मंत्री जी ने कहा, हमारा प्रदेश किसानों का प्रदेश है। लेकिन अगर इस प्रदेश की गरीबी और बेकारी को दूर करना है तो सनअत की तरफ तवज्जह देनी होगी। मोहतरिम डिप्टी स्पीकर साहब, २२ वर्ष हो गये मुल्क को आजादी मिले, लेकिन खास तौर से हमारे सूबे में जितनी तरक्की सनअत की होनी चाहिए उतनी नहीं हुई। नतीजा यह हुआ कि और प्रदेशों के मुकाबले में हम और पिछड़ गये और हमारी गरीबी और बढ़ गयी। इस सिलसिले में बहुत सारी सनअतों की बात न करके एक बात कहना चाहता हूं कि सन ५२ में करघा सनअत के ऊपर एक बड़ा संकट आया और ऐसा मालूम होता था जैसे पूरे सूबे में यह सनअत तबाह हो जायगी, करघे से बुने कपड़े की मांग नहीं रह जायगी, बाजार नहीं रह जायगा। उस वक्त स्व० पं० गोविन्द वल्लभ पन्त जिन्दा थे उन्होंने बुनकरों और मरफद सनअत पर खास तवज्जह दी।

इस प्रदेश में हैंडलूम बोर्ड बनाया गया, उसके सुझाव आये, उनको लेकर एक बड़ी तब्दीली की गयी। पावरलूम और मिलों के ऊपर प्रतिबन्ध लगा कि रंगीन कपड़े और चौड़ी किनारी की साड़ियां न तैयार करें। नतीजा यह हुआ कि हमारी सनअत बहुत ज्यादा आगे बढ़ने लगी और सन ५५ में जब मैं कलकत्ता में गया तो वहां देखा कि मंगल हाट जो सब से बड़ा हाट है वहां मद्रास के मुकाबले में यू० पी० का और खास तौर मऊ की करघा इंडस्ट्रीज का तयार हुआ कपड़ा हमारा ज्यादा अच्छे डिजाइन में था और पूरी मार्केट में छाया हुआ था। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि मंत्री जी इसको नोट करें, कि आज कर्घे की सनअत पीछे की तरफ जा रही है और जो स्टेट हैंडलूम बोर्ड बना था उसका कोई वजूद कई वर्षों से नहीं है। यह करघा उद्योग के साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है। मैं उस मंगलाहाट का नाम लेना चाहता हूं कि अब वहां पर करघा के कपड़ों की मारकेट में मद्रास की कर्घा सनअत छायी जा रही है और उनका माल सस्ता पड़ रहा है। मद्रास सरकार ने हैंडलूम सनअत की तरफ जैसी तवज्जह दी वैसी हम नहीं दे सके हैं।

श्री त्रिवेणी राय ने पटेल कमीशन का जिक्र किया है। पार्लियामेंट के अन्दर पूर्वी जिलों की गरीबी का चित्र खींचते हुए हमारे गाजीपुर के एम एम० पी० साहब ने बहुत कुछ कहा था और उसका नतीजा यह हुआ कि पटेल कमीशन बना और उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पूर्वी जिलों में ऐसी गरीबी है जिसके बारे में सोचा तक नहीं जा सकता। उसकी सिफारिशें आयीं जो नये-नये उद्योग लगाने और वहां की करघा सनअत को तरक्की भी देने के लिए थीं। मुझे बड़े

[श्री हबीबुर्रहमान]

अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पटेल कमीशन की सिफारिशों के तहत बुनकरों के लिए उत्तर प्रदेश में ३५ लाख रुपया केन्द्र से आया और वह खर्च नहीं हुआ और वह रुपया सेन्ट्रल गवर्नमेंट को वापस गया। यह उस वक्त हुआ जब कि हमारे प्रदेश के अन्दर पावर लूम इंडस्ट्री बहुत पिछड़ी थी और उसके लिए रुपये की काफी जरूरत थी। हमारी गवर्नमेंट ने यह तय किया कि इस प्रदेश में जहां जहां बुनकर आबादी है वहां पावर लूम लगावेंगे। पावर लूम सोसाइटी बनी। उन्हें मकान के लिए, मशीनें खरीदने के लिए पैसा दिया गया। लकिन कारोबारी सरमाया नहीं दिया गया और यह कहा गया कि रुपया नहीं है। अशोक मेहता रिपोर्ट के अन्दर यह कहा गया था कि पावर लूम को तरक्की देने के लिए जरूरी है कि हर पावर लूम पर कम से कम पांच हजार रुपया कारोबारी पूंजी दी जाय। लेकिन एसा नहीं हुआ। मऊनाथ भंजन में पावर लूम सोसाइटी बनी और मेरे ख्याल में १२, १५, १८ की तादाद में पावर-लूम फैक्टरियां बनीं जिन्हें मकान के लिए, मशीनों के लिए, रुपया दिया गया लेकिन कारोबारी सरमाया नहीं दिया गया। नतीजा यह हुआ कि जितनी पावरलूम सोसाइटी बनी उनके पावर-लूम अब किराये पर चल रहे हैं, पूंजीपति फायदा उठा रहे हैं अगर उसी ३५ लाख रुपय में से इन सोसाइटियों को कारोबारी सरमाया दे दिया गया होता तो यह पोजीशन न पैदा होती पूर्वी जिले गरीब जिले ह। इसको ध्यान में रखते हुए हमारी सनअती पालिसी होती और ऐसी स्कीम बनाते जिससे यहां की गरीबी दूर होती और बेकारों व बेरोजगारों को काम मिलता, रोटी रोजी मिलती।]

यह सही है कि हमारे यहां खेती के ऊपर ज्यादातर लोग गुजर बसर करते हैं। लेकिन खेती पर जितना बोझ बढ़ गया है उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। अब तो यह जरूरी है कि जो बोझ खेती पर है वह दिन पर दिन कम हो और वह तभी होगा जब कि लोग उद्योग में लगेंगे। इसका नतीजा यह भी होगा कि हमारे यहां गरीबी दूर होगी। लेकिन हमारे यहां ऐसी चीज होती हैं कि बजाय गरीबों को फायदा होने के अमीर को फ़ायदा पहुंचता है। सरकार की पालिसी ऐसी रही है जैसे लालची किसान या लालची व्यापारी सुनहरी मुर्गी को एक दफा जिबह करके सारे अंडे एक बार निकाल लेना चाहता है।]

करघा उद्योग की चीजें जैसा कि आंकड़ों के देखने से पता चलता है देश के बाहर जाती हैं और उससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। लेकिन बजाय इसके कि उसकी मदद करते। (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन, दो मिनट और बोलूंगा। उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगा दिया गया है। मुरादाबाद की बरतन इंडस्ट्री वहां की ऐसी इंडस्ट्री ह जो बहुत ज्यादा मिकदार में सामान बनाती ह और वह सामान बाहर भी सप्लाई होता है और विदेशी मुद्रा हमार प्रदेश को को मिलती है लेकिन मुरादाबाद के भाइयों ने बताया कि जो पार्ट्स वहां बनते हैं फिनिश होने के पहले, भटठे पर जो बर्तन तैयार किये जाते हैं उस पर भी सेल्स टैक्स लगाने की बात है। अगर इस तरह का कोई कदम उठाया गया तो यह बड़ा खराब कदम होगा। जिस तरह से यह प्रश्न था कि बनारसी कपड़े पर सेल्स टक्स लगाया जाय लेकिन उसे गवर्नमेंट ने वापस ले लिया उसी तरह से दरियों आदि के ऊपर जो सेल्स टैक्स लगाया गया है उसे खत्म होना चाहिए। उससे ज्यादा से ज्यादा आमदनी कुल तीन लाख रुपये या पांच लाख रुपये होगी। यह कोई बड़ी रकम नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे उद्योग मंत्री इस बात की कोशिश करेंगे और इसको कैबिनेट के अन्दर रख कर मनवायेंगे कि जो सेल्सटैक्स दरियों आदि पर लगा है वह खत्म हो जाय।

मऊनाथ भंजन के अन्दर सरकार ने एक फैक्ट्री बनाई थी रंगाई और कैलेन्डरिंग की। फैक्ट्री बेकार पड़ी है और उसका इस्तेमाल नहीं हो सका। आज एक आदमी जो अमेरिका में काम करता है और इस काम में माहिर है वह इसको लेना चाहता है। वह उद्योग मंत्री जी मुख्य मंत्री जी से भी मिल चुके हैं। लेकिन हमारे यहां यह है कि जो अच्छे दिमाग के लोग होते हैं वह भाग कर बाहर जाते हैं और एक आदमी जो बाहर से यहां आना चाहता है और इस फैक्ट्री को नये ढंग पर लगाकर सनअत को फायदा पहुंचाना चाहता है उसको काम करने का मौका

नहीं देना चाहते। मुझे इत्तिला मिली है कि वह फैक्ट्री उसे न देकर दूसरे आदमी को देने वाले हैं जो इस काम को बिलकुल नहीं जानता। मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्री की इस ओर तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि अगर एक आदमी जो विदेश में इसका काम कर रहा है और वह यहां काम करना चाहता है तो उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए और अगर इस तरह की पालिसी हमने नहीं अपनाई तो नतीजा यह होगा कि जो अच्छे आदमी हैं, कलाकार हैं काम को जानने वाले हैं वह बाहर चले जायेंगे।

मैं एक बात फिर मऊ और आजमगढ़ की तरफ लौटते हुए माननीय उद्योग मंत्री से आपके जरिए से कहना चाहता हूं कि जो आंकड़े रखे गये उनसे पता चलता है कि हैन्डलूम सोसाइटीज की तादाद बढ़ती रही है। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वह इस बात को निगाह में रखें कि जो पिछले वर्षों में सोसाइटियां बनी हैं उनमें बहुत सी बोगस बनी हैं। कर्जा लेने के लिए दूसरे नाम से सोसाइटियां रजिस्टर्ड कराई गई हैं। सोसाइटियों का रजिस्ट्रेशन कोई हथकरघे उद्योग के फायदे के लिए नहीं होता है। साथ ही साथ में चाहूंगा कि जब मंत्री जी इस प्रस्ताव के ऊपर अपना जवाबी भाषण करें तो वह अपने भाषण में इस बात की घोषणा कर दें कि इस सनअत की तरक्की के लिए हैन्डलूम बोर्ड को शीघ्र गठित करेंगे ताकि वह अच्छे सुझाव इस सनअत की तरक्की के लिए दे सकें।

श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान के समर्थन में खड़ा हुआ हूं और आपके द्वारा माननीय उद्योग मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जो अविकसित क्षेत्र हैं, इस विकास के युग में उनका औद्योगीकरण होना अत्यन्त आवश्यक है। लेकिन हमारा जो मौजूदा ढांचा चल रहा है, जहां एक ओर इस साइंस के युग में मानव चन्द्रमा पर पहुंच चुका है वहां मैं समझता हूं कि हमारी जो उद्योग की नीति है इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से आता हूं वहां का हाल बताना चाहता हूं। उद्योग के नाम पर जहां अनेक प्रकार की योजनाएं चल रही हैं वहां अभी भी देहाती क्षेत्र में कोई फायदा नहीं हो सका है। वित्त मंत्री जी के भाषण में मैंने देखा, उन्होंने माना है कि शहर और देहाती क्षेत्र को जोड़ने के लिए यातायात के साधनों की आवश्यकता है। अगर देहात को यातायात के साधन नहीं मिलेंगे जिससे कि वह शहर से सम्पर्क स्थापित कर सके और माल को मार्केट में ला सके तो मैं समझता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों को उद्योग से कोई फायदा नहीं हो सकता।

पर्वतीय क्षेत्रों से लाखों-करोड़ों रुपए का रा-मेटीरियल सप्लाई होता है जब कि उससे सम्बन्धित उद्योग अगर उसी क्षेत्र में स्थापित कर दिया जाय तो उस क्षेत्र का सुधार हो सकता है और गरीबी मिटाने का सवाल पर्वतीय क्षेत्रों में फैक्टरियां लगाने से हल किया जा सकता है। आज हम देखते हैं, खास तौर से पिथौरागढ़ से लोहा और खड़िया दूसरे क्षेत्रों को जा रहा है। अगर वह उद्योग प्लेन्स के बजाय वहीं रखे जाते पर्वतीय क्षेत्रों में तो अच्छा होता। मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र में ऐसे स्थान मौजूद हैं जहां लोहा, तांबा की खानें पुराने जमाने की मौजूद हैं और पुराने लोग मौजूद हैं जो इन उद्योगों को भली प्रकार से समझते हैं। ऐसे लोगों को उन उद्योगों के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। होता क्या है? करोड़ों रुपया आज उद्योगों के नाम पर दिया जाता है, लेकिन ३० प्रतिशत भी रुपया अच्छी तरह से यूटीलाइज नहीं हो पा रहा है। जिला स्तर पर समितियां बनाई गई हैं और ब्लाक समितियों के द्वारा प्रार्थियों की दरख्वास्त जिला उद्योग अधिकारी के पास जाती हैं। लेकिन वास्तविक लोगों को ऋण या अनुदान नहीं मिल पा रहा है।

यही नहीं बल्कि जो रुपया शासन से उद्योग के नाम पर दिया जाता है उसका भी दुरुपयोग होता है। आडिट रिपोर्ट १९६८ को मैंने पढ़ी है। ऋण के नाम पर, अनुदान के नाम पर

[श्री इन्द्रलाल]

लाखों रुपया दिया गया है और इस आडिट रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि उसका आधा रुपया भी यूटीलाइज नहीं हो पाया है। इससे यह अनुभव किया जा सकता है कि जिस उद्देश्य से मंत्री महोदय ने यह योजना बनाई है, जब तक उसको वास्तविक रूप से कार्य रूप में परिणित नहीं करेंगे तब तक पिछड़े हुए क्षेत्रों का, बेरोजगार लोगों का और गिरे हुए समाज का उत्थान नहीं हो सकेगा। सेरीकल्चर डिपार्टमेंट के बाबत में एक बात कहना चाहता हूं। बड़ी अच्छी चीज है। हजारों बेरोजगारों को रोजियां मिलेंगी। लेकिन क्या देखने को मिलता है? सेरीकल्चर डिपार्टमेंट ने जमीन तो खरीदी है, लेकिन जमीन खरीद कर शहतूत के पेड़ कहां लगाएंगे? जहां पर अधिक से अधिक अन्न उपजाऊ भूमि है। वहां बीच में अगर शहतूत का जंगल लगा दिया जाएगा तो उद्योग के साथ-साथ कृषि का विकास होगा या विनाश होगा?

मैं आपको दो तीन केसेज बता सकता हूं जहां पर कि उद्योग के नाम पर गड़बड़ी हो रही है और इस सेरीकल्चर विभाग में विकास नहीं हो रहा है और उससे लाखों रुपये का घपला हो रहा है। मैं आपके सामने बारामंडल तहसील का मामला रखता हूं। वहां पर लोगों को अन्डर ग्राउन्ड हथकंडों के द्वारा बेदखल किया जा रहा है और लोगों के खिलाफ केस चल रहा है। हमारे यहां का क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है और वहां के विकास की ओर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये। वहां की वास्तविकता को गहराई से समझना चाहिये और वहां पर जनता के बीच ऐसे उद्योग लगाना चाहिये जिससे कि वहां का विकास हो सके। हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादातर लोग बढ़ईगीरी और लोहारगीरी का काम करने वाले हैं। आप वहां पर कौन-कौन से उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं इसके लिये समितियों का निर्माण करें जो वहां की स्थिति को देख कर अपनी रिपोर्ट दे सकें। तराई भावर के अन्दर वन विभाग द्वारा दुग्ध उत्पादक लोगों को सताया जा रहा है और जाने क्या-क्या ज्यादतियां की जा रही हैं। इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। एक ओर तो हम वहां पर आर्थिक विकास की ओर ध्यान दे रहे हैं, दूसरी ओर यह लोग वहां के उद्योग मिटाने पर तुले हुये हैं। इन शब्दों के साथ में इस अनुदान का समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी से पुनः प्रार्थना करता हूं कि वे हमारे यहां के पिछड़े हुये क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान देने की कृपा करें।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)

मान्यवर, २२ साल से इस सरकार की यह नीति रही है कि औद्योगिक विकास के द्वारा प्रदेश का विकास किया जाय, राष्ट्र का विकास किया जाय। इस पालिसी के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की आज क्या हालत है और उसके ऊपर मैं एक निगाह डालना चाहता हूं। स्टेट गवर्नमेंट के एक जिम्मेदार आदमी, स्पोक्समैन, का एक बयान २३ अप्रैल के आगरा के अंग्रेजी पत्र में छपा है। उससे पूरे उत्तर प्रदेश का नक्शा आपके सामने आ जायेगा। उन्होंने कहा है कि यू० पी० इन्डिया की पुअरेस्ट (सब से गरीब) स्टेट है। उन्होंने उसकी कुछ डिटेल्स भी बतलायी हैं। उन्होंने कहा है कि यहां की पर कैपिटा इनकम सब से कम है और कुछ जिलों में वह ५० पैसे प्रतिदिन है। उन्होंने कहा है कि २९ जिले हमारे यहां के ऐसे हैं जिनकी पर कैपिटा एनुअल आमदनी १४६ रुपये है।

२२ जिले ऐसे हैं बैकवर्ड इस स्टेट के अन्दर "यू० पी० क्लेमिंग २२ आफ दि ५८ मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्टस आफ दि कन्ट्री"। तो पूरे देश में ५८ बैकवर्ड जिले हैं जिनमें २२ जिले बैकवर्ड उत्तर प्रदेश के अन्दर हैं। इससे यह पता चलता है कि हमारे सूबे की आर्थिक दशा क्या है। इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यह है जो पालिसी बनी "डेवलपमेंट थ्रू इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट" इस पालिसी के अन्तर्गत क्या हुआ? हमने रुपया बहुत खर्च किया, बहुत ज्यादा, कोई कसर उठा कर नहीं रक्खी। अगर अपने देश के अन्दर रुपया नहीं था तो विदेशों से लाकर दिया। पर उसका इन्सेन्टिव

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किसको मिला, बड़े बड़े लोगों को मिला, कैपिटेलिस्टों को मिला। इसको तस्लीम किया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट में। देश की आमदनी बढ़ी है लेकिन वह बढ़ी हुई आमदनी कहां गई यह मैं नहीं कहता कि कहां गयी। इसलिये नहीं कि उनका ताल्लुक था पूंजीपतियों से। लेकिन बात यह है कि वह जितनी भी अधिक प्रदेश की मुद्रा लगाई गई देश की प्रदेश की इन्कम बढ़ाने के लिये उसका फायदा कुछ चन्द लोगों को हुआ, चाहे वे टाटा हों, बिरला हों, चाहे उत्तर प्रदेश के जयपुरिया हों या सिघानिया हों, इनको फायदा हुआ।

आज से बीस साल पहले इन पूंजीपतियों के पास कितने-कितने कारखाने थे और आज बीस साल के बाद कितने-कितने कारखाने हो गये हैं तो नक्शा सामने आ जायेगा कि चौगुने और पंचगुने कारखाने इनके पास हो गये हैं। तो इससे सब जाहिर है कि सरकार की पालिसी का फायदा पूंजीपतियों को मिला और दूसरी तरफ २२ जिले पिछड़े रह गये। देहात का पर कैपिटा इन्कम नहीं बढ़ी। आज देहात के अन्दर जो आदमी इन्डस्ट्रियल यूनिट कोआपरेटिव के रूप या किसी भी तरीके से लगाना चाहते हैं तो उसके लिये मंत्री जी का कहना है कि बजट के अन्दर जिले जिले में डस्ट्रियल अधिकारी बना दिये गये हैं। इन्डस्ट्रियल आफिसर्स मुकर्रर किये गये हैं कि वे मदद दें, सहायता दें लेकिन उनकी हालत क्या है। उन दफ्तरों में जाकर देखें कि पहले अगर रुपया पैसा नहीं देता है तो उस कम पढ़ लिखे आदमी को उस गांव के आदमी को जो कोई अपना यूनिट बनाना चाहता है पंचायत के लेबिल पर या जो शहरों में कोआपरेटिव यूनिट बना कर चलाना चाहता है, कोई इन्सैन्टिव नहीं मिलता है।

श्रीम , सकी मिसाल मुरादाबाद शहर है। जब यूटीलाईजेशन सर्टिफिकेट मांगा गया, वहां बरतनों का काम होता है, जो सिर्फ यूटीलाईजेशन सर्टिफिकेट थे, उसका प्रोफार्मा लेने के लिये बीस बीस रुपये का प्रोफार्मा बिक गया और वह प्रोफार्मा छोटे लोगों के हाथ नहीं आया। जो स टेर्स हैं फर्जी भटियां बना रहे हैं एक-एक के कुटुम्ब में दस-दस प्रोफार्मा बना कर भेजे गये। जब सर्वे हुआ तो पता चला कि सात सौ आठ सौ दरख्वास्तें कुल थीं .....

श्री उपाध्यक्ष--

रुक जायें, कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रियासत हुसैन--

तो मैं यह कह रहा था कि इन्सेन्टिव आप उत्तर प्रदेश में किसको देते हैं। अभी एक और इन्सेन्टिव की मिसाल मैं आपको बताऊं। नैनीताल जिले के यूकलिप्टिस के पेड़ बिरला ब्रदर्स को दिये गये और किस भाव पर दिये, २२ रुपये टन के भाव पर यूकलिप्टिस की लकड़ी दी गई। तीन साल के लिये सौदा हो गया। आगे को और होगा। यह इन्सैन्टिस आपने दिया। लेकिन अगर दूसरी तरफ कोई आदमी कोआपरेटिव बेसिस पर इन्सैन्टिव लेने की कोई कहता है तो उसको कोई इस तरीके का इन्सैन्टिव नहीं मिलता। मिसाल के तौर पर आज अपने प्रदेश में पचास इंडस्ट्रियल एस्टेटस बनी हुई हैं। जब मैंने इन इंडस्ट्रियल एस्टेटस का दौरा किया जिस में लगभग २० करोड़ रुपया खर्च किया हुआ है तो पता चला कि उन इंडस्ट्रियल एस्टेटस में जो पचास साठ के करीब हैं उनमें केवल दस या पन्द्रह शेड ऐसे हैं जिनके अन्दर काम हो रहा है। आखिर ये बनी बनाई इमारतें हैं, बीस करोड़ रुपया खर्च हुआ है तो क्यों नहीं काम करते। तब एक शिकायत मिली कि पहले ये इमारतें चार सौ रुपये किराये पर थीं अब आठ सौ रुपये किराये पर दी गई हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि इन्सैन्टिव मिलना चाहिये और दूसरी तरफ इन्सैन्टिव देने के बजाय किराया बढ़ा दिया गया। बाईस रुपये टन की लकड़ी देकर बिरला को तो इन्सैन्टिव दिया गया पर दूसरी तरफ किराया ही बढ़ा दिया गया तो कैसे विकास होगा रूरल एरिया का।

[श्री रियासत हुसैन]

करल एरिया का विकास तब तक नहीं होगा जबतक कि पंचायत के लेविल पर इंडस्ट्रियल यूनिटस नहीं होंगे। जब तक कि हर पंचायती अदालत के लेविल पर ग्राम सभाओं को मेम्बर बनाकर उनकी सोसायटियां बनाकर सरकार की तरफ से इन्सेन्टिव दिलाकर इंडस्ट्रियल यूनिटस नहीं कायम किये जायेंगे और जिसमें रा मैटीरियल सप्लाई करने की भी जिम्मेदारी हो। जिसका तैयार शुदा माल की बिक्री हो सके। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक गांव में गरीबी दूर नहीं होने वाली है। आपने शुगर इंडस्ट्री को नेशनलाइज करने का जिक्र नहीं किया। आप उनका नेशनलाइजेशन करना चाहते हैं। आप उनको कुछ रुपया देना चाहते हैं। इस बहाने से वे यह कहते हैं कि हमारे कुछ यूनिट अनएकोनामिक हो गये हैं उन्हें बेहतर बनाने की जरूरत है। सन १९५५ में साढ़े चार करोड़ के इन्सेन्टिव के तौर पर आपने शुगर इंडस्ट्रियालिस्टस को दिया। क्या आपको उस में से कुछ वापिस मिला? नहीं मिला। और आज उनकी यह मांग है कि उनके कुछ यूनिट्स अनएकोनामिक हो गये हैं। वह उनमें रिफवरी की परसेंटेज को नहीं बढ़ा सकते हैं और आप उन्हें कुछ रुपया देना चाहते हैं। आप उनको क्यों नहीं अपने हाथों में लेते हैं? क्यों नहीं आप इस इंडस्ट्री को नेशनलाइज करते हैं। आज भी पूर्वी जिलों में किसानों का गन्ना खड़ा रह गया है। वह मिलों द्वारा नहीं लिया जा सका है। अगर आप किसानों की दशा को सुधारना चाहते हैं तो लाजमी है कि आपको उन्हें अपने हाथ में लेना चाहिये।

आज जो हमारे बड़े-बड़े मिल मालिक हैं, उनके ऊपर बड़ी-बड़ी रकम बकाया रह जाती है। जब हमारे वित्त मंत्री जी ने नक्शा बताया था तो उत्तर प्रदेश में ११ करोड़ रुपया सेलटक्स एरियर के रूप में था और वह अब २० करोड़ रुपया हो गया है। अकेले कानपुर में रोलिंग मिल्स पर ७.३६ लाख था, म्यूर मिल पर ६.७१ लाख, जे० के० रेयेन्स मिल पर ९.५४ लाख, महेश्वरी बवी मिल्स जूट पर २.५८ लाख, नन्हूमल ज्योति प्रसाद पर २.९० लाख, कानपुर वनस्पति मिल पर २.५८ लाख, एच० जी० मिश्रा एंड कम्पनी पर २.१३ लाख, यू० पी० रोलिंग मिल्स पर २.०६ लाख और लक्ष्मी रतन कौटन मिल पर यह १.७१ लाख रुपया है। जब ११ करोड़ रुपये की एरियर की रकम बढ़कर २० करोड़ हो गयी है तो यह रकम भी दुगनी हो गई होगी लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही यह सरकार नहीं कर सकी।

दूसरी ओर अगर छोटे-छोटे लोग जिन्हें न इन्सेन्टिव मिल पाता है और न उनको रा मटेरियल ही मिल पाता है वे सेल्स टैक्स या और अदायगी नहीं दे पाते हैं तो उनके वारंट इशू हो जाते हैं कुर्की हो जाती है और उनको जेल में बन्द कर दिया जाता है। अगर आपकी यही पालिसी है तो फिर किस प्रकार से प्रदेश का विकास हो सकेगा। मैं यह समझता हूं कि उत्तर प्रदेश को खास तौर से इस वक्त जरूरत है ट्रैक्टर इंडस्ट्री की। रा मैटिरियल दे कर आप उनसे कोई फक्टरी बनवायें। अगर आपके यहां पर ट्रैक्टर बनने लगेंगे और खेती के इम्प्लीमेंट बनने लगेंगे तो शायद प्रदेश का विकास हो सकेगा। जब तक आप प्रदेश में एग्रो इंडस्ट्री डेवलप नहीं करेंगे तब तक आप प्रदेश में कोई डेवलपमेंट नहीं कर पायेंगे।

इंडस्ट्रीज को चलाने से आप यह उम्मीद करते थे कि अनएम्पलायमेंट दूर होगा। अगर किसी इलाके में कारखाने लगेंगे तो उस इलाके में अनएम्पलायमेंट दूर होगा लेकिन मैं आपके सूचनार्थ बताना चाहता हूं १९६३ में आपके यहां ७ लाख ९४ हजार लोग एम्पलायमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड थे, उनमें से ९,४०० को अर्थात १३ प्रतिशत मंथली एवरेज को आप रोजगार दे सके। १९६८ में एम्पलायमेंट ऐक्सचेन्ज में ५ लाख १९ हजार लोगों ने अपने नाम लिखाये और उनमें से केवल ६,००० को अर्थात १२ प्रतिशत को रोजगार दे सके। इसके मायने यह हुये कि १९६३ में आपने १३ परसेन्ट को रोजगार दिया और १९६८ में यह एक परसेन्ट घट गया। एक ओर तो पूंजीपतियों को सेटिसफाई करने के लिये हम प्रदेश के सेल्स टैक्स एरियर को वसूल नहीं करते हैं और दूसरी ओर हम उसको रुपया नहीं देते जिसको इसकी जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप समझते हैं कि वह पूंजीपति आपके अनएम्पलायमेंट के प्राबलम को देखता है लेकिन ऐसी बात नहीं है। वह तो सिर्फ एक बात देखता है कि वे कौन से तरीके

हैं ब्लैक मार्केटिंग करके, झूठ बोल करके, मक्कारी करके, धोखा देकर, आपको दावतें खिलाकर जिन से उसकी पूंजी अपनी जगह दुगुनी व चौगुनी हो जाय। देश की आमदनी बढ़ती है, देश की गरीबी मिटती है इस से उसको कोई दिलचस्पी नहीं है। उसको एक चीज से मतलब है कि उसकी अपनी आमदनी कैसे बढ़े।

आप यह चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज के मामले में किसी सूरत से इस प्रदेश का विकास ही हो। मैं मुरादाबाद की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। वहां बरतनों का काम होता है और रा-मैटीरीयल पर सारी इंडस्ट्री चलती है जो फारेन कंट्रीज से आता है। लेकिन जो लोग काम करते हैं कारखानों में बरतन बनाते हैं उनको रा-मैटिरियल मिलने का कोई प्रबन्ध नहीं है। जो १०, २० बड़े व्यापारी हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको वह मैटिरियल मिलता है और वह रा-मैटिरियल जाता कहां है? जो छोटे-छोटे कारखाने दार हैं गलियों में काम करते हैं वे उन्हें ब्लैक में बेच देते हैं वे एक्सपोर्टर। जब वह छोटे कारखाने दार उस रा-मैटेरियल का बर्तन बना कर निकालता है तो उस पर टैक्स लगता है और उन्हीं को एक्सपोर्ट किया जाता है।

मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप चाहते हैं कि गरीबी दूर हो, प्रदेश प्रगति करे तो स्माल स्केल इंडस्ट्रीज, काटेज इंडस्ट्रीज जो हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाय। अगर आप यह चाहते हैं कि हालात बेहतर हो तो बराहरास्त सरकार को चाहिये कि जो काम खुद करता है चाहे फिरोजाबाद का कांच का काम हो, इलाहाबाद में तांबे का काम हो, आगरे में जूते का काम हो, मुरादाबाद में बर्तनों का काम हो, उसे इंसैन्टिव मिलना चाहिये, रा-मैटीरियल उसे मिलना चाहिये वर्ना वह निरीह, गरीब गन्दे नाले से निकल कर तरक्की नहीं कर सकता। न वह लिख सकता है, न पढ़ सकता है और न किसी डेवलपमेंट के कार्य में हिस्सेदार हो सकता है और तीन प्लान्स निकल जाने पर उत्तर प्रदेश की हालत रद्दी वही हालत। चौथा प्लान निकलने पर भी रहेगी। चाहे आप उसमें ९५० करोड़ रुपये का खर्च करिये या उस से ज्यादा खर्च जितना रुपया आता है वह उस पूंजीपति के पास चला जाता है। और वह उसे खर्च करता है अपने फायदे के लिये और इसे उसकी कोई परवाह नहीं है देश की गरीबी मिटती है या नहीं मिटती है। इसके लिये मेरा यह सुझाव है कि देहात के अन्दर हर अदालती पंचायत के लेविल पर इंडस्ट्रियल लेविल कायम किये जायं और उनको इंसेन्टिव दिये जायं, उनके माल की खपत मार्केट में हो और इस तरह से इंसैन्टिव दिया जाय उस गरीब का वास्ता चाहे बी० एल० डब्ल्यू० से पड़े अथवा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल आफिसर से वह किसी प्रकार भी करप्शन में मुबतिला न हो सके तभी आप इस प्रदेश का विकास कर सकेंगे वर्ना उत्तर प्रदेश की हालत सुधर नहीं सकती। यह कहकर मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री करन सिंह (जिला खीरी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, चीनी उद्योग हमारे प्रदेश का एक मुख्य उद्योग है। इस वर्ष हमारी जन प्रिय सरकार ने एक अच्छा निर्णय यह लिया कि १ मई से १५ मई तक उद्योगपतियों ने जो गन्ना खरीदा है उस पर ३१ पैसे और १५ मई से ३१ जुलाई तक जो गन्ना खरीदा उस पर ५१ पैसे प्रति क्विंटल की छूट उनको मिलेगी और उनका घाटा सरकार पूरा करेगी। यह पालिसी इस अर्थ में अच्छी है कि प्रदेश में चीनी उद्योग ही नहीं, जितने अन्य उद्योग हैं उनको भी संरक्षण मिल सके और जो घाटा इस प्रकार से होगा उसे सरकार पूरा करेगी। इससे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा और लोग उद्योगों में आगे आयेंगे।

सवाल यह उठता है कि उद्योगपतियों को तो इस तरह से घाटा पूरा करने का मौका मिला लेकिन उसके पीछे जो कच्चा माल पैदा करने वाले लाखों किसान हैं उनके पल्ले में क्या चीज आयी? उनके ऊपर तो चारों तरफ से मार पड़ी। प्रकृति ने गन्ना सूखा दिया और मिल वालों ने सरकार से इतनी अधिक सहूलियत पाने के बाद भी दाम गिराते-गिराते उस स्तर तक ले आये जहां से नीचे एक पाई भी किसी तरह से वे घटा नहीं सकते थे। जून के अन्तिम दिनों में

[श्री करन सिंह]

बारिश शुरू हो गई थी और उस वक्त अगर आप देखें तो प्रदेश भर में ज्यादा दिन तक चलने वाली मिलें लखीमपुर-खीरी और सीतापुर में ही रही हैं। नीचे खेतों में पानी भर गया और कांटों पर जहां गन्ना तुलाने के लिये किसान जाता है वहां भी पानी। खेत से किसी तरह से कीचड़ में गाड़ियां ढकेल-ढकेल कर पी० डब्लू० डी० की सड़क पर किसान ले आये। ट्रक वहां तक जा नहीं सकती थीं। एक अजीब परेशानी थी। एक और दिक्कत किसानों के सामने आयी। उधर बुवाई भी शुरू हो गई लेकिन खरीफ़ का सारा प्रोग्राम खतम हो गया। किसान को कहीं से कुछ नहीं मिला। यह तो अच्छा है कि उद्योगपति का घाटा पूरा हो लेकिन उसके पीछे जो कच्चा माल पैदा करने वाले लाखों किसान हैं उनकी भी तो सुनवाई होनी चाहिये।

यह स्थिति अनायास पैदा नहीं हुई। जिस वक्त रिजर्वेशन की मीटिंग थी गन्ने के बोर्ड आफ़ डाइरेक्टर्स ने बड़े जोर से कहा कि हमारे यहां गन्ना बहुत ज्यादा है और उसका इस तरीके से विभाजन होना चाहिये कि एक निश्चित समय के अन्दर हम अपना गन्ना निकाल सकें। लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गयी। उनसे कहा गया कि इस साल गन्ना कम है और मिलें जल्दी बन्द हो जाने वाली हैं। सोजन में भी किसानों ने मांग उठायी लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गयी। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस बात के भी आंकड़े मंगवाकर देखें कि पैदावार बढ़ी है या क्षेत्रफ़ल बढ़ा है। क्षेत्रफ़ल कम बढ़ा है, प्रति एकड़ गन्ने की पैदावार ज्यादा बढ़ी है। जो पैदावार बढ़ी है उसको बढ़ाने के लिये इस सरकार की तरफ से बराबर किसानों को प्रोत्साहन मिलता रहा है और उसके लिये साधन जुटाये गये हैं। तो फ़िर आपके कहने से अगर किसान अपनी पैदावार इतनी बढ़ा दे और उसकी खपत का प्रबंध आप न कर सकें तो उसमें दोष किसका है? वह केन कमिश्नर जो रिजर्वेशन करता है या वह किसान जो पैदावार बढ़ाता है? जो छूट अपने उद्योगपतियों को दी अगर वही छूट रेलवे के किराये में देते तो उत्तर प्रदेश के किसी भी मिल में, जो पहले बन्द हो गयी थी, लखीमपुर-खीरी का गन्ना ले जाकर पेरा जा सकता था और किसानों के ऊपर जो मुसीबतें आयीं उनसे वह बच जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

हम आपको बतलाना चाहते हैं कि अगले वर्ष भी वहां पर गन्ने की यही दुर्दशा होने वाली है फ़सल अच्छी है। हम इस साल आपसे केवल यही निवेदन करना चाहते हैं कि जितने समय में आपने उद्योगपतियों को उनका नुकसान भरपाई करने का सहारा दिया है उसी समय के भीतर किसानों ने जो गन्ना सप्लाई किया है उसकी भी किसी न किसी तरीके से आप भरपाई करें तभी यह उद्योग अपने यहां पनप सकता है वरना इसके पनपने की कोई गुंजाइश नहीं है।

लखीमपुर के किसान पालिया में एक नई चीनी मिल लगाने के लिये बहुत दिनों से प्रयत्नशील हैं। हमने उसके हिस्से भी लिये हैं। लगातार १०-१२ साल तक जद्दोजहद करने के बाद जब मिल का लाइसेंस मिला तो उसमें ४९ प्रतिशत हिस्सा भी किसानों ने खरीदा। उसके बाद न जाने किन कारणों से बराबर उसके फ़ाऊंडेशन का सवाल टलता जा रहा है। इसका स्थायी हल यही है कि उस मिल को जल्दी से जल्दी लगवा दें। मैं निवेदन करता हूं कि जैसे आपने उद्योगपतियों की ओर ध्यान दिया है वैसे ही उसमें लगे हुये कच्चे माल पैदा करने वाले किसानों की ओर भी ध्यान देवें क्योंकि अगर कच्चा माल नहीं होगा तो खाली चीनी मिलें हो शक्कर नहीं पैदा करेंगी?

इसी तरह से जूट व्यवसाय को भी ले लें। इस उत्तर प्रदेश में जितना जूट पैदा होता है उसका दो तिहाई केवल खीरी जिला पैदा करता है। प्रदेश में ३ जूट मिलें हैं। खीरी जिले में जो जूट वे खरीदते हैं उसे वे कलकत्ता मारकेट में ले जाने की बात कहते हैं। और उसके लिये वे ५ ० प्रति क्विन्टल के हिसाब से किराया का काट लेते हैं। अगर वे उस जूट को सहजनवां या कानपुर भी ले जाते हैं तो क्यों कलकत्ते तक का किराया काटा जाता है। जब उद्योगपतियों को आप इतना संरक्षण देते हैं तो आपका यह नैतिक कर्त्तव्य है कि आप देखें कि कच्चा माल पैदा करने वाले जो किसानों से खीमपुर से सहजनवां या कानपुर तक माल ले जाने पर भी कलकत्ते

तक का किराया कम करने का उनको क्या अधिकार है ? इसके ऊपर आप निगाह करें। मैं बड़ी नम्रता से आप से निवेदन करता हूं कि खीरी जिले में उद्योगों के विकास के लिये बहुत ज्यादा कच्चा माल है। बड़े-बड़े वन हैं। केवल उत्तर खीरी वन खंड से ही सरकार को सवा करोड़ रुपये से भी ज्यादा की वार्षिक आमदनी होती है लेकिन कहीं भी कोई उद्योग चाहे प्लाईउड बनाने या लकड़ी के सीज्ड करने का हो, चाहे कागज का ही हो, या और किसी अन्य चीज का हो कहीं कुछ नहीं सर्वे है। हमारे यहां जो इंडस्ट्रियल स्टेट बना है वह भी लखीमपुर-खीरी के बीच में है जहां खाली इमारतें खड़ी हैं चारों तरफ़ सड़कें हैं लेकिन इंसान के नाम पर वहां कोई नहीं रहता है। मंत्री जी, हमें आश्वासन देते हैं कि छोटे उद्योग धंधों के लिये प्रोत्साहन देंगे। किस प्रकार का प्रोत्साहन आप देंगे यह आपने नहीं बतलाया।

हम आशा करते हैं कि आप आज इस सदन में घोषणा करें कि जहां बिजली पहुंच जाय वहां अमुक समय के अन्दर अगर उस गांव का लोहार या बढ़ई पावर लेने की दरख्वास्त देगा तो उसको आप पावर देंगे। केवल यही काम आप कर देंगे तो कुछ तो उद्योग धंधे गांवों में पनप सकेंगे और इससे गांवों का भला हो जायेगा। खाली आश्वासन जिसमें कोई निश्चित योजना न हो, कोई अर्थ नहीं हुआ करता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि खीरी जिले का औद्योगिक सर्वेक्षण कराया जाय तो आप पावेंगे कि वहां इतनी ज्यादा गुंजाइश उद्योगों के बढ़ाने की है जितनी प्रदेश में शायद बहुत कम जिलों में हो। लेकिन जो भी इंडस्ट्रियल प्रोग्राम बनता है, कहीं पूरब कहीं पश्चिम और कहीं किसी बड़े शहर के आसपास चला जाता है और अवध जो बीच का इलाका है वह बिलकुल अछूता रह जाता है। इस इलाके को आप इस तरह से अछूता न छोड़िये। मैं फ़िर अनुरोध करता हूं कि गन्ना किसानों की ओर आप ज्यादा ध्यान दें और गन्ना किसानों का सूखे आदि से जो कुछ नुकसान हुआ है, उसका उसी सिद्धान्त के अनुसार आप भरपाई करने की व्यवस्था करें जिस सिद्धान्त के अनुसार आपने चीनी उद्योगपतियों के लिये कुछ व्यवस्था की है।

*श्री राम बचन यादव (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का मौका दिया। अभी माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आजमगढ़ जिले के माननीय सदस्यों ने अपने जिले के बारे में बताया। मैं भी आपके द्वारा माननीय उद्योग मंत्री जी का ध्यान आजमगढ़ के पिछड़े हुये क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पटेल आयोग की रिपोर्ट से यह तो स्पष्ट हो ही चुका है कि यह सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। आजमगढ़ ही क्या सभी पूर्वी जिलों की स्थिति असंतोषजनक है। यहां के लोग बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, सिंगापुर आदि इलाकों में जाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, वहां पर वे जिस तरह से अपना जीवन निर्वाह करते हैं, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है, जिन्होंने भी इन पूर्वी जिलों की ओर जाने का प्रयास किया है। यह वह जिला है जहां एक-एक बीघा के ऊपर १०–१० बिस्वा के ऊपर लोग पूरे परिवार का जीवन निर्वाह करते हैं। रात और दिन काम करते हैं और अपनी जीविका उपार्जित करते हैं।

मैं माननीय उद्योग मंत्री जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आजमगढ़ की ओर अवश्य ध्यान दें। इस जिले के निवासी २२ वर्ष की आजादी के बाद भी आज तक दुखमय जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आप लिस्ट देख लीजिये, एक भी उद्योग आपको आजमगढ़ में नहीं मिलेगा। वहां की १५–१६ लाख की आबादी है, लेकिन आपने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। वहां के लोगों ने ऊसर को खोद-खोद कर, बंजर और कंकरीली जमीन को तोड़-तोड़ कर उसमें तिलहन और सन सुतली आदि पैदा करके दूसरे लोगों को देने का प्रयत्न किया है। लेकिन

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामबचन यादव]

स्वतंत्र कहलाने वाले देश ने २२ वर्ष की आजादी के बाद भी आज उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। हमारी ओर हर प्रकार की उपेक्षा की नीति बरत कर पिछड़ा हुआ रहने पर मजबूर किया है। आज तक हम लोग संतोष पूर्वक बैठे हुये हैं। जहां के १४–१४ एम० एल० ए० चुन कर आये हैं, वहां का प्रतिनिधित्व करने के लिये एक भी आदमी मंत्रिमंडल में न हो इसलिये न कोई अधिकारी ही उधर ध्यान देता है और न कोई मंत्री ही देता है। इसका केवल एक ही कारण है कि हम लोगों में संगठन नहीं है। यह वह क्षेत्र है जहां औरंगजेब जैसे बादशाह को सिर टिकवा दिया था।

हमें दुःख है कि हम संगठित नहीं हैं इसी से हमारे शुभ चिन्तक कहलाने वाले लोग भी कुछ नहीं करते हैं। और उपेक्षा की दृष्टि से देखे जाते हैं। न कोई चीनी मिल है और न कोई और उद्योग है। श्री त्रिवेणी राय ने बताया कि देवरिया भेजते होंगे या अन्यत्र अपना गन्ना भेजते हैं। मैं माननीय उपाध्यक्ष, आपके द्वारा माननीय उद्योग मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि आप निश्चित रूप से डिक्लेयर करें कि आजमगढ़ के लिये कुछ करने जा रहे हैं। आज तक २२ वर्ष हो गये लेकिन उसके लिये कुछ नहीं हुआ। संतोष की हद होती है। हम संतोष के साथ हर तरह के जुल्म सहते रहे, उनको बरदाश्त करते रहे। इसके माने यह नहीं है कि हम असमर्थ हैं। लेकिन हम संतोष करना जानते हैं और यह भी समझते हैं कि दूसरों का उपकार करने के बाद हमें सुख मिले तो हमें संतोष है। लेकिन २२ साल के बाद भी अगर आपकी दृष्टि नहीं जाती है तो हम आजमगढ़ के लोग जो वहां से चुनकर जाते हैं, उनके बीच में क्या कहेंगे? आप सोचिए कि आप क्या करने जा रहे हैं।

देवरिया में चीनी मिल है, जौनपुर में हो सकती है और बलिया तथा गाजीपुर में कुछ न कुछ हो सकता है तो आजमगढ़ में क्यों नहीं कुछ होता है। रानीगंज के इलाके में घास तक नहीं जम रही है, फूलपुर में घास तक नहीं जम रही है, वहां के लिये क्या सोच रहे हैं, वहां के लोग किस तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको क्या देना चाहते हैं। वहां के लोग आपको लगान नहीं दे पाते हैं और अपना पेट काटकर भी टैक्स देने में असमर्थ हैं। आजमगढ़ के लोग मलाया और सिंगापुर में जाकर १५ / १५ साल तक अपने परिवार से अलग रह कर पैसा भेजते हैं। उनसे भी जिला परिषद् के माध्यम से टैक्स लिया जाता है। वह बिचारे संतोष करके दे देते हैं। उनको इस भूमि से क्या प्रेम हो सकता है जब आप उनको कोई सुविधा ही नहीं देते हैं। उनके पास और कोई जरिया नहीं है जिससे वे अपना जीवन निर्वाह कर सकें। हमारे यहां प्रतिनिधि हैं। हमें संतोष कैसे हो। आप संतोष दिलाइए। आप कुछ न कुछ आजमगढ़ के लिये जरूर कीजिये। इन शब्दों के साथ मैं अनुदान का समर्थन करता हूं और उपाध्यक्ष महोदय का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बड़ा अनुग्रहीत हूं। मैं मंत्री जी के उद्देश्य का समर्थन करता हूं और उनको बधाई इसलिये देता हूं कि वह अनुभव करते हैं कि प्रदेश की गरीबी को दूर करने के लिये तथा खेती पर से भार कम करने के लिये उद्योग धन्धों का विकास हो। विरोधी दल के भाइयों का कहना भी सही है कि जो हमारे प्रदेश का विकास हुआ है, जो तरक्की हुई है, उससे मुनाफा चन्द थोड़े लोगों को ही हुआ है और कांग्रेस की तथा सरकार की जो नीति है उससे समाजवाद के संबंध में उनको संदेह है। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की नीति के संबंध धोखा नहीं है। आप देख रहे हैं कि जब से देश के अन्दर बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है तब से देश में काफी चहल पहल है और लोगों को विश्वास हो गया है कि कांग्रेस झूठी बातें नहीं कह रही थी बल्कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने यह साबित कर दिया है कि यह पहला कदम है समाजवाद की तरफ। कल ही हमारे प्रधान मंत्री का जो बयान निकला था उसमें यह कहा है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद जो हमारे देश के अन्दर रिक्शेवाले हैं, या अध्यापक हैं, या अन्य लोग हैं जिनकी आमदनी कम है, उनको ऐसे साधन दिये जायेंगे कि वह अपना धंधा कायम कर सकें

और अपना रहन-सहन ऊंचा कर सकें। यह बड़े संतोष की बात है। अब कांग्रेस की समाजवाद की नीति में कोई संदेह नहीं है। हमारा विश्वास है कि एक के बाद दूसरा कदम समाजवाद की तरफ उठता जायेगा।

विरोध पक्ष के एक सदस्य ने कहा कि यू० पी० में राउरकेला और भिलाई की तरह कारखाने नहीं हैं। मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि कोई भी कारखाना खुलता है तो वहां प्राकृतिक साधनों और कच्चे माल की उपलब्धि को देखकर खोला जाता है। बड़े-बड़े कारखाने वहां खोले गये जहां के लिये उपयुक्त थे। अब मैं प्रदेश और प्रदेश के अन्दर जो खीरी जिला के हालात हैं उनकी बात कहना चाहता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं कि खेती पर भार ज्यादा है प्रदेश में और जिले के अन्दर ८०-८५ फीसदी लोग खेती पर निर्भर करते हैं। या तो वे सीधे खेत पर काम करने वाले हैं। यह खेतिहर मजदूर हैं, खेती से लग हुए हैं। इसके साथ साथ जन संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। इसलिये जो विकास होता है उसका पूरा फायदा नहीं मिल पाता है। इसलिए अपने जिले के विकास के संबंध में मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

हमारे जिले के अन्दर जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता भाई करण सिंह ने कहा, चीनी उद्योग में बड़ी दुर्दशा है, और बड़ी धांधली है। एक तो सरकार ने जो बीज, खाद आदि के विकास के के साधन किसानों को दिये, उनको जुटाने से हमारे यहां गन्ने की काश्त बहुत बढ़ गई है और गन्ने का जो शुरू में वितरण होता है वह बहुत गलत किया जाता है। हिन्दुस्तान शुगर मिल एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल है, लेकिन जिस क्षेत्र में उसकी मोनोपली है उसमें लाखों मन गन्ना खेतों में सड़ गया। मैं चाहता हूं कि शुरू में वितरण सही किया जाय। मेरा विश्वास है कि जब सरकार ने गन्ने की फसल को बढ़ावा दिया है, और जब कि गन्ना किसान के पास अपनी फसल को पेरने का टाइम नहीं है, तो मेरा सुझाव है कि जैसे पश्चिमी जिलों में किसानों को हक है कि वह अपना क्रशर लगा लें, मध्य जिलों में भी हरगांव और गोला चीनी मिलों की मोनोपली खत्म करने के लिये अधिक से अधिक क्रशर दें ताकि काश्तकार अपनी फसल को पेर सके और टाइम से पेर सके। हिन्दुस्तान शुगर मिल गोला में बड़ी धांधली है। वहां शुरू में जितनी रिकवरी थी, उतनी ही आखिर में थी लेकिन इसके बावजूद भी उसने गन्ने का रेट घटा दिया है। माननीय मंत्री जी उस ओर ध्यान देंगे। गन्ने के धन्धे में हमारे दो मंत्रियों की जिम्मेदारी है। गन्ने का विकास एक मंत्री के पास है और गन्ने खरीद का विषय दूसरे मंत्री के हाथ में है। अच्छा तो यह हो कि दोनों भाग गन्ने का विकास और गन्ने की परचेज दोनों एक मंत्री के संरक्षण में हों।

मुझे एक सुझाव देना है। जिला खीरी में कागज की मिल की काफी बड़ी संभावना है। वहां दो तीन चीनी मिलें हैं, जहां खोई का अम्बार लगा हुआ है, जंगलात काफी हैं, इक्विलिप्टस के दरख्त लग रहे हैं, कच्चा माल काफी है, पानी की कमी नहीं है। शारदा और घाघरा गोमती नदी बहती है। वहां कागज का धन्धा बहुत अच्छा चल सकता है। इससे हमारे देहात के लोगों को रोजी मिलेगी। उसके अलावा ओयल और कैमहरा में फूल के बर्तन बनाने का धन्धा मृतप्राय हो गया है, इसलि उन्हें पुनर्जीवित करने की सरकार कृपा करे, ताकि लोगों को वहां पर कारोबार मिल सके। इन बातों के साथ मैं मंत्री जी की मांग का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री मुंशीलाल चमार (जिला मैनपुरी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी द्वारा सरकार को मुझे यह बता देना है कि इस प्रदेश

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुंशी लाल चमार]

की जनसंख्या में सबसे ज्यादा बड़ी आबादी हमारे किसान भाइयों की है। इधर हमारी सरकार उद्योग चलाने की बात तो करती है, उधर बन्द पड़े हुए मिल और कारखाने के संबंध में कोई विचार आज तक नहीं किया है। साथ ही साथ में इस प्रदेश की जनता, जो ८० प्रतिशत काश्तकार और मजदूर वर्ग की हैं, उनके लिये उद्योग धन्धे चलाने के लिये जो आपके यहां की बिजली के कनेक्शन मिलने थे वह हमारे जिलाधीशों द्वारा ५ हार्सपावर का भी कनेक्शन देना बन्द कर दिया गया है। साथ ही साथ में आपके सामने सरकार को यह बताना चाहता हूं कि बेचारे किसान को अप्लीकेशन्स दिये हुए ६-६ महीने और साल के साल गुजर जाते हैं लेकिन उन्हें ट्यूबवेल्स के लिये परेशानियों के बाद भी कनेक्शन नहीं मिल पाते हैं। उन्हें उद्योग-धन्धे चलाने के लिये सरकार ने बिजली देने की व्यवस्था बन्द कर रखी है।

हमारे लघु उद्योगों के लिये, ग्रामीण किसान को उद्योग-धन्धे चलाने के लिये बिजली इत्यादि की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उद्योग धन्धे चलाने के लिये तुरन्त ही जिलाधीशों को आर्डर दिये जायं कि काश्तकारों के लगे हुए ट्यूबवेल सेट में उद्योगधन्धे चलाने के लिये—आईस केडी या चक्की आदि लगाने के लिये बिजली के कनेक्शन दें। हमारी सरकार ने डी० एम० को यह अधिकार दे रखा है कि ५० हार्स पावर तक के कनेक्शन वह दे दिया करेंगे। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने वहां अप्लीकेशन लेकर उनके नम्बर लगा रखे हैं, जो कि दो-दो और तीन-तीन वर्षों में भी उनका नम्बर नहीं आ सकता है। मैं चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था की जाय कि इन क्षेत्रों से चुनकर जो विधायक लोग आते हैं वह भी बिजली के कनेक्शन देने के अधिकारी हो सकें। इससे किसानों की काफी समस्या दूर हो जायेगी। साथ ही साथ जिला उद्योग अधिकारी के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उद्योग धन्धा चलाने के लिये ऋण दिया जाता है, किन्तु बेचारे किसानों को ऋण प्राप्त करने के लिये सौ-सौ और दो-दो सौ रुपया खर्च कर देना पड़ता है तब वह कहीं २ या ३ हजार रुपया उद्योग धन्धा चलाने के लिये प्राप्त कर पाते हैं जो कि न के बराबर है। इतनी रकम खर्च करने पर इतना थोड़ा ऋण मिले यह कोई उनके साथ इंसाफ नहीं है। साथ ही साथ बड़े-बड़े उद्योगपतियों को १००-१०० हार्स पावर के कनेक्शन सरकार की ओर से दिये जाते हैं, उधर हमारे ग्रामीण जनता को १०-१० पावर के कनेक्शन भी उद्योगों के लिये नहीं दिये जाते हैं।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा सरकार से कि फौरन जिलाधीशों के यहां आदेश भेज कर लघु उद्योगों के लिये ग्रामीण जनता को बिजली देने की व्यवस्था करें ताकि उद्योग-धन्धों को चला कर ग्रामीण जनता आगे बढ़ सके।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह बताना चाहता हूं कि हमारी जनता उद्योग-धन्धों में इस कदर पिछड़ी हुई है और हमारा इलाका वह इलाका है जिला मैनपुरी में जहां कोई बड़ा उद्योग-धन्धा नहीं है। आपके माध्यम द्वारा इस जिले की जनता के लिये मैं उद्योग मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में भी कोई ऐसा उद्योग धन्धा या कारखाना स्थापित किया जाय जहां गरीब मजदूर काम करके अपना जीवन निर्वाह कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री मुंशी लाल चमार—

श्रीमन्, मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और आपने मुझे इस पर बोलने का समय दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

*श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उद्योग मंत्री जी द्वारा जो अनुदान प्रस्तावित है उसका समर्थन करना चाहता हूं। माननीय उद्योग मंत्री जी से मैं बहुत प्रभावित हूं। श्रीमन्,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में स्वयं ही नहीं उस तरफ़ के लोग भी अब यहां न कहें लेकिन वह भी मंत्री जी से प्रभावित जरूर हैं। उनकी कारगुजारी और उनकी लोकप्रियता का मैं कायल हूं। मैं उनसे इसी आशा से निवेदन करना चाहता हूं और वह निवेदन श्रीमन् यह है कि अपने प्रदेश में सबसे बड़ा उद्योग चीनी का है। उस चीनी के उद्योग को जनता के हाथ में सुपुर्द करें यह प्रस्ताव श्रीमन् माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में पेश करने के लिये कहा था और यह कहा था कि इसका उन्हें अधिकार नहीं है। श्रीमन् इतनी अक्ल हममें है। मैं समझता हूं कि सोलह आने उन्हें यह अधिकार नहीं है लेकिन श्रीमन् उनको यह अधिकार है कि हम यहां प्रस्ताव स्वीकार कराएं और भारत सरकार से कहें कि अब आवश्यकता इस बात की है कि यह चीनी मिलें या चीनी उद्योग निजी लोगों के हाथों में न रहे। यह निकम्मे हाथ हैं और इन्होंने इतना कमाया है कि इनका अंग-अंग सड़ गया है। इनको सुधारने की अगर किसी के पास ताकत है तो वह सरकार के पास है। कुछ लोगों का ऐसा भी ख्याल है कि सरकार के हाथ में आकर सारा काम बिगड़ जाता है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं। मैं समझता हूं सरकार के ऊपर सारी जिम्मेदारी आती है। आज इस प्रदेश में चार पांच सहकारिता के क्षेत्र में चीनी मिलें हैं और आज तो ७०-८० के करीब सारे भारत में चीनी मिलें हैं जो सरकार के हाथों में नहीं हैं बल्कि सहकारिता में हैं और उसमें सरकार का हाथ बहुत बड़ा हाथ है और उनकी कारगुजारी पर तो म आपसे निवेदन करूंगा, उद्योग मंत्री जी ने भी कहा था, वे कुछ इधर के सदस्यों को और कुछ उधर के सदस्यों को अपनी अच्छी बनी हुई बसों में बैठा कर बाजपुर और मझोला दिखा लायें।

श्री मंगल उपाध्याय (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करा लिया जाय वे उधर से उसका समर्थन ले लें तो मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लेता हूं। सर्व सम्मति से प्रस्ताव करा लिया जाय।

श्री [illegible] सिंह---

मैं उपाध्याय जी को धन्यवाद देता हूं। यह तो भुक्त भोगी हैं। अगर यह हमारी राय स्वीकार नहीं करेंगे तो कहां रहेंगे। श्रीमन् मैं समझता हूं कि जो मैंने कहा कि उद्योगों के निजी हाथों में रहने देने से प्रजातंत्र की ताकत और कमजोर होगी, इन बातों पर मैं इस वक्त अधिक नहीं कहना चाहता केवल इतना कहना चाहता हूं कि सिफ़ारिश वाला एक प्रस्ताव लाया जाय और जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने भी बीचमें उठ कर कहा था उस स्वाभाव के विरुद्ध जो उनका है कि वे जल्दी उठना नहीं चाहते लेकिन जिस वक्त माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि हमारे हाथ में नहीं है तब उन्होंने कहा नहीं, सिफ़ारिश वाला प्रस्ताव तो आपके हाथ में है उसे ही पास करो तो इससे ज्यादा शुभ लक्षण हो नहीं सकता। इधर बैठने वालों में से शायद ही कोई हो जो यह चाहता हो कि यह उद्योग निजी हाथों में रहे। मैं कहता हूं कि इससे तस्वीर बदल जायेगी सूबे की और इसके लिये मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कामर्स एक पत्रिका है जो पूंजीपतियों की है उसका एक अंश जो अंग्रेजी में है उसको आपको आज्ञा में से पढ़ देना चाहता हूं :---

श्रीमन्, इसी में है कि पंजाब में हमारा शीरा जाकर १७५ रु० पर क्विंटल बिकता है जबकि उसकी कीमत हमारे यहां ६७ पैसे पर क्विंटल है यानी २६० गुना उसका दाम वहां जाकर हो जाता है। इसमें अंग्रेजी में है मैं हिंदी में पढ़कर उसका मतलब सुना रहा हूं। यह ४ से ६ करोड़ मन हमारे यहां पैदा होता है हर साल, ६७ पैसे पर क्विंटल बेचकर हम अपने सामान को लुटा रहे हैं और हम किसानों पर इधर-उधर जाकर हाथ फ़ैला रहे हैं कहीं रूरल सेक्टर पर जाते हैं और कहीं किसी पर टैक्स जाते हैं जिसके कारण बड़ा हो हल्ला मचता है, गालियां हमको

[श्री गेंदासिंह]

मिलती हैं और पैसा कम मिलता है। यह करोड़ों रुपये का मामला है। अकेले चीनी से कितने करोड़ रुपये का लाभ हो सकता है, बगासे से कितना लाभ हो जायेगा और पीसमड्स से कितना हो सकता है। मैं मोलेसेज को छोड़ देता हूं जिसे शीरा और चोटा कहते हैं उसमें इतना धन छिपा हुआ है कि उसके जरिये से करोड़ रुपये स्टेट एक्सचेकर को आ जायेगा और लोगों की मदद हो सकेगी।

श्री उदित नारायण (जिला फ़तेहपुर)—

क्या माननीय गेंदा सिंह जी कृपा करके यह बतायेंगे कि जब इस तरफ के लोग भी चाहते हैं और उधर के लोग भी तो उस तरह के प्रस्ताव को आने में क्या दिक्कत है? इस प्रकार कृपया प्रकाश डाल दें।

श्री गेंदा सिंह—

श्रीमन्, मैंने तो इस तरफ़ का आदमी हूं और कहता हूं कि इस तरह के कामों के लिये पब्लिक ओपीनियन की जरूरत पड़ती है और चाहे उत्तम से उत्तम कार्य हो लेकिन उसमें बाधाएं आती हैं। क्या माननीय शर्मा जी इस बात को कहेंगे कि उधर के जितने माननीय सदस्य हैं वे सबके सब इस राय के हैं। (एक सदस्य—सब इस राय के हैं।) नहीं, इस राय के नहीं हैं, सब।

श्री उदित नारायण—

माननीय गेंदा सिंह जी क्या इस राय के हैं कि अगर दो-चार इस राय के हों कि नहीं होना चाहिये तो क्या वह प्रस्ताव न आवे।

श्री गेंदा सिंह—

कभी-कभी उधर से उठा करता है कि सरकार के हाथों में जाने से गड़बड़ होती है। इसलिए सरकार को भी अच्छे से अच्छे काम करने के पहले सोचना पड़ेगा कि हम इसे करें या न करें। इसलिए मैं अपील करता हूं कि शर्मा जी अपनी तरफ़ के लोगों को समझाने की कोशिश करें, मैं भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे सर्वसम्मति से पास होकर प्रस्ताव भारत सरकार के पास जावे कि चीनी उद्योग पर नियंत्रण हो।

"But liquor, which is produced with molasses, has proved a very effective tonic for the State finances. It is a wonderful money-spinner for the State exchequer. The annual tax income from liquor has risen from Rs.5 crores to Rs.22 crores in the last five years."

ऐसा दिन आ सकता है। मैं समझता हूं कि अब इतना इन उद्योगों में नहीं उलझना चाहिए। शान्ति प्रपन्न जी उद्योगों को बढ़ाने के लिये कुछ भी उठा नहीं रखते रहे हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने उद्योगों के लिये जो सुविधा प्रदान की है उस सुविधा के रहते हुये इंडस्ट्री वाले आयेंगे। एक बात उनसे यह कहना चाहता हूं कि भयभीत नहीं होना चाहिये मिलों से कि अगर हम चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने के लिये कहेंगे तो जो लोग यहां बाहर से आनेवाले हैं उद्योगपति वह नहीं आयेंगे। चीनी मिलों से इन लोगों ने इतना धन कमाया है कि उस धन को उन्होंने ले जाकर बाहर लगाया है। उस धन को उन्होंने उत्तर प्रदेश में नहीं लगाया। उस धन को उन्होंने महाराष्ट्र में या राजस्थान में लगाया है। और उत्तर प्रदेश से ले जाकर लगाया है। इनकी किसी भी चीनी मिल का हेडक्वार्टर कलकत्ता और बम्बई को छोड़ कर उत्तर प्रदेश या लखनऊ में नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या एक भी ऐसा चीनी मिल है जिसका हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश में हो। सबका हेडक्वार्टर कलकत्ता या बम्बई में है, इन्कम टैक्स अगर बम्बई या कलकत्ता में एसेस होता है तो उस इन्कम टैक्स का हिस्सा हमको नहीं मिलता है। इन के हेड क्वार्टर वहां होने का सारा घाटा यह प्रदेश उठाता है।

मैं अर्ज करता हूं कि इस सूबे में एक बहुत ही अकलमन्द और लियाकतमन्द मिल मालिक हैं जिसका नाम रामेश्वर प्रसाद नेवटिया है। उसने जितने भी कारखाने लगाये वे सब लखीमपुर खीरी में लगाने के सिवाय और कहीं नहीं लगाये हैं। उसने सिवाय उसको चूसने के और डकैती डालने के और कौन सी इस प्रदेश की सेवा की है। जो उसने दूसरी फैक्टरी बनाई वह सब राजस्थान में बनाई। हमको जहां तक मालूम है देहरादून में एक सीमन्ट फैक्टरी बनाने का उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसको लाइसेन्स दिया था लेकिन उसने वह फैक्टरी यहां पर नहीं बनाई वह बनाई जाकर राजस्थान में। इसलिए इन चीनी मिलों की बदौलत अगर उतर प्रदेश का भला सरकार सोच रही हो तो इनसे कोई भला नहीं होने वाला है बल्कि नुक्सान होने वाला है। सारी सम्पत्ति यहां से लूटकर दूसरी जगह ले जाते हैं और वहां पर अपने कारखाने खड़े कर देते हैं। वैसा ही इन नेवटिया साहब ने किया है। मुझे व्यक्तिगत तजुर्बा है क्योंकि मैं देवरिया का रहने वाला हूं। एक खेतान फेमिली है, उसने जितने टैक्सटाइल मिल या दूसरी मिल बनाईं वह सब दूसरी जगह बनाई। वह बर्बाद हो गये लेकिन हम को भी बर्बाद कर दिया।

इन सड़ी गली मिलों की कोई कीमत नहीं है। यह खुद कहते हैं कि हम को घाटा लगता है। तो उनसे कहिये कि जाना चाहते हैं तो जायं। वे इंडियन शुगर मिल एसोसियेशन में हजारों बार कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की शुगर मिलों को घाटा है और सरकार उनकी मदद करे और सरकार मदद नहीं करती तो दक्षिण भारत चले जायंगे। यह लोहा लक्कड़ तो हमारा है। हमारा पसीना उसमें लगा हुआ है। उसकी ईंट हमारी है। इसलिये उस लोहा-लक्कड़ को सरकार अपने हाथ में ले और ले कर चलाये। मैं दावा करता हूं कि इस सरकार के हाथ में आने के बाद ये चीनी मिलें सोना उगलेंगी और उस सोने से वह इलाका हरा-भरा कराये और जब वह हरा भरा हो जायगा तो उससे उत्तर प्रदेश के दूसरे इलाके का विकास होगा। इसलिये यहां से एक प्रस्ताव पास हो कर भारत सरकार के पास जाना चाहिये।

*कुंवर चन्द्र प्रताप नरायन सिंह (जिला देवरिया)—

महोदय, आप के माध्यम से मैं यह कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यह कहना चाहता हूं कि पूरे उद्योग पर १० मिनट में मेरा बोलना बेकार है, तो जैसे कि बहुतसे लोगों ने चीनी मिलों की बात कही, मैं भी अपने जिले के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। वहां १४ फैक्टरीज चीनी की हैं। पटेल कमीशन और कई कमीशनों की बातें होती हैं जिनमें लाखों रुपया खर्च होते हैं। लेकिन अगर उनकी रिकमेंडेशंस की तरफ सरकार ध्यान नहीं देती है या लागू नहीं करती है तो ऐसी कमेटीज बैठाने की जरूरत ही क्या थी? एक उत्तर प्रदेश हाई पावर शुगर इंडस्ट्रीज कमेटी बैठी थी जिसने कहा था कि हजार टन से कम के जो यूनिट्स हैं वह अनइकोनामिक हैं। और अपने जिले में १४ फैक्टरीज में से ९ में ७८० टन से भी कम क्रशिंग होता है। तो अगर ये मिलें अनएकोनामिक हैं और मिल-मालिक उनको चलाते रहते हैं तो हर वर्ष और १०-१२ वर्ष तक ३,४ मिलों के आंकड़े मैं दे सकता हूं जिन्होंने एक पैसा भी डिवीडेंट नहीं दिया, तो अगर ये मिलें डिवीडेंट नहीं देती हैं और १०-१२ वर्ष से चल रही हैं तो आखिरकार इकोनामिक्स जो भी पढ़े हों वह जान जायंगे कि ऐसी फैक्टरीज कभी नहीं चलेंगी अगर उनमें फायदा नहीं होता। तमाम पैसा ब्लैकमार्केट को एक तरह से हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं। मेरा सुझाव उसमें यही था, जैसा कि पटेल कमीशन में भी कहा गया था कि एग्रो बेस्ड इकोनामी ईस्टर्न यू० पी० में होनी चाहिए। उधर बेगास बहुत होती है। देवरिया जिले में इस तरह से एक कार्डबोर्ड इंडस्ट्री और एक न्यूजप्रिंट फैक्टरी लग सकती है। लेकिन जहां कि इतनी बेगास होती है एक भी ऐसी फैक्टरी सरकार ने नहीं लगायी।

दूसरी चीज यह है कि अगर आपने प्लानिंग इतनी शार्ट टर्म रखी तो मिल मालिकों को फायदा अधिक होगा बनिस्बत काश्तकारों के। जैसे कि फक्टरी चलाने की तारीख मिल मालिक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[कुंवर चन्द्र प्रताप नरायन सिंह]

मुकर्रर करते हैं। क्यों नहीं केन कमिश्नर उनकी तारीख ठीक करते और वह नवम्बर में चलाई जायं और इधर काश्तकारों को भी फायदा होगा और क्रशिंग मई के पहले खत्म हो जायगा। कहा जाता है कि रिकवरी पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत ही कम है। लेकिन मैं यह दिखाना चाहता हूं कुछ आंकड़ों से कि उत्तर प्रदेश का ऐवरेज ९.४९ है और महाराष्ट्र जहां सबसे अधिक होता है वहां का ११.२७ है। अगर मिल-मालिक यह कहते हैं कि रिकवरी के कारण हम समय से काश्तकारों को पैसा नहीं दे सकते हैं तो क्या जब आल-इंडिया डिस्ट्रिक्टस में रिकवरी ९.८७ है तो क्या कारण है कि वह पैसा काश्तकारों को यह समय से नहीं दे पात? मेरा तो यह कहना है कि उत्तर प्रदेश, खास कर ईस्टर्न यू० पी० की फैक्टरियां जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंसर्न्स हैं उनके कुछ ही मिल मालिकों जो कि डायरेक्टर्स की पोजीशन में हैं उन्हीं को फायदा होता है। अगर शेयर होल्डर्स को फायदा होता तो उनकी बैलेंसशीट में डिवीडेंड आना चाहिए।

मैं उद्योग मंत्री की निगाह उन्हीं के आंकड़ों की तरफ ले जाना चाहता हूं। उनके एक पब्लिकेशन के मुताबिक फैक्टरीज का बकाया लगभग साढ़े चार सौ लाख अभी तक है। एक तरफ आप कहते हैं कि गरीबों की मदद छोटे उद्योग बढ़ाकर करेंगे लेकिन अगर हजार रुपया भी छोटे उद्योग वालों के बाकी होते हैं तो अथारिटीज का यह हाल है कि वसूली में बुलाकर जेल में बन्द किया जाता है और मिल मालिक जिनके ऊपर लाखों रुपया बाकी है उनके लिए कहा जाता है कि चीनी गोदाम में पड़ी है, इस कारण उनसे वसूली नहीं हो सकती। अगर हम मोनोपोलिस्टिक, कैपीटलिस्टिक तरीके अख्तियार करते रहें तो उद्योग जो कि कहता है कि हम छोटे लोगों के फायदे की ओर देखते हैं परन्तु छोटे लोग कैसे फायदा उठा पायेंगे जबकि लाखों और करोड़ों रुपया इन बड़े-बड़े मालिकों पर बकाया रह जाता है।

एक और सुझ व अपने जिले के लिए यह था कि इधर गाय भैंसें बहुत हैं। वहां जो चीनी मिलें हैं उनका जो मोलासेज हैं उससे कैटिल फीड तैयार हो सकता है। अगर उस जिले में कैटिल फीड की फैक्टरी सरकार की तरफ से लगती तो उधर के लोगों को एम्प्लायमेंट मिलता और उस जिले के लोगों को फायदा पहुंचता। लांग टर्म पालिसी की जहां तक बात है तो सरकार का ध्यान इस तरफ ले जाना चाहता हूं कि सोयाबीन की बहुत बात हो रही है। लेकिन आपकी पालिसी शार्ट टर्म रही है। हजारों मन सोयाबीन पैदा हो रहा है और हर साल बढ़ता जा रहा है परन्तु आज तक सरकार ने यह सोचा कि एक फैक्टरी, एक उद्योग ऐसा बैठायें जहां उसका तेल एक्सट्रैक्ट करके इस्तेमाल किया जाय। उसमें प्रोटीन का एलीमेंट बहुत है। लाखों मन गेंहूं सरकार ने लिया लेकिन एक भी गोडाउन नहीं था उसको रखने के लिये ऐसी ही बात सोयाबीन के लिये होगी कि उसको रखने के लिये एक भी गोदाम नहीं होगा। इसलिए सरकार इस तरफ भी ध्यान दे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आप ने मुझे समय दिया। मैं फ़िर यही कहूंगा कि जो भी सुझाव अपोजीशन के मेम्बर देते हैं सरकार उनकी तरफ़ निगाह रखे और उन पर अमल करे। अपोजीशन का मतलब यह नहीं है कि जो हम कहें, हमारी बात न सुनी जाय। अपोजीशन की बात अगर मान कर चलें तो इससे पूरे प्रदेश का फ़ायदा होगा।

*श्री चन्द्र मोहन (जिला गढ़वाल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग मंत्री को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं इस बात पर कि वे जिस दृढ़ता और विश्वास के साथ उत्तर प्रदेश में औद्योगिक प्रगति लाने के लिए कृत-संकल्प हैं उनका कार्य सराहनीय है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान की डेवलपिंग इकनामी है और डेवलपिंग इकनामी में प्राइवेट सेक्टर के इनीशिएटिव को खत्म नहीं किया जाना चाहिये। किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कोआपरेटिव सेक्टर या पब्लिक सेक्टर को न उठाया जाय। उनको भी उठाया जाय। किन्तु आज औद्योगिक प्रगति स्थिति सेचु-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रेशन की स्थिति में नहीं है। हम प्रगति की ओर क्रमशः बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्राइवेट सेक्टर, कोआपरेटिव सेक्टर और पब्लिक सेक्टर तीनों को आगे बढ़ाना होगा।

नेशनालाइजेशन की बात कहने में बहुत अच्छी लगती है कि यह जनहित में है, समाजवादी प्रथा के अनुकूल है। किन्तु आज हम सभी चीजों का रेशनलाइजेशन करने की बात करें तो पब्लिक इंनीशिएटिव खत्म हो जायगा और आप ने देखा होगा, यह एक व्यवहारिक अनुभव है हर व्यक्ति का, कि हमारी जो चीज होती है उसके लिये हम जी तोड़ कोशिश करते हैं। लेकिन मैं यह कह कर यह नहीं जताना चाहता कि हमारे जितने गवर्नमेंट एन्टरप्राइजेज या पब्लिक सेक्टर के जितने कारखाने हैं वे खराब काम कर रहे हैं। लेकिन यह सही बात है कि उनके अन्दर उतनी एफ़ीशिएन्सी नहीं आ पायी है जितनी प्राइवेट सेक्टर में है। यह कह कर मैं प्राइवेट सेक्टर की सिफ़ारिश नहीं कर रहा हूं। मैं एक निष्पक्ष राय सरकार के सामने, रखना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश इस स्थिति में नहीं है कि हम प्राइवेट सेक्टर को एकदम नेशनलाइजेशन कर दें और प्राइवेट सेक्टर से जो एक इनीशिएटिव एक प्रगति मिल रही है उस को हम बन्द कर दें। मैं समझता हूं कि सरकार के पास इतना धन भी नहीं है, इतना अर्थ भी नहीं है कि वह हर फैक्टरी को ले सके और नयी फ़ैक्टरियां लगा सकें। राष्ट्रीयकरण की बात उस समय उचित है जब हमारा उद्योगीकरण चरम सीमा पर पहुंच जाय। उस समय अगर नेशनालाइजेशन करते हैं तो यह एक अच्छी बात होगी।

मैं माननीय गेंदा सिंह जी की इस बात से सहमत हूं कि एक भी चीनी मिल का हेड क्वार्टर उत्तर प्रदेश में नहीं है। किसी का बाम्बे में, किसी का दिल्ली में और किसी का कलकत्ते में है। अगर उनका हेडक्वार्टर यहां होता तो इनकम टैक्स में पैसा ज्यादा जमा होता और प्रदेश को पैसा ज्यादा मिलता। इस तरफ़ सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिए।

अब थोड़ा सा पर्वतीय क्षेत्र के बारे में कहना चाहूंगा। हमारे जिले गढ़वाल में दो इंडस्ट्रियल इस्टेट है। एक कोटद्वारा में और दूसरी श्रीनगर में। दोनों जगहों में कोई उद्योग नहीं लगी है। उसका कारण यह है कि यहां जो रा मेटेरियल है वह फ़ारेस्ट का है, जिसके द्वारा दियासलाई और कागज बनता है और वह बरेली और बिजनौर चला जाता है। यहां छोटे-छोटे उद्योग लग सकते हैं। जिन लोगों ने उद्योग लगाना चाहा उनको रा मेटिरियल नहीं मिला और जो लोन दिया गया वह भी उद्योग में नहीं लग सका। मैं उद्योग मंत्री जी से निवेदन करूंगा हालांकि उन्होंने यह बात स्वयं कही है कि बुन्देलखंड और पर्वतीय जिलों में उद्योग नहीं के बराबर है, कि वे इन जिलों की तरफ़ जहां न कृषि है और न कृषि उत्पादन और न उद्योग है विशेष ध्यान दें। यहां के लोगों के पास रहने के छपरा और मकान केवल है और यह चुर्क में या फ़ौज या पुलिस में जाकर नौकरी करते हैं। माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छा सुझाव रखा कि हर एम० एल० ए० अपने क्षेत्र में ५ उद्योग खोले। बहुत अच्छा इंसेन्टिव दिया है लेकिन मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उसको कुछ व्यावहारिक रूप देने की कृपा करें। उद्योगिक स्थिति आज प्रदेश की हर व्यक्ति और सारा सदन महसूस करता है कि अच्छी नहीं है और हम बहुत पिछड़े हुये हैं। आज हम माननीय मन्त्री जी के सुझाव को माने और उस पर चलें और अपने-अपने क्षेत्र के लिए तरक्की करने के उपाय ढूंढें तो निश्चित है कि पांच सालों में इसी कार्यकाल में हमारी उद्योग के क्षेत्र में तरक्की हो सकती है। मैं अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में गाजियाबाद में तीन कारखाने लगने की बात कही है। एक टायर ट्यूब का कारखाना है, एक टिलर कारखाना तथा एक और कारखाना है। सन् १९६७ में भी उद्योग मंत्री जी ने कहा था कि गाजियाबाद में ४० करोड़ की लागत का कारखाना मोदी का खोला जायगा लेकिन आज तक वह लगा नहीं है।

[श्री प्यारेलाल]

क्या ये तीनों कारखाने भी इसी तरह से लगेंगे? मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो आश्वासन दें उसे पूरा अवश्य कर दें। श्रीमन्, एक कहावत है, किसी अन्धी का लड़का खो गया। गांव वालों ने कहा, अन्धी २ तेरा बेटा आया है। उसने कहा कि मेरी गोद में आ जाएगा तो मैं समझूंगी कि आया है। इसी तरह से तीनों कारखाने लग जाएंगे तब मैं समझूंगा कि आश्वासन पूरा हुआ।

श्रीमन्, गाजियाबाद में २,४८५ एकड़ जमीन मन्त्री जी के अनुसार कल-कारखानों के लिए ली गई है, लेकिन ५ प्रतिशत जमीन में भी कारखाने नहीं लगे। जो कारखाने लगे हैं वह आबादी एरिया में लगे हैं, गरीबों की बस्ती उजाड़ने के लिये लगे हैं। पीछे मुख्य मंत्री जी वहां गए थे और कह आए कि इस एरिया को कारखाने का एरिया करार दे दिया जाएगा। उसी एरिया में मुकुन्दनगर बौझा तथा शिब्बनपुरा नगरपालिका की भी एक कालोनी जो कि बनी है जिसका अभी निर्माण भी नहीं हुआ है वह बेकार हो जाएगी, करीब दो-तीन हजार मकान हटाए जाएंगे। एक दीवार के एक ओर मकान दूसरी ओर कारखाना नही होना चाहिए मेरा कहना यह है कि जी० टी० रोड, मेरठ रोड और दिल्ली रोड पर जो तीन कारखाने की जगह चुनी गई है, जी० टी० रोड बुलन्दशहर की ओर एक्सटेंशिव, मेरठ रोड, लाइट तक दिल्ली रोड पर हैवी कारखाना की जगह है। उन्हीं तीनों जगहों पर कारखाने होने चाहिए, उसके अलावा अन्य जगह पर नहीं। श्रीमन्, बहुत भोड़े रूप में नगर बसा हुआ है, वही रिहायशी जगह और वहीं कारखाना, वहीं कारखाने का पानी सड़ेगा, वहीं धुआं निकलेगा और ट्रकों के कारण निकलने की जगह नहीं होगी। हर साल अनेक कारखाने आबादी में ही बना दिये जाते हैं। इससे तो इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के अधिकारियों का भ्रष्टाचार ही बढ़ा है। यह सब इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की गलत नीति की देन है।

मान्यवर, गाजियाबाद में आयल इंजन, एक्सपैलर, पम्पिंग सेट वगैरह बनते हैं। कारखाने वालों को कच्चे लोहे का कोटा, कोयले का कोटा, सस्ती बिजली और सस्ती जमीन व ऋण की सुविधा दी जाती हैं। लेकिन जो इंजन, एक्सपेलर और पम्पिंग सेट बनते हैं उनकी जांच के लिए सरकार की ओर से वहां कोई संस्था नहीं है जिसका नतीजा यह होता है कि कोई भोला-भाला किसान जो वहां से मशीन ले जाता है वह दो महीने बाद ही गाजियाबाद गाली देता हुआ आता है कि मैं लुट गया मशीन बेकार हो गई। वह इंजन किसी सर्टीफ़ाइड इंजन के मुकाबले काम नहीं करता है। तो इन मशीनों की देखभाल के लिये उद्योग विभाग की तरफ़ से कोई संस्था खोली जाय जो उनको टेस्ट करे और कीमत भी निर्धारित करे। एक गरीब किसान जाता है उससे दुगनी और तीगुनी कीमत ले ली जाती है। एक दलाल पीछे लग जाता है और दो या तीन उंगली उठाकर कारखानेदार को दिखा देता है अपने कमीशन के लिये। कारखानेदार दो-तीन सौ रुपया उसको दे देता है और किसान दलाल के कहने पर उस इंजन को खरीद लेता है। तो कीमत भी सरकार की तरफ़ से तय होनी चाहिए वरना यह लूट जारी रहेगी। गरीब किसान लुटता ही रहेगा।

गाजियाबाद में बहुत से कारखाने ऐसे हैं जिन पर जाली कोटा है। सरकार को उन्होंने बहुत सा चन्दा दिया। इसीलिए चूना पकाने की भट्ठी से लेकर लोहा गलाने की भट्ठी तक के कोयले के परमिट, टीन की चादर के परमिट उन्हें मिलते हैं और ऐसी चादरों के परमिट जिनसे आलमारी व फ़र्नीचर वगैरह बनती है और जिनसे उन कारखाने वालों का कोई सम्बन्ध नहीं है। दो-दो सौ और पांच-पांच सौ टन के परमिट दिये जाते हैं। अगर वह छोटे उद्योग वालों को जो आलमारी और फ़र्नीचर बनाते हैं, उनको दिये जायं तो कुछ भला हो। बड़े उद्योग वाले उसका ब्लैक करते हैं और इन्हीं छोटे उद्योग वालों को बेचकर पैसा कमाते हैं। सन् १९४७-४८ में जो एक खराद की मशीन लेकर बैठ गए थे आज तीन-तीन कारखानों और लाखों की कोठी के मालिक बने बैठे हैं, रुपया रखने की जगह नहीं है, तिजोरियां भरी पड़ी हैं। इन सब कारखानों में चाहे वह लोहे का हो, डालडा का हो, मोहन नगर का हो, —इन सबमें सेल्स टैक्स और आमदनी कर तथा आबकारी कर की भी बहुत चोरी होती है। वित्त मंत्री जी

आबकारी मंत्री जी ध्यान दें और आप भी ध्यान दें। इस तरह से करोड़ों रुपया यह लोग हड़प जाते हैं।

श्रीमन्, आपने यह कानून बनाया है कि जो नये उद्योग लगायेंगे, नये कारखाने खोलेंगे उनसे ३ साल तक सेल्स टैक्स नहीं लिया जायेगा। उनको आपने और भी सहूलियतें प्रदान की हैं जैसे कि सस्ती जमीन दी जायेगी, सस्ते दर पर बिजली दी जायेगी आदि। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि यही सहूलियतें आप काश्तकारों को भी दें, तथा लघु उद्योगों को भी दें, तो उससे प्रदेश का बड़ा लाभ हो सकता है। यह जो आपने ३ साल की सेल्स टैक्स न लेने की छूट दी है उसका कितना नाजायज फायदा उठाया जा सकता है वह देखने की जरूरत है। इसमें यह होता है कि आज किसी ने किसी नाम से फर्म कायम की, ३ साल के बाद उसने उसका नाम बदल दिया, पहले बाप के नाम से उसको रखा, फिर बेटे के नाम से उसको कर दिया, फिर पोते के नाम से कर दिया और इस तरह से पुस्त दर पुस्त वह फर्म नाम बदल-बदल कर चलती रहेगी और इस प्रकार करोड़ों रुपया सरकार के यह लोग हमेशा हड़पते रहेंगे।

इसके साथ ही मान्यवर, जितनी सुविधा आपने अजन्ता फिल्म उद्योग को दी है उसके बारे में भी आपसे निवेदन करूंगा कि यदि उतनी सुविधायें आप काश्तकारों को तथा अन्य कारखाने वालों को भी दें तो उससे देश की बेरोजगारी मिटेगी, गरीबी मिटेगी और प्रदेश विकास के पद पर होगा। श्रीमन् इस फ़िल्म उद्योग को यह सरकार पौने तीन सौ एकड़ जमीन एक रुपये फ़ी गज के हिसाब से देगी जब कि एक गरीब आदमी को अगर अपनी झोपड़ी डालनी है तो उसको इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट उसी भूमि के पास ३६ रुपये गज जमीन देता है। इसके अलावा एक सुविधा आप यह दे रहे हैं कि १० वर्ष तक इस उद्योग को जितने कच्चे माल की आवश्यकता होगी उस पर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। दूसरी दस साल तक दूसरा फ़िल्म उद्योग यू० पी० में नहीं लगेगा एक सुविधा यह भी दी गयी है कि उनको २०० सिनेमाघर बनाने की छूट दी जायेगी उ० प्र० में कहीं भी लगाये। यह भी छूट दी गयी है कि इस के द्वारा जितनी फ़िल्में बनेंगी और उससे जो मनोरंजन कर सरकार को प्राप्त होगा उसका ५० प्रतिशत अजन्ता फ़िल्म्स उद्योग को वापस कर दिया जायेगा। इस उद्योग के लिये, आपने पौने तीन सौ एकड़ जमीन दी है जब कि और जितने बड़े-बड़े फ़िल्म उद्योग हैं किसी के पास १०-१५ एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है। इसके साथ ही साथ यहां साइन लेबोरेटरी नहीं होगी। सिर्फ़ फ़िल्मों की ही शूटिंग होगी।

इतनी बड़ी रकम खर्च करने के बाद में आप देखिए कि केवल २०-२५ आदमियों को ही इस उद्योग में रोजगार मिल सकेगा। यदि इतनी भारी छूट और उद्योगों को भी दी जाती तो हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता था। हमारा प्रदेश इतना अमीर नहीं है कि वह २०-२५ आदमियों के रोजगार के लिये इतनी भारी जोखिम को बरदाश्त कर सके। यही छूट अगर और छोटे-छोटे उद्योगों को दी जातीं तथा कृषकों को दी जातीं तो उससे प्रदेश की बेरोजगारी मिटती, गरीबी मिटती, रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों का उत्पादन बढ़ता, कृषि उत्पादन बढ़ता, और प्रदेश तरक्की करता, प्रदेश की जनता खुशहाल होती, जीवन स्तर उठता। इन शब्दों के साथ में इन कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री कृष्णकान्त (जिला सीतापुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने के लिये समय दिया। माननीय उद्योग मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक औद्योगीकरण का प्रश्न है, प्रदेश का विकास तभी संभव है जब कि यहां छोटे-छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन मिले, उनका विकास किया जाय। ग्रामीण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णकान्त]

जीवन में आज जो गरीबी छाई हुई है, उसको तभी दूर किया जा सकता है जबकि वहां पर छोटे-छोटे उद्योगों की स्थापना की जाय । जहां पर आज माननीय उद्योग मंत्री बड़े-बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री जी छोटे-छोटे उद्योगों को भी प्रोत्साहन दें । आज ग्रामीण स्तर पर जो उद्योग चलते हैं वे धनाभाव के कारण सफल नहीं हो पाते । ऐसी हालत में उनके लिये धन की व्यवस्था की जाय । मैं यह भी निवेदन करूंगा कि प्रदेशीय स्तर पर एक औद्योगिक सर्वे कराया जाय कि कहां-कहां पर कौन-कौन-सा कच्चा माल उपलब्ध हो सकता है और वहां पर कौन-कौन से उद्योग सफल हो सकते हैं ।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान चीनी मिल उद्योग की तरफ भी आकर्षित करना चाहता हूं । हमारे कुछ माननीय साथियों ने इसके राष्ट्रीयकरण की भी मांग की । मैं भी इसके पक्ष में हूं । मैं बड़े उद्योगों के भी राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हूं । अगर यह हो जाय तो प्रदेश निश्चय ही समाजवाद की दिशा में आगे बढ़ेगा । परन्तु हमारे प्रदेश की आज स्थिति क्या है उसे भी हमें देखना चाहिये । औद्योगिक दृष्टि से हमारा प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है ।

जब औद्योगिक दृष्टिकोण से हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है तो हमारी सरकार के पास इतनी क्षमता हो, इतना धन हो, कि हम नये उद्योगों का प्रदेश में निर्माण कर सकें अन्यथा जो आज पुराने उद्योग चल रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में जो उद्योग चल रहे हैं उनकी हालत यह हो चुकी है । मैं इस संबंध में आपको सीतापुर के हरगांव मिल की मिसाल देना चाहता हूं कि वहां की मशीनरी खराब थी, गन्ना रिजर्व कर दिया गया था । नतीजा क्या हुआ कि फैक्ट्री गन्ने की पेराई नहीं कर पाई । तीस जुलाई तक फैक्ट्री चली फिर भी गन्ना खड़ा रह गया । जैसा कि कहा जाता है कि मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाय । अगर मिलों का राष्ट्रीयकरण कर देंगे यहां ७२ मिलें हैं तो उनके राष्ट्रीयकरण के बाद उनकी मरम्मत के लिये बड़े साधन चाहिये जो हमारी सरकार के पास शायद उपलब्ध नहीं होंगे । ऐसी स्थिति में हम यह सुझाव रखेंगे कि जिन मिलों का प्रबन्ध प्रदेश में खराब है जैसा कि हम जरवल मिल की चर्चा सुनते आ रहे हैं, लाखों रुपया किसानों का बकाया हो जाता है, मजदूरों का बकाया हो जाता है, तो ऐसी और भी जो मिलें हों उनकी व्यवस्था सरकार अपने हाथ में ले ले ताकि वहां पर जो परेशानियां हैं वे दूर हो सकें ।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि प्रदेश में जो ग्रामोद्योग चल रहा है इनके संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिये कुछ कुशल व्यक्तियों की नियुक्तियां जिला स्तर पर की जायं जिससे व्यवस्था में जो वहां दिक्कतें हैं उनको वे सुझाव देकर उनको कार्यान्वित कर सकें । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि सीतापुर में एक कॉटेज इन्डस्ट्री चलती है दरी की । उस पर दोनों तरफ से सेल्स टैक्स लगाया गया है । एक तरफ तो सूत का और दूसरी तरफ जो माल तैयार होता है उस पर भी सेल्स टैक्स देना पड़ता है । ऐसी स्थिति में कॉटेज इन्डस्ट्रीज खत्म हो जायेंगी । वहां पर लोगों को परेशानियां हैं । उन परेशानियों को देखते हुए टैक्स एक तरह से लिया जाय । साथ ही मैं सीतापुर जिले के जिस क्षेत्र से निर्वाचित होकर आता हूं वह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जहां गन्ना और जूट की पैदावार होती है । वहां यह पैदावार होते हुए भी यातायात के साधन उपलब्ध नहीं हैं । इन्डस्ट्रीज भी नहीं चलाई गईं जिससे कि जनता का हित होता ।

श्रीमान, जो एक मिनट और दे दीजिए ताकि मैं अपनी बात आपके सम्मुख रख सकूं । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उस पिछड़े हुये क्षेत्र को देखें और उस पिछड़े हुए क्षेत्र का कल्याण करने केलिये वहां कोई जूट और गन्ने से संबंधित इन्डस्ट्री लगाने की कृपा करें । साथ ही यह भी निवेदन है कि आजकल जो क्रशर के लाइसेंसों की चर्चा उठी थी कि अभी भी रिजर्व एरिया में लाइसेंस सप्लाई नहीं किया जाता था । तो इस साल जो देर हुई है गन्ने में वह आपके सामने है । रिजर्व एरिया में भी इसलिए क्रशर लाइसेंस प्रदान किये जायं । आपने जो मुझे समय दिया उसके लिये मैं आपका आभार प्रदर्शित करता हूं और जो उद्योग मंत्री द्वारा अनुदान प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करता हूं ।

*श्री शिव पाल सिंह (जिला उन्नाव)––

मैं आपकी आज्ञा से मंत्री जी का इस तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अभी हमारे जो विरोधी दल के नेता हैं चौधरी चरण सिंह और अभी-अभी जो उस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से––पार्टी में तो जाना नहीं चाहिये हम सब एक ही तरह से चुनकर आए हैं। यहां पर ही पार्टी बन्दी हो जाती है, वह नहीं करना चाहिये। तो गन्ने की जो मिलें हैं और इनके राष्ट्रीयकरण का सवाल गेंदासिंह जी ने उठाया है कि राष्ट्रीयकरण होना चाहिये और हमारे विरोधीदल के नेता ने जो रक्खा है कि राष्ट्रीयकरण होना चाहिये तो सबसे पहले मैं इसका जोरदार शब्दों में समर्थन करता हूं कि यह सर्व सम्मति से पास होना चाहिए और हमारी जो केन फेडरेशन है उत्तर प्रदेश की जो पूरी यू० पी० के काश्तकारों की नुमाइन्दगी करती है, उन्होंने भी यह प्रस्ताव रक्खा है इसके विषय कि यह बड़ी अच्छी चीज है। तो मैं यह समझता हूं कि यह सर्वसम्मति से पास होना चाहिये।

अभी पीछे जो असेंबली हुई थी उसमें हमारे माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि १० रुपये से कम जो फैक्ट्री देगी तो हम उसका पूरा मूल्य दिलायेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी बतायें कि उन्होंने अभी तक क्या किया है, वे रुपया देंगे या नहीं, जो मुनाफे का है।

गन्ने की कीमत के बारे में कहा गया कि दूसरे प्रदेश में जैसे पंजाब आदि में ऐसा हुआ और वैसा हुआ। मिसाल के तौर पर यह कहा गया कि और प्रदेशों में किसी भी काश्तकार का गन्ने का पैसा बाकी नहीं होगा लेकिन आपके प्रदेश में क्या है। यहां पर ७ करोड़ रुपया ३० जून तक बकाया है। तो आप ही बतायें कि काश्तकार कैसे अपना काम चला सकते हैं। एक तरफ आपने फैक्ट्रियों को ३–४ करोड़ रुपये की छूट दी है लेकिन दूसरी तरफ किसान को अपने गन्ने की असली कीमत भी नहीं मिलती है। इसलिये माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जब वे अपना जवाब दें तो वे इसका भी उत्तर देने की कृपा करें कि वे इसका कोई प्रबन्ध करेंगे अथवा नहीं और यदि हां तो कब तक वे उन्हें गन्ने की कीमत दिलवा सकेंगे।

यहां पर यह भी कहा जाता है कि दूसरे प्रदेश में बड़ी-बड़ी सहूलियतें हैं मैं भी दक्षिण में गया था। वहां के फैक्ट्री वालों ने मुझे बताया कि जो गन्ने की कीमत में मुनाफा होता है वे उसको काश्तकार को देते हैं और उस रुपये को उनके खाते में जमा कर देते हैं। हमारे प्रदेश में क्या होता है कि जो मिल वाले गन्ने की कीमत तक नहीं देते तो मुनाफे में वे कैसे दे सकते हैं। तो अगर आप दूसरे प्रदेशों से मुकाबला करना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि आप पहले इनका राष्ट्रीयकरण करें।

गन्ने की कीमत और साढ़े ३ करोड़ रुपये की जो छूट दी गई है, उसमें काश्तकारों का हिस्सा हो सकता है। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी इसके बारे में भी बताने की कृपा करें। एक ओर तो कहा जाता है कि काश्तकारों को यह सहूलियत दी जाती है, मिसाल के तौर पर गन्ने की उपज के लिए ३ चीजों की आवश्यकता है, एक खाद, दूसरा पानी और बीज। यह चीजें ऐसी हैं जिनसे काश्तकार तरक्की कर सकता है और अच्छी पैदावार हो सकती है। काश्तकारों को गन्ने के बीज में जो २ आने मन की सब्सीडी मिलती थी वह भी खत्म कर दी गई है। वे छांट कर अच्छे बीज देते थे तो उन्होंने अच्छा बीज ही देना बन्द कर दिया है। मेरा यह भी सुझाव है कि जिस प्रकार से मिलों को छूट देते हैं, उसी प्रकार से क्रशरों को भी छूट दी जानी चाहिये। आज यहां पर दोनों माननीय मंत्री जी (राजस्व मंत्री एवं उद्योग मंत्री) मौजूद हैं। मैं आशा करता हूं कि वे मेरी इस बात से सहमत होंगे। इससे हम सब का कल्याण है और प्रदेश के काश्तकारों का कल्याण है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

आज जितने बोलने वालों के नाम आये थे माननीय धर्मदत्त वैद्य और श्रीमती हमीदा हबीबुल्ला के अतिरिक्त सब को अपने-अपने भाषण देने का मौका मिला। ४ बजकर ३० मिनट पर माननीय मंत्री जी अपना उत्तर देंगे इसलिये मैं चाहूंगा कि आप ५-५ मिनट ले लें (श्रीमती हमीदा हबीबुल्ला) और ७-८ मिनट आप (माननीय धर्म दत्त वैद्य) ले लें तो दोनों को अपने-अपने भाषण देने का समय मिल जायगा।

श्रीमती हमीदा हबीबउल्ला (जिला बाराबंकी)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान का समर्थन करती हूं। उद्योग-धन्धे हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर उद्योग-धन्धे गांव में और जनता के बीच में नहीं लाये जाते हैं तो हम लोगों के पास बेरोजगारी का कोई दूसरा इलाज नहीं है।

दूसरी वजह मेरे समर्थन करने की यह है कि मंत्री महोदय ने विरोधी दल के भाइयों से भी यह इल्तजा की है कि वे लोग कुछ सुझाव दें क्योंकि हम उद्योग-धन्धों को आगे बढ़ाने के लिये तैयार हैं। यह कहना कि २० साल से कुछ नहीं हुआ गलत है। २० साल से तो नेशनलाइजेशन आफ बैंक्स भी नहीं हुआ था। लेकिन २० साल के बाद बहुत कुछ चीजें सोची जा रही हैं। उद्योग-धन्धों की अहमियत बहुत बड़ी है, इसलिए उद्योगों को आगे बढ़ाना चाहिये। इसके लिये मैं दो-चार सुझाव पेश करना चाहती हूं।

हमारी अधिकतर जनता गांव में रहती है और जो लोग वहां रहते हैं उनको वहीं काम करना है। मैंने पहले भी कहा था और अब भी मेरा सुझाव है कि उद्योगों के लिये औद्योगिक शिक्षा का इन्तजाम होना चाहिये। हमारी जो पढ़ाई है उससे हम क्लर्क और टीचर निकाल रहे हैं लेकिन उद्योगों के लिये जो तालीम होनी चाहिये वह नहीं हो रही है। अभी जब आई० टी० आई० का इन्टरव्यू हुआ और बच्चों से हम लोगों ने बार-बार कहा कि ब्लैकस्मिथ और लोहारी का काम सीखो तो बच्चों ने कहा कि इसे नहीं सीखेंगे। हम इलेक्ट्रिशिएन अथवा मोटर मेकेनिक बनना चाहते हैं। बच्चों को जब इन चीजों में दिलचस्पी नहीं होगी तो गांव में जो काम होते हैं वे उसे नहीं कर पायेंगे फिर वे शहरों में धक्के खाते फिरेंगे और सिफारिशें लिये फिरते रहेंगे। यहां सभी सदस्य जानते हैं कि बेरोजगारी की क्या हालत है। इस बेरोजगारी को दूर करने के लिये शहर की नौकरियां काफी नहीं हैं। इसको दूर करने के लिये उद्योग-धन्धे जरूरी हैं। जो कुछ उद्योग-धन्धे चल रहे हैं गांव में उनको तरजीह देनी होगी। लेकिन मैं आपको बतलाऊं मेरे यहां पावर लूम बेकार पड़े हुए हैं। मसौली में केवल तीन पावर लूम काम कर रहे हैं। सरकार उनको चलाने के लिये मदद करे।

मैं बाराबंकी की बाबत बतलाना चाहती हूं कि वह बहुत पिछड़ा हुआ है, वहां कोई उद्योग-धन्धा नहीं है। दो शुगर मिल थीं वे भी कुर्की में चली गयीं। वहां पानी और बिजली की व्यवस्था नाम के वास्ते है। मैं दरख्वास्त करूंगी कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा उद्योग-धन्धे लगाये जायं।

एक मैं यह बतलाना चाहती हूं कि बाराबंकी में जो सुमइया एल्कोहल इन्डस्ट्री लगी हुई है उ, की बाबत पता चला है कि वहां के लोकल लोगों को उसमें नहीं लिया जा रहा है और बाहर के लोग लिये जा रहे हैं। इसकी बाबत देख लिया जाय क्योंकि हमारे बच्चों को बाराबंकी में बेरोजगारी की वजह से बहुत तकलीफ है और जो भी इन्डस्ट्रीज वहां चलें उनमें अधिक से अधिक मदद मिलनी चाहिये।

श्री धर्मदत्त (जिला बरेली)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं। श्रीमन्, हम योजनाओं के दौर से गुजर रहे हैं और हमारा प्रत्येक कार्य योजनाबद्ध होता है। आज हमारा ध्यान कृषि की उन्नति की ओर है किन्तु मैं यह निवेदन कर दूं कि जब तक इस प्रदेश में उद्योग-धन्धों को

नहीं अपनाया जायगा, तब तक प्रदेश की प्रगति नहीं होगी तो जिस तरह से हमारे सामने खाद्य की समस्या है उससे भी भयंकर रूप में बेरोजगारी की समस्या हमारे सामने आयेगी। इसलिये छोटे और मध्यम उद्योग-धन्धों की स्थापना की बहुत आवश्यकता है।

पिछली तीन योजनाओं के अन्तर्गत काफी प्रगति इस प्रदेश ने की है। किन्तु हमें प्रगति को इस दृष्टिकोण से भी देखना होगा कि कितना पैसा उस पर व्यय किया गया उसका कितना लाभ हुआ है। आज हम उद्योग धन्धे खोलते हैं उसके लिए ऋण और अनुदान देते हैं। किन्तु हमारे पास यह आंकड़े नहीं रहते कि कितने उद्योग धन्धे सफल हुए, कितने चल रहे हैं और कितनों को मदद की जरूरत है। जब योजना का युग है तो हमारा प्रत्येक प्रयास योजनाबद्ध रूप में होना चाहिये। हमारे प्रदेश में फल संरक्षण का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है जिसमें इस प्रदेश के काफी लोग लगे हैं और सच्चे माने में अगर देखा जाय तो वही कुटीर उद्योग है जिसमें जो निराश्रित महिलाएं हैं उनको उसमें काम मिलता है। किंतु उनके लिए भी जितने रा मैटीरिएल की आवश्यकता होती है वह नहीं मिल पाता। मिसाल के लिये डिब्बे बंगाल से मंगाने पड़ते हैं और लेबिल बंबई से मंगाने पड़ते हैं, और भी चीजें हैं जो यहां नहीं मिलती हैं। लोग इसके अतिरिक्त आज गांव-गांव में बिजली का प्रसार हो रहा है। लोग छोटे-छोटे उद्योग धन्धे शुरू कर रहे हैं। लेकिन एक-एक गांव में चार-चार चक्की लगी हुई हैं, दो बन्द पड़ी हैं और दो चल रही हैं। यह कोई योजनाबद्ध कार्य नहीं हुआ। इन सब चीजों पर कुछ नियंत्रण होना चाहिये।

हमारे मंत्री जी कहते हैं कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में पांच पांच उद्योग-धन्धे हों। लेकिन वह कौन से उद्योग धन्धे हों? मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह अपने कक्ष में उद्योग अधिकारियों और विधायकों को बुला कर यह निश्चय करें। कहीं हम टाट के लिये और कहीं मुर्गी पालन के लिये धन दे देते हैं और उसका उपयोग सही प्रकार से नहीं होता तो वास्तव में वह उद्योग-धन्धे नहीं हैं। आज मंत्री जी को विचार करना पड़ेगा कि किस प्रकार से जापानी मशीनों से निब बनावें, पैमाना, बटन, बनाये जा सकते हैं। ऐसे अनेक छोटे-छोटे उद्योग, क्षेत्र समितियों के बीच में स्थापित करें। हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है और इसका बड़प्पन तभी है जब हम जनसंख्या के श्रम का पूरा लाभ उठा सकें। आज खेती बढ़ी है, जमीन नहीं बढ़ी है। जमीन पर काम करने वाले आदमी को जिस पर जमीन कम है यदि हम दूसरी जगह काम नहीं देंगे तो बेकारी बढ़ेगी जिससे बहुत सी समस्यायें खड़ी होंगी।

मैं बहुत समय न लेकर यही निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे उद्योग जिनको लगा कर आदमियों को काम मिल सकता है उनको स्थापित करें जिससे इस प्रदेश के अन्दर छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे चलें और हमारी बेरोजगारी दूर हो। अन्त में मैं उधर बैठने वाले सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह तो एक ऐसा अनुदान है जिसे हम और आप सभी चाहते हैं। इसलिये आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लें और सर्वसम्मति से इस अनुदान को पास करें। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब कटौती के प्रस्तावक तीन मिनट बोल लें।

*श्री मनोहर लाल—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जो हमारे सदन में विचार प्रस्तुत हुए उस बारे में सबसे पहले यह कह सकता हूं कि चाहे पक्ष के भाई हों या विपक्ष के भाई हों जो चीनी मिलों के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मनोहर लाल]

राष्ट्रीयकरण की बात उन्होंने कही है मैं उसका स्वागत करता हूं। यह हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में भी है कि चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाय। इसके साथ-साथ जिन भाइयों ने कटौती के प्रस्ताव का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष तो इधर वालों ने और अप्रत्यक्ष रूप से उधर वालों ने समर्थन किया मैं उनका भी आभारी हूं।

जहां तक हमने बात सुनी, जहां तक लघु उद्योग-धन्धों की बात है, सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि अगर प्रदेश की तरक्की करनी है, अगर प्रदेश को ऊपर उठाना है, तो यहां लघु उद्योग-धंधे बढ़ाना चाहिये। इसके लिये मेरा सुझाव यह है कि सरकार एक लघु उद्योग निगम की स्थापना करे। हमने देखा है कि पिछले २२ सालों तक लघु उद्योगों के लिये कोई अनुदान या ऋण दिया गया, और जिन लोगों को दिया गया उसका उन लोगों ने सही माने में इस्तेमाल नहीं किया है। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय उद्योग मंत्री जी इसके लिये एक कमेटी बना दें और उसके जरिये इस बात की जांच की जाय कि जिन लोगों को अनुदान या ऋण के रूप में रकम दी गयी, उद्योगों को ऊपर उठाने के लिये उनकी तरफ से क्या प्रयास किया गया।

(इस समय ४ बजकर २८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इन शब्दों के साथ मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि १५–२० साल से प्रदेश की सरकार और केन्द्रीय सरकार द्वारा डालडा में मिलाने के लिये किसी रंग की परीक्षा की जा रही है ताकि शुद्ध घी में उसकी मिलावट को रोका जा सके। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज तक प्रदेश की सरकार या केन्द्रीय सरकार इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी कि डालडा में कौन-सा रंग मिलाया जाय। वनस्पति कोई शुद्ध घी नहीं है लेकिन देशी घी की शुद्धता को कायम रखने के लिये डालडा में रंग मिलाने की बात सोची गयी है। जिस तरह से मिठाई में खाने वाला रंग मिलाया जाता है उसी तरह से डालडा में भी रंग मिलाने की बात है। तो माननीय मंत्री जी कृपया इस पर भी ध्यान दें। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि हमारे जो माननीय सदस्य मेरे कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोले हैं या अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस पक्ष के जिन बहुत से सदस्यों ने हमारे कटौती प्रस्ताव का समर्थन किया है, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि यह सदन मेरे कटौती प्रस्ताव का समर्थन करेगा। माननीय मंत्री महोदय से भी मैं उम्मीद करता हूं कि जो सजेशन्स हमारी तरफ से या उनकी तरफ से उनको दिये गये हैं उनको मानते हुए वे शीघ्र से शीघ्र कार्यवाही करेंगे।

*श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, मैं इस आदरणीय सदन के दोनों तरफ के सदस्यों का बड़ा आभारी हूं, कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मुझे ऐसे सुझाव दिये जिनके ऊपर हमारे विभाग को सीरियसली सोचना चाहिये। आज पहली दफा मैं इस बात को मानता हूं कि इस एक बात में हम और आप दोनों सहमत हैं, इस तरफ और दूसरी तरफ के लोग कि हमारे यहां उद्योगों का जितना विकास होना चाहिये था उतना विकास नहीं हुआ। श्रीमन्, आपको मालूम है कि जितने बड़े उद्योग भारत सरकार के यहां लगे, पहली और दूसरी योजनाओं में, हमारे यहां बाद में ऐसे उद्योग नहीं मिले। तीसरी योजना में ११४४ करोड़ रुपये के जो उद्योग लगे उसमें केवल ७२ करोड़ रुपये के उद्योग उत्तर प्रदेश में मिले जो हमारी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए बहुत कम थे, ६ प्रतिशत थे, यद्यपि हमारी जो आबादी है वह करीब १७ प्रतिशत है। हमने इस बात का प्रयास किया कि उसमें ज्यादा बढ़ोत्तरी हो। इधर के और उधर के सभी लोगों ने यहां भी और पार्लियामेंट में भी प्रयास किया और भारत सरकार से यह कहा जिसके फलस्वरूप हमें कई प्रोजेक्ट्स मिले। जैसे ऐंटीबायटिक का कारखाना, भारत हेवी एलेक्ट्रिकल्स, डिजल वैगन्स का कारखाना, फर्टिलाइजर का कारखाना, त्रिवेणी स्ट्रक्चर, इंडियन टेलीफोन फैक्टरी आदि और भी ऐसी कई फैक्टरीज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं इसके लिए हम निरन्तर प्रयास कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश में कम से कम हमारा जो हिस्सा है, जो कायदे से पापुलेशन बेसिस पर हमें मिलना चाहिये, वह फैक्टरी मिले।

मैं यह चाहता था कि इधर के बैठने वाले साथी यहां भी और पार्लियामेंट में भी इस बात की कोशिश करें और हमारा साथ दें कि सरकार की तरफ से जो बड़े-बड़े उद्योग लगाये जाते हैं, वे उत्तर प्रदेश को भी मिलने चाहिये। हम इसमें आपकी सहायता चाहते हैं और हम भी इस बात का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ-साथ हम यह भी चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर की भी बड़ी-बड़ी फैक्ट्री हमारे यहां लगें। इसके साथ ही साथ हम यह भी चाहते हैं कि हमारे यहां काटेज इन्डस्ट्रीज की स्थापना हो, छोटी इन्डस्ट्रीज भी लगें, मीडियम इंडस्ट्रीज भी लगें। मैं यह चाहता हूं कि हर एक माननीय सदस्य यह प्रयास करें कि अपने-अपने क्षेत्र में ५ छोटी इन्डस्ट्रीज लगायें, उसमें जो भी सरकार सहायता दे सकेगी, वह देगी।

छोटी इन्डस्ट्रीज में एक दिक्कत यह होती है कि जो सामान वे बनाते हैं, वह बिकता नहीं है। जब नहीं बिकता तो वह बन्द हो जाती है। हम सब लोगों से मिल कर इस बात का भी प्रयास करेंगे कि एक ऐसा आर्गेनाईजेशन बनायें जो यह प्रयास करेगा कि काटेज और मीडियम इंडस्ट्रीज जो सामान बनायें, उनकी बिक्री हो सके, उनको बाहर भेजा जा सके। मैंने यहां के कुछ लोगों की मीटिंग बुलाई थी यह सलाह लेने के लिये कि जो सामान हम बाहर भेजते हैं, उसको किस प्रकार से भेजा जाय। उन्होंने बहुत से सुझाव दिये। उनमें एक सुझाव यह भी दिया था कि बम्बई में जो हमारा सामान कालीन वगैरा जाता है, बाम्बे में उसके लिये रखने की जगह नहीं होती। उसके लिये हम एक वेअर हाउस बना दें। जहां वह सामान रखा जा सके हमने इस बात का भी प्रयास किया है कि जो सामान बाहर के देशों को हम बम्बई से भेजा करते हैं, दिल्ली से ही भेज सकें और एक ड्राई पोर्ट दिल्ली में बना दिया जाय। हम आशा करते हैं कि दिल्ली में भी एक ड्राई पोर्ट बन जायगा और वहां से बाहर सामान जाने में हमें मदद मिल सकेगी।

सरकार ने बाहर जो नुमायश लगायी है उसमें हमने नक्शा बनाया है। उसको आप अच्छी तरह से अध्ययन करें। उसमें दिखाया गया है कि उत्तर प्रदेश से कितना सामान बाहर जाता है और तमाम भारत से कितना जाता है। हम इस बात का भी प्रयास करेंगे कि छोटी-छोटी इन्डस्ट्रीज का समान बिक सके। उसके साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि उनको रा मेटीरियल भी मिल सके। क्योंकि कभी-कभी लोगों को यह शिकायत होती है कि उनको रामेटीरियल नहीं मिलता। कंट्रोल के जमाने में तो यह दिक्कत थी कि लोहा आदि बहुत सा सामान नहीं मिलता था लेकिन अब तो डि कंट्रोल हो गया है, लोहा आसानी से मिल जाता है। इस पर भी कानपुर में स्माल स्केल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन की हमने स्थापना की है। जो बाहर से सामान मंगाते हैं। उससे हम छोटी इन्डस्ट्रीज को चलाने के लिए सामान देने का प्रयत्न करेंगे।

एक बात परेशानी की और है। वह यह कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम बड़े लोगों की मदद करना चाहते हैं। यह बात सही नहीं है। हम बता देना चाहते हैं कि कांग्रेस के सभी लोग, साधारण जनता के लोगों की उतनी ही मदद करना चाहते हैं जितनी कि आप उधर के बैठने वाले करना चाहते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा।

श्री महीलाल––

वृहद् उद्योग निगम की स्थापना उसका एक सबूत है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा––

आप यह जानते हैं कि छोटी इंडस्ट्रीज से काम चलने वाला नहीं है। छोटी और बड़ी दोनों इंडस्ट्रीज के सामंजस्य से ही काम चलेगा। लेकिन जो कंसेशन्स और फेसिलिटीज बड़ी इंडस्ट्रीज को दी हैं उससे कहीं ज्यादा छोटी इंडस्ट्रीज को दी हैं।

[श्री शान्तिप्रसन्न शर्मा]

बिजली की बात कही गई। छोटी इंडस्ट्रीज को हम १५ प्रतिशत रिबेट देते हैं लेकिन बड़ी इंडस्ट्रीज को नहीं देते हैं। नो प्राफिट नो लास पर हम जमीन देते हैं। हम यह चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज के लिये ऐसी जमीन लें जो काश्तकारी में न आती हों। बंजर और ऊसर जमीनों को लेकर उनमें इंडस्ट्रीज लगाने का प्रयास करेंगे। मेरे माननीय साथी बिजली के विभाग में रहे हैं और वे सारी कंट्रोवरसी को जानते हैं। साधारण आदमी की समझ में आने में दिक्कत होती है। इसमें यह देखना होता है कि लोड फैक्टर कितना है। अगर लोड फैक्टर कहीं शत प्रतिशत है तो हम सस्ती बिजली दे सकते हैं लेकिन जहां २ या ४ प्रतिशत लोड फैक्टर है वहां नहीं दे सकते। आप इस बात को स्वयं जानते हैं कि जो बात कह रहे हैं वह ठीक नहीं है।

खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के बारे में कहा गया। चूंकि मुझे बहुत-सी बातों का जवाब देना है और समय बहुत कम है। इसलिये केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि इस बोर्ड ने १९६७–६८ में १० करोड़ ७७ लाख रुपये का माल पैदा किया और १९६८–६९ में १२ करोड़ ६७ लाख का। इस तरह से इसका काम चल रहा है।

हमारे साथियों ने चीनी मिलों की बात कही। मैं यह जानता हूं कि माननीय सदस्यों की भावना क्या है। आपको मालूम होना चाहिये कि चीनी उद्योग ऐसा है कि यह प्रदेश का अपना उद्योग है। हमारे यहां ७१ चीनी मिलें हैं। एक समय था जब आधे से ज्यादा भाग में चीनी की मनोपोली हमारे पास थी। लेकिन आज तो मदरास में चीनी पैदा होने लगी है और महाराष्ट्र तो हमारा सब से बड़ा कम्पटीटर है। हमने यह निश्चय कर लिया है कि भविष्य में अगर कोई चीनी मिल खोलेंगे तो वह कोआपरेटिव सेक्टर में खोलेंगे। उरई में हमको लाइसेंस मिल गया है और बनारस में हम खोलने जा रहे हैं। इसको कोआपरेटिव सेक्टर में लगाने जा रहे हैं। तीन के लिये हम और प्रयास कर रहे हैं। एक तो आजमगढ़ जिले में रसड़ा चीनी मिल खोलने की बात है। स्क्रीनिंग कमेटी से वह निकल गया है। हम चाहते हैं लाइसेंसिंग कमेटी हमें चीनी मिलें खोलने की इजाजत दे दे। एक माननीय सदस्य ने कहा कि देवरिया में ऐसी चीनी मिलें हैं जो इकोनोमिक नहीं हैं। शायद राजा साहब पडरौना ने कहा। अगर हम पब्लिक सेक्टर में ऐसी मिल ले लें जिससे नुकसान होने वाला है तो ऐसी बात शायद आप पसन्द नहीं करेंगे।

आखिर में जाकर जिससे नुकसान होने वाला है, ऐसी बात को आप कभी भी पसन्द नहीं करेंगे। जहां तक महाराष्ट्र और मदरास की बात है वहां इंडस्ट्री अभी-अभी आयी है, वहां फैक्टरियों की क्षमता ज्यादा है, वहां उत्पादन भी ज्यादा है। लेकिन हमारे यहां जो चीनी मिलें नुकसान में हैं, उनको अगर हम ले भी लें तब भी हम उनको कायदे से चला सकेंगे या नहीं, या खाली लोहा खरीद लेंगे, ये बातें सोचने की हैं मैं गेंदा सिंह जी और सब लोगों को सुझाव देना चाहता हूं कि तमाम प्राब्लम को इधर के और उधर के साथी बैठ कर स्टडी करें और अगर सम्भव हो तो महाराष्ट्र में कैसे चीनी उद्योग चल रहा है उसका अध्ययन करें। बागपत में जो हमारी चीनी फैक्टरी है मैंने उसका अध्ययन किया, यद्यपि वह कोआपरेटिव फैक्टरी है सिवा दो वर्षों के निरन्तर उसमें नुकसान होता चला जा रहा है। तो अगर ऐसी फैक्टरी लगायी जाय जिसमें नुकसान ही नुकसान हो तो आप इसको पसन्द नहीं करेंगे। जहां तक दाम देने की बात है हम इस बात की ओर प्रयत्नशील हैं कि जो फैक्टरियां दाम नहीं दे सकतीं या जिन पर सरकार का काफी रुपया बाकी है, उन्हें हम नैशनलाइज तो नहीं कर सकते लेकिन हम उनका इन्तजाम अपने हाथ में ले लें। परसों हमने दो चीनी मिलें बाराबंकी की अपने हाथ में ले ली हैं। और भी कुछ फैक्टरियों को लेना चाहते हैं, मैं उनके नाम नहीं बताना चाहता हूं, वह ठीक नहीं होगा। हमारा लेने का विचार है। जब हम फैक्टरी लेना चाहते हैं तो हम को कुछ ऐसे आदमी चाहिए जो उनको ठीक से चला सकें, उन आदमियों की आज भी दिक्कत है। आदमियों की खोज में हैं, अगर हमारे नियम ऐसे हो गये, हम फैक्टरियां ले लेंगे। गेंदा सिंह जी हमारी बात से प्रसन्न होंगे हम सीरियसली सोच रहे हैं कि अगले साल गन्ने का क्या होगा। हम इस बात को सोचें। यह बात

सही है कि लखीमपुर के भाई इससे बड़े चिन्तित हैं। इस साल भी कई जगह गन्ना रह गया है, लखीमपुर में रहा, कुछ बस्ती में रहा, कुछ थोड़ा सा शाहजहांपुर में रहा। हम पेराई का इन्तजाम बहुत दिन तक नहीं कर सके। इस साल जो चीनी की नीति बनाएंगे क्रशर देने में इस बात का ध्यान रखेंगे। माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे कि कोई भी काम जल्दी में करना बहुत उचित नहीं होगा। हम देखेंगे कि हमारे प्रान्त में क्या है और दूसरे प्रान्तों में क्या है। दो-दो चार चार सदस्य इधर और उधर के हो जायं, मैं सब की टीम अपने साथ ले कर चलूंगा। बैठ कर फिर एक राय बना लेंगे।

बहुत कुछ साथियों ने यह कहा कि बहुत ऐसे इलाके हैं जहां पर उद्योग नहीं लगे हैं, रीजनल इम्बलेंसेज हैं। हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि वहां भी कुछ फैक्टरी लगाएं। हमारे मथुरा के एक भाई ने कहा कि मथुरा दुनिया से न्यारी है लेकिन वहां कोई भी फैक्टरी नहीं है। लेकिन मथुरा के लिए एक फैक्टरी का इन्तजाम किया है, फर्टिलाइजर फैक्टरी ७५ करोड़ रुपये उसमें लगेंगे। तो फिर उनके तो न्यारे ही हो जाएंगे, इससे वहां के लोग बड़े प्रसन्न होंगे। इसके साथ साथ दूसरी जगह भी जहां फैक्टरियां नहीं थीं वहां भी हम इस बात के लिए कोशिश कर रहे हैं कि वहां भी अलग अलग फैक्टरियां रखें। छोटी इंडस्ट्रीज के बारे में हमारे कुछ साथियों ने कहा, शायद शिवसम्पत्ति जी थे, कि जो लोन दिये जाते हैं उनमें बड़ी गड़बड़ी होती है और जब वसूली की जाती है तो उसमें लोगों को बड़ी परेशानी होती है, कर्मचारी उन्हें बहुत परेशान करते हैं। निरन्तर २–१ महिने से मैं देखता हूं कि एक ही तरह के लोग अपनी परेशानी लेकर हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि इसकी किश्त कर दो या माफ कर दो। मैं कहता हूं जब कर्ज लिया है, तो देना ही होगा।

श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

लोन के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि बहुत से आदमियों ने इंडस्ट्री के नाम पर बहुत से लोन का पैसा ले लिया है और उन्होंने वहां पर इंडस्ट्री नहीं चलाई और पैसे का दुरुपयोग किया है, इसलिए उसको वसूल करने के लिए भी आप कोई नया तरीका अख्तियार करें।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

मुझे खुशी है कि एक साहब मिले जिन्होंने कहा कि वसूल करने का कोई तरीका निकालो, अभी तक मुझे ऐसा कोई साथी नहीं मिला था। लेकिन यदि इस तरह के साथी मिलेंगे कि जिन्होंने इंडस्ट्री के लिये लोन लिया है उसका ठीक तरह से इस्तेमाल होना चाहिये....

श्री मनोहर लाल—

अब आप चमड़ा उद्योग और दरी उद्योग के बारे में बता दीजिये।

श्री राजित राम पांडेय—

मैं आपकी आज्ञा से बताना चाहता हूं कि संविद सरकार ने, ऐसे लोन दुरुपयोग करने वाले लोगों से देन एण्ड देयर वसूल करने के आदेश लागू किये थे। लेकिन आप ऐसे लोगों का मुलाहिजा कर रहे हैं, शायद उनका आप पर प्रेशर पड़ रहा है। तो मैं चाहूंगा कि संविद सरकार की तरह से सख्ती से आप भी वसूल कीजिए।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

सभी चीजों को एक हाथ से हांकना तो ठीक नहीं होगा। विभिन्न केसों पर अलग-अलग देखना होगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईमानदारी से इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं और प्रयास भी किया, लेकिन उनको सामान कुछ नहीं मिला, बिजली खत्म हो गई तथा अन्य दिक्कतों के कारण नहीं लगा सके, तो ऐसे लोगों के साथ ऐसी व्यवस्था करना ठीक नहीं होगा। हमने जहां ठीक समझा है, थोड़ा समय और दे दिया है।

श्री दीपनारायण मणि—

जिन्होंने कर्ज लिया है, लेकिन उनके पास उद्योगों के साधन नहीं थे, जैसे कोयला आदि, तो उनके साथ वह सख्ती नहीं होनी चाहिये, किंतु जिन्होंने पैसा खा लिया उनके साथ सख्ती होनी चाहिये।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

आप तो मेरी ही बात को दोहरा रहे हैं। इसकी मुझे खुशी है कि हम और आप एक ही तरह से सोच रहे हैं।

श्री राजित राम पांडेय—

मैंने भी यही कहा है कि जो उद्योग के नाम पर लिये हैं और उद्योग नहीं चला रहे हैं। इसमें ज्यादातर कांग्रेसी लोग हैं।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

वरीवाली बात एक दफा और मेरे सामने आई, उस पर हम विचार कर लेंगे और देखेंगे कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है। हमारी परेशानी एक और है—हम नये उद्योग भी लगाना चाहते हैं, बिजली भी सस्ती देना चाहते हैं, तमाम फैसीलिटी देना चाहते हैं, तो इसके लिए कहीं न कहीं से रुपया आएगा। तो यह कहां से आयेगा? आप कहते हैं कि लैण्ड टैक्स भी न लगाओ, फीस भी न बढ़ाओ, तो आप हमें कोई तरकीब बता दें कि हम जहां से थोड़ी सी वसूली कर लें।

इसके ऊपर हम विचार कर लेंगे और अगर श्रीमन् आप सहमत हों तो क्या किस तरह से थोड़ी बहुत आमदनी बढ़ायें—इस बात पर सलाह करने की जरूरत है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आपके साथ और इधर के और उधर के साथियों के साथ बैठ जायेंगे और यह विचार कर लेंगे कि नये टैक्स क्या क्या लगने चाहिये और किस तरह से आमदनी बढ़नी चाहिये। अगर इसमें सुझाव देंगे तो इन बातों को हम सुन लेंगे। जहां तक आप ने इसकी बात कही हम इस पर विचार कर लेंगे कि ओवर आल कोई रास्ता मिल सके जिससे अपना काम हो जाये और रिसोर्सेज में कमी न पड़े। जैसे अभी रेशम उद्योग के बारे में हुआ।

श्री मनोहर लाल—

मैं चमड़ा उद्योग की बात कह रहा था। कानपुर एक प्रकार से चमड़े का केन्द्र है और आगरे में भी चमड़े की टेनरीज हैं। वहां पर काम करने वालों की तनख्वाह को बढ़ाने के बारे में आप विचार करें। जो स्कूल आपने चमड़े के अनुसन्धान का खोला है उसने सिर्फ ११० चमड़ों का परीक्षण किया है। इसलिये आप एक कमेटी बनायें जो उसके बारे में और चमड़ा उद्योग में काम करने वालों की दिक्कतों को सुन कर कुछ फैसला करें।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

कुछ और बातें भी आप कर लें और हम किसी नतीजे पर पहुंच जायें या सोल्यूशन निकाल सकें तो ठीक है और अगर किसी कमेटी के बिठाने की जरूरत होगी तो इसमें भी कोई गुरेज नहीं है। हम यह चाहते हैं कि हमारे यहां इंडस्ट्रीज बढ़ें।

श्रीमन्, हमारे कुछ साथियों ने इलाहाबाद की बात कही और यह कहा कि इलाहाबाद में इंडस्ट्रीज नहीं लगीं। तो वहां जो बहुत भारी इंडस्ट्री लग गई है और आप कहें तो मैं पढ़ दूं। श्री त्रिवेणी राय ने कहा कि ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में इंडस्ट्रीज नहीं लगी हैं। तो मिर्जापुर, बनारस, बस्ती, गोरखपुर और देवरिया यह सभी ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अगर आप कहें तो मैं पढ़ कर सुना दूं कि हमारा यहां पर इंडस्ट्रीज लगाने का इरादा है। श्री नोमानी साहब ने आजमगढ़ की बात कही। मैं यह जानता हूं कि मऊ में हैंडलूम का काम बहुत दिनों से चल रहा है और वह काम कुछ पिछले दिनों से थोड़ा सा शुरू हुआ है। मैं इस बात का प्रयास कर रहा हूं कि कुछ नये नये लायसेंस इनको मिलें और जो हैंडलूम की इंडस्ट्री है उसे हम देखें। जहां तक

पावर लूम्स की बात कही है उसे मैं देख रहा हूं और आपने जो सुझाव दिये हैं उनको भी मैं देख लूंगा।

एक सदस्य--

डालडा घी में रंग मिलाने की बात कही गई थी।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

यह बहुत पुरानी बात है और यह मांग बहुत पुरानी है। अब तो लोग डालडा खाने लगे हैं और बहुत से लोग नहीं चाहते हैं कि डालडा में रंग मिलाया जाय।

एक सदस्य--

मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष--

आप जो कुछ पूछना चाहें वह पूछ लीजिये। आप भाषण नहीं दे सकते हैं।

एक सदस्य--

मैं यह कहना चाहता हूं कि उद्योगों में प्रदेश को चीनी उद्योग को विशेष महत्व देना चाहिये। उत्तर प्रदेश में अबकी बार गन्ना जरूरत से ज्यादा पैदा हुआ है और चीनी मिलें उसको पेर नहीं सकती हैं। तो उत्तर प्रदेश में क्या सरकार कशर्स लगाने की बात सोच रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

आप जरा देर में आये। मैं पहले कह चुका था कि हम इस बात को दिखा रहे हैं कि प्रदेश में इस वर्ष कितना गन्ना पैदा होगा और फिर हम एक नई खांडसारी नीति भी तय करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि समय के अन्दर तमाम गन्ना सब जगह पिर जाय।

श्री हुक्मसिंह (जिला आगरा-फ़तेहाबाद)--

क्या आप माननीय गेंदा सिंह जी के राष्ट्रीयकरण के सुझाव को मानते हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

(कई और माननीय सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर) श्रीमन्, मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से यह विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि अगर इंडस्ट्रीज यहां बढ़ानी है जैसा कि आप भी चाहते हैं तो जो यह कटौती वाली बात है उसे वापस लें और कुछ धन बढ़ाने वाली बातें कर, हमें कुछ रुपया और भी दें जिससे कि मैं और भी इंडस्ट्री अपने यहां ला सकूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५ के अन्तर्गत १०० रुपये की कटौती की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २५--उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ९,१९,८७,४०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१ के अन्तर्गत १०० रुपये की कटौती की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४१—लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,५७,४०,७०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४७ के अन्तर्गत १०० रुपये की कटौती की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४७—औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ६,१०,५०,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत विभिन्न सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास आज भी करीब १३ नियम ५१ सूचनायें वक्तव्य देने के लिये आयी हैं । उसमें ४ ऐसी हैं जो बाढ़ के संबंध में हैं । मैंने इन चारों को एक साथ कर दिया है । बाढ़ से जो संबंधित मंत्री हैं वह इस पर अपना वक्तव्य दे देंगे । मैंने उनको स्वीकार कर लिया है । उसमें सर्वश्री राम निहोर राम, सूबेदार प्रसाद व विजय बहादुर सिंह, दलसिंगार यादव और मैनेजर सिंह के नाम हैं । दलसिंगार जी ने आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील में घाघरा नदी की बाढ़ के संबंध में दिया है । मैनेजर सिंह जी ने बलिया में गंगा नदी की बाढ़ के संबंध में दिया है । इनमें कटान के विषय में भी कहा गया है । तो माननीय मंत्री जी इसके विषय में अपना वक्तव्य देंगे । इन सबको मैंने स्वीकार किया है और बाकी को स्वीकार नहीं किया है । इनको भी बताये देता हूं । श्री डूंगर सिंह का तराई क्षेत्र जिला नैनीताल में १४ जुलाई से ३० जुलाई, १९६९ तक ५ डकैतियों के बारे में । श्री नित्यानन्द स्वामी, श्री हिम्मत सिंह और श्री राम गोपाल संड ने गैर सरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के गैर शिक्षक कर्मचारियों के प्रतिनिधियों द्वारा आज से अनिश्चित भूख हड़ताल के संबंध में दिया है। इस संबंध में मंत्री जी यहां पर वक्तव्य देंगे जिसकी चर्चा साढ़े ५ बजे के बाद होगी । तो उसके बाद ये समाप्त हो जायगे ।

इसके बाद श्री सूरज लाल ने गोंडा जिले की करनैलगंज नगरपालिका में भ्रष्टाचार के विरोध में ५ अगस्त से २ व्यक्तियों द्वारा भूखहड़ताल के लिये दिया है । इसको स्वीकार नहीं किया है । एक श्री त्रिवेणी सहाय ने गोंडा जिले के तुलसीपुर नामक स्थान पर श्री मातश्वरी प्रसाद द्वारा श्री महीलाल पर गोली चलाया जाना है । यह महीलाल नहीं हैं, वे दूसरे हैं। इसलिये इसको स्वीकार नहीं किया गया है ।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य व श्री उमाकान्त बाजपेयी "चौधरी शिव सहाय इंटर कालिज गुर गोला, फतेहपुर के छात्रों पर पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना"। इसको भी मैंने स्वीकार नहीं किया है।

सर्वश्री उमाशंकर शुक्ल, तेज बहादुर व हरनारायन—"ग्राम निवाजपुर जिला शाहजहांपुर में वर्तमान किसानों की भूमि बड़े जोतदारों को एलाट किया जाना।" यह भी महत्व का है, लेकिन मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अगले दिन देंगे तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा।

सर्वश्री दीपनारायणमणि, बैजनाथ व फिरंगी—"गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं तत्संबंधी महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये सुरक्षित स्थानों का न भरा जाना।" यह भी स्वीकार नहीं हुआ है।

श्री अनन्त राम जायसवाल—"रीजनल इंजीनियरिंग कालेज वारंगल तिलंगाना, आंध्रप्रदेश में पढ़ने वाले उत्तर प्रदेश के छात्रों को उत्तर प्रदेश के इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश न मिलना।" यह भी स्वीकार नहीं हुआ।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)—

मेरा गोरखपुर विश्वविद्यालय के संबंध में है, पहले भी निवेदन किया था, १०—१२ जिलों का मामला है।

श्री अध्यक्ष—

स्वीकार नहीं हुआ है। अल्पसूचित प्रश्न भेजें तो मैं उसको स्वीकार कर लूंगा।

एक सदस्य—

ईसर नदी में नाव डूबने से हमारे क्षेत्र में ३–४ आदमी मर गये और दो-तीन आदमी हर साल मर जाते हैं। हमने परसों दिया था, उसका कोई जिक्र नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

तो प्रश्न कर लीजिये, जल्दी हो जायगा।

एक सदस्य—

मेरे जिले में एक विद्यालय में विद्यार्थियों पर गोली चलायी गयी, उससे वहां बड़ी सनसनी है। इसे स्वीकार करें।

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

एक विद्यालय में गोली चलाना, यह बड़े महत्व की बात है, इतनी दर्दनाक बात हो गयी, दो तीन दिन बाद आप सुन लें, लेकिन...

श्री अध्यक्ष—

दोबारा दे दें।

एक सदस्य—

यह विद्यार्थियों के जीवन से खिलवाड़ करने की बात है, बड़ी महत्वपूर्ण है ...

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा था कि दोबारा दे दें। सुनते तो हैं नहीं, बोलने की इच्छा है।

अब सभी के लिये यह है कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर लें।

(व्यवधान)

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

वहां कांग्रेस कार्यकर्त्ता ने हरिजन को मार डाला है, उस पर विचार जरूर होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

हो गया, आज आप दो दफा बोल चुके।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, क्या गांधी शताब्दी में हरिजनों पर ऐसे ही अत्याचार होता रहेगा। मालूम हो ा है कि जैसा कोई मजाक हो गया है। मुख्य मंत्री जी यह न भूलें कि हरिजनों के ऊपर ही सरकार बनाये हुये हैं।

गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के संबंध में सर्वश्री प्यारे लाल, शम्भू नाथ चौधरी, राम चरण त्रिपाठी तथा शिव प्रसाद पांडेय द्वारा दी गयी सूचना पर नियम ५१ के अन्तर्गत स्वायत्त शासन मंत्री वक्तव्य देंगे। वक्तव्य सुनाएं।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री अतीकुर्रहमान)—

देहली शहर के केवल १३ मील की दूरी पर पूर्व की ओर जाने वाली सभी रेलों व सड़कों के मार्ग में बसे होने के कारण गाजियाबाद नगर तथा देहली यू० पी० बार्डर तक फ़ैले क्षेत्र की एक खास स्थिति है। १९४७ में देश की आजादी व विभाजन के बाद से गाजियाबाद क्षेत्र में काम करने वालों तथा देहली में काम करने जाने वालों की संख्या में निरन्तर बहुत तेजी से वृद्धि हुई। अधिकांश क्षेत्र के पूरी तौर से अविकिसित होने पर भी जी० टी० रोड, मेरठ रोड, व हापुड़ रोड तथा शहर के अन्य रिहायती भागों तथा उनसे मिले भागों में सड़क, पानी, नाली आदि की व्यवस्था के बिना ही अनेकानेक कारखाने व मकान तेजी से बनने लगे।

श्री अध्यक्ष—

यह इतना बड़ा वक्तव्य है सात पेज का। सारा समय इसके पढ़ने में निकल जायेगा। लोग इस पर प्रश्न भी पूछना चाहेंगे।

श्री अतीकुर्रहमान—

श्रीमन्, यह बिला वजह नहीं है। आपने गौर फ़रमाया होगा कि इसमें नौ प्रश्न भी दिये गये थे। मैंने अपना फ़र्ज समझा कि इन सब को कवर कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

आप संक्षेप में कहते जायं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

इसीलिये मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि यह सात पृष्ठ की चीज है और अभी दो मिनट पहले मिली है। पांच मिनट में पढ़ना इसको असंभव है तो फिर सवाल कैसे कर पायेंगे?

श्री अध्यक्ष—

अगर एक एक पैराग्राफ़ का संक्षेप में तथ्य दे सकते हों तो देते चलिये।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

संक्षेप में अपनी बात कह देना अक्ल का काम न होगा ।

श्री अतीकुर्रहमान—

मैं मुख्तसर तौर पर कहता हूं .....

एक सदस्य—

हमने इसको "पढ़ा हुआ मान लिया।" अब प्रश्न करने की इजाजत दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने वक्तव्य पढ़ा नहीं और सदस्यों को प्रतिलिपि मिली नहीं तो हम लोग प्रश्न कैसे उठावेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह आपका प्रश्न तो था नहीं ?

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल—

अध्यक्ष महोदय, यह मेरा प्रश्न नहीं, सारे सदन का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

क्या हम मूक दर्शक की तरह बैठे रहें ?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

माननीय सदस्यों को चूंकि कोई सूचना नहीं है और आप इतनी प्रति दे नहीं सकते और माननीय मंत्री महोदय वक्तव्य दे नहीं पा रहे हैं....

श्री अध्यक्ष—

वक्तव्य दे पा रहे हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

संक्षेप में दे नहीं पा रहे हैं । अच्छा हो कि इनको दूसरे दिन के लिये रख दिया जाय ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आज मंत्री जी अपना वक्तव्य पढ़ दें और फिर प्रश्नों के लिये मैं फिर समय दूंगा ।

श्री अतीकुर्रहमान—

देहली शहर से केवल १३ मील की दूरी पर पूर्व की ओर जाने वाली सभी रेलों व सड़कों के मार्ग में बसे होने के कारण गाजियाबाद नगर तथा देहली यू० पी० बार्डर तक फैले क्षेत्र की एक खास स्थिति है। १९४७ में देश की आजादी व विभाजन के बाद से गाजियाबाद क्षेत्र में अनेकानेक नये कारखाने कायम होने व गाजियाबाद क्षेत्र में काम करने वालों तथा देहली में काम करने जाने वालों की संख्या में निरन्तर बहुत तेजी से वृद्धि हुई। अधिकांश क्षेत्र के पूरी तौर से अविकसित होने पर भी जी० टी० रोड, मेरठ रोड, व हापुड़ रोड तथा शहर के अन्य रिहायशी भागों तथा उनसे मिले भागों में सड़क, पानी, नाली आदि की व्यवस्था के बिना ही अनेकानेक कारखाने व मकान तेजी से बनने लगे ।

[श्री अतीकुर्रहमान]

२——केन्द्रीय सरकार के टाउन एन्ड कंट्री प्लानिंग आर्गेनाइजेशन ने देहली से लगभग ७५ मील तक के क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिये रीजनल प्लान व देहली क्षेत्र के लिये मास्टर प्लान बनाया। केन्द्रीय शासन के आग्रह पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, देहली के साथ-साथ, सीमावर्ती गाजियाबाद क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिये गाजियाबाद मास्टर प्लान बनाया गया जिसमें मुख्य सड़कें, इंडस्ट्रियल एरिया, कार्मशियल एरिया, रेजीडेंशियल एरिया, खुली जगह, आदि प्रस्तावित की गई। कारखाने, दूकानें, मकान, आदि बनाने वालों के लिये यू० पी० (रेग्यूलेशन आफ़ बिल्डिंग आपरेशन) ऐक्ट, १९५८ (जो दिसम्बर, १९५८ से गजियाबाद क्षेत्र में लागू किया गया।) के अधीन प्रेस्क्राइब्ड आथोरिटी से नक्शा मंजूर कराना जरूरी करार दिया गया ताकि सारे निर्माण मास्टर प्लान में दिखाये गये लैण्ड यूज व डायरेक्शन/रेगूलेशन में दिय गये स्टैन्डर्ड के अनुसार हों।

३——उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी महसूस किया कि क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिये केवल यू०पी० (आर० बी० ओ०) ऐक्ट, १९५८, के अधीन जनता के द्वारा निर्माण पर नियंत्रण ही काफ़ी नहीं है बल्कि इस विकासशील क्षेत्र में कारखानों, दूकानों व मकानों को तेजी से बढ़ती हुई आवश्यकता के अनुसार एक बड़े पैमाने पर विकसित प्लाटों की व्यवस्था करना भी नितान्त आवश्यक है। इस काम के लिये जुलाई, १९६९ में यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ के अधीन शासन ने गाजियाबाद में एक इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कायम किया और इंडस्टियल एरिया के विकास के लिये यू० पी० स्टेट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन ने गाजियाबाद में अपनी शाखा खोलकर काम शुरू किया। १९६१ में गाजियाबाद की जनसंख्या लगभग ६३,००० थी जो अब लगभग १.२५ लाख हो गई है और १९८१ तक ६ लाख होने की आशा है। १९६० में गाजियाबाद में २५८ कारखाने थे जिनकी संख्या अब लगभग ७५९ है। वर्ष १९७५ कारखानों की संख्या एक हजार से अधिक होने की आशा है। गाजियाबाद में बढ़ती हुई आबादी व कारखानों की संख्या को नियोजित ढंग से बसाने के लिये बड़े पैमाने पर नये क्षेत्रों का विकास आवश्यक है। और काफ़ी हद तक ट्रस्ट व कारपोरेशन द्वारा बड़ी संख्या में विकसित प्लाटों के उपलब्ध होने के कारण १९६०–६९ में बड़ी वृद्धि संभव हुई है।

४——गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा रेजीडेन्शल व कार्मशियल विकसित प्लाटों के लिये सन् १९६०-१९६७ के बीच लगभग २,००० एकड़ व सन् १९६८ ६० में लगभग २,४०० एकड़ भूमि लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४, धारा ६/१७ के अधीन विज्ञापित की गई। पहली २,००० एकड़ भूमि में से लगभग १,७०० एकड़ भूमि का कब्जा १९६२–१९६८ में लिया गया और उसमें से लगभग १,१०० एकड़ भूमि को विकसित किया जा चुका है। शेष ६०० एकड़ भूमि तथा १९६९ में कब्जा ली गई लगभग १,५०० एकड़ भूमि पर विकास कार्य प्रारम्भ करने की व्यवस्था की जा रही है। कब्जा लेने के बाद भी कुछ क्षेत्रों में कार्य तुरन्त इसलिये नहीं प्रारम्भ हो पाता है क्योंकि स्टे आर्डर के कारण बीच-बीच में टुकड़े अर्जित नहीं हो पाते हैं और ऐसे टुकड़ों पर कब्जा हुये बिना सड़क, नाली, सीवर, पानी, बिजली लाइन नहीं डाली जा सकतीं।

५——ट्रस्ट द्वारा विकसित किये गये १,१०० एकड़ भूमि पर लगभग ७,४०० रेजीडेन्शियल व कार्मशियल प्लाट बनाये जा चुके हैं और लगभग ५,५०० प्लाट एलाट किये जा चुके हैं। लगभग १,४०० प्लाट लैंड पालसी आप्ट करने वालों, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा मकान/दूकान बनाने तथा अन्य विभागों, सार्वजनिक प्रायोजनों आदि के हेतु रिजर्व है। लगभग ४०० रेजीडेन्शियल प्लाटों का तथा १०० कार्मशियल प्लाटों का एलाटमेंट शेष है और उनका डिस्पोजल शीघ्र ही किया जायेगा। उक्त प्लाटों के डिस्पोजल के अतिरिक्त गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने अर्जित क्षेत्र में लगभग १,००० मकान व २०० दूकानें स्वयं बना कर जनता को किराये पर व बिक्री की व्यवस्था की है। मजदूरों के लिये लगभग ८०० मकान बने हैं व चौथी योजना में ५०० मकान और बनाने का प्रस्ताव है।

६—इसके अतिरिक्त गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा विकसित पहली व दूसरी योजनाओं (गांधी नगर व नवयुग मार्केट) में से गांधी नगर में प्रायः सभी प्लाटों पर प्राइवेट लोगों ने दो मंजिले मकान बना लिये हैं और नवयुग मार्केट में भी प्राइवेट लोगों द्वारा बहुत से प्लाटों पर तिमंजिले मकानों का निर्णय हो चुका है, और वे पूरी तौर से आबाद हो चुके हैं। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की तीसरी योजना कवि नगर में भी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के लगभग ४५० मकानों के अलावा प्राइवेट लोगों द्वारा मकानों का निर्माण तेजी से हो रहा है और लगभग ५९ मकान बन चुके हैं इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की चौथी योजना राज नगर में ट्रस्ट द्वारा लगभग ४०० मकानों का निर्माण हुआ है और इस क्षेत्र में भी प्राइवेट लोग अपने मकान बना रहे हैं। प्राइवेट लोगों को मकान बनाने की सुविधा देने हेतु इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट "लो-इनकम ग्रुप व "मिडिल इनकम ग्रुप योजनाओं के अधीन ऋण प्राप्त करके वितरण करने की व्यवस्था कर रहा है।

७—माननीय श्री प्यारे लाल शर्मा तथा श्री शम्भू नाथ चौधरी आदि ने यह कहा है कि "गाजियाबाद में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट नगरपालिका द्वारा हजारों एकड़ भूमि अर्जित की जा चुकी है और उसको ५० वर्षों तक भी आबाद नहीं किया जा सकता है"। इस सम्बन्ध में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं उनसे यह स्पष्ट है कि नगर पालिका द्वारा कोई बड़ा क्षेत्र अर्जित नहीं किया गया है। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने भी जो क्षेत्र अर्जित किया है वह आवश्यकता से अधिक नहीं है और उस सभी भूमि पर विकास तथा निर्माण कार्य तेजी से चल रहे हैं। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि ट्रस्ट द्वारा हजारों एकड़ भूमि ली जा चुकी है और उसको ५० वर्षों तक भी आबाद नहीं किया जा सकता है।

८—गाजियाबाद में कारखानों लिये विकसित प्लाटों की व्यवस्था करने के लिये यू०पी० स्टेट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन द्वारा लगभग ३,८०० एकड़ भूमि का अर्जन किया जा रहा है। लगभग २,७०० एकड़ भूमि का (१९६२—१९६९ में) कब्जा लिया जा चुका है और उसमें से लगभग १,२५० एकड़ भूमि का इंडस्ट्रियल कारपोरेशन द्वारा विकास किया जा चुका है उक्त १,२५० एकड़ भूमि पर बने ८०३ प्लाटों में से ७१४ प्लाटों का आवन्टन हो चुका है और केवल ८० प्लाटों का आवंटन होना शेष है शेष क्षेत्रों का विकास अभी इस कारण नहीं हो पाया है कि बीच-बीच में कई टुकड़ों पर स्टे आर्डर हैं और कुछ अर्जित क्षेत्र तक पहुंचने के लिये दिल्ली के पास यमुना के ऊपर पुल का काम पूरा होने की प्रतिक्षा है। स्टेट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन भी शीघ्रताशीघ्र प्लाटों को विकसित करके एलाट करने का निरन्तर प्रयास कर रहा है। १९६० में गाजियाबाद में कारखानों की संख्या २५८ थी जो अब बढ़ कर ७५९ हो गई है और १९७५ तक कारखानों की संख्या १,००० से अधिक होने की आशा है। इस क्षेत्र के दिल्ली, मेरठ आदि के समीप होने, देश के बड़े भाग के साथ यातायात सुगम होने, काफी संख्या में विकसित इन्डस्ट्रियल प्लाटों के उपलब्ध होने तथा मजदूरों आदि के लिये मकानों की व्यवस्था होने के कारण यह आशा है कि कारखानों की संख्या भविष्य में और तेजी से बढ़ेगी। इसका एक प्रमाण यह भी है कि लगातार उपलब्ध रिहायशी व इन्डस्ट्रियल प्लाटों व मकानों के मुकाबले में कहीं अधिक व्यक्ति प्रार्थना-पत्र देते हैं। उपलब्ध प्लाटों एवं मकानों की अपेक्षा मांग निरन्तर बढ़ती जा रही है।

९—श्री प्यारे लाल तथा अन्य माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि "नगर प्रशासक कई नई-नई योजायें बना कर गरीबों को परेशान कर रहा है और इसी आधार पर पूंजीपतियों से बड़ी-बड़ी रकमें खा रहा है" लेकिन उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट (specific) बात नहीं कही है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि गाजियाबाद के मास्टर प्लान के अनुसार रियायशी, व्यवसायिक व औद्योगिक प्लाटों की आवश्यकता को देखते हुए भूमि के अर्जन तथा विकास की व्यवस्था की जा रही है। भूमि का अर्जन तथा विकास एक योजना-बद्ध सरीके से किया जा रहा है। जिन लोगों की भूमि अर्जन की गई है उनको यह भी सुविधा दी गई है कि वे चाहें तो विकास व्यय देकर ४० परसेंट —४७ १/२ परसेंट भूमि लैण्ड पालिसी के के अन्तर्गत वापस ले सकते हैं। यह कहना ठीक नहीं है कि आवश्यकता के मुकाबले में बहुत अधिक भूमि को बिनो किसी उद्देश्य व सिद्धान्त के अर्जित कर लिया गया है और गरीबों को

[श्री अतीकुर्रहमान]

परेशान किया जा रहा है। वास्तव में स्थिति इसके विपरीत है। इम्प्रूवमन्ट ट्रस्ट, नगरपालिका व शासन ने अनेक मकान मजदूरों के लिये व कम आय के लोगों के लिये बनवाये हैं तथा बहुत से विकसित प्लाट कम आय के लोगों को रिहायती तथा अन्य प्रयोजनों के लिये दिये गये हैं। बड़ी संख्या में वाजिब किराय व वाजिब मूल्य पर मकानों व प्लाटों के उपलब्ध होने से कम आय के लोगों को काफी सुविधा मिली है।

१०--माननीय श्री प्यारे लाल तथा अन्य माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि गरीबों की पुरानी आबादियों को इंडस्ट्रियल एरिया से मुक्त नहीं किया गया है परन्तु पूंजीपतियों के अनधिकृत मकानों, दूकानों व फक्टरियों को छोड़ दिया गया है और रिहायशी क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र में बदलने की घोषणा की गयी है माननीय सदस्यों ने किसी मिसाल का जिक्र नहीं किया है इसलिए इसके बारे में निश्चित उत्तर देना संभव नहीं है। सामान्य तौर पर स्थिति यह है कि मास्टर प्लान में दिखाये गये लैण्ड यूज के अनुसार स्वीकार के हेतु प्राप्त नक्शों तथा बिना स्वीकृत के बनाये गये निर्माण पर यू० पी० (आर० वी० ओ०) ऐक्ट के अधीन कार्यवाही की जाती है। कानून गरीब, अमीर सभी के लिए एक ही है। माननीय सदस्य यदि किसी विशेष मामले की सूचना देंगे तो इसकी जांच करा ली जायेगी। माननीय सदस्य ने रिहायशी क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र में बदलने का जिक्र किया है परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया है कि उनका मतलब किस खास एरिया से है। गाजियाबाद मास्टर प्लान में मेरठ रोड, पटेल रोड व हापुड़ रोड पर स्थित क्षेत्र रेसीडेंशियल दिखाया गया है। इस क्षेत्र में लगभग १७० कारखाने चल रहे हैं। इस क्षेत्र में स्थित कारखाने के मालिकों ने समय-समय पर यह प्रतिवेदन दिये हैं कि उनके कारखानों को न हटाया जाय क्योंकि इसके कारखानों के काम में बाधा होगी और काफी बड़ी पूंजी तथा श्रम नष्ट हो जायगा। प्रदेश के औद्योगीकरण तथा कारखानों में काम कर रहे मजदूरों आदि के हितों को ध्यान में रहते हुए शासन का विचार है कि इन कारखानों को बदस्तूर चलने दिया जाय परन्तु उनका बिस्तार करने की अनुमति न दी जाय तथा इस क्षेत्र में रिहायशी मकान हैं उनको भी बदस्तूर रहने दिया जाय।

११--गाजियाबाद नगरपालिका (नवम्बर, १९५९) में अनियमितायें तथा कुशासन के कारण सुपरसीड की गयी थी। इसके सुपरसेशन की अवधि ३१ दिसम्बर, १९६९ को को समाप्त हो रही है। गाजियाबाद नगरपालिका का चुनाव कराने के प्रश्न पर शासन द्वारा विचार हो रहा है।

१२--गाजियाबाद नगर की आबादी १९६१ में ६३ हजार से बढ़कर अब १.२५ लाख हो गयी है। कारखानों, मकान आदि की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा १४८ दूकानें बन चुकी हैं व ४८ दूकानें (कुल लगभग दो सौ) बन रही हैं। आवश्यकतानुसार ट्रस्ट और दूकानें बनवायेगा। नगरपालिका ने भी विभिन्न स्थान पर ३१४ दुकानें बनाई हैं और ४०० ठेला पटरी वालों आदि के लिए नई सब्जी मंडी का निर्माण पूरा होने जा रहा है। इसके अलावा लगभग हर क्षेत्र में प्राइवेट लोगों ने भी बहुत-सी नई दूकानें बनवायी हैं। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि दूकानों की संख्या अब भी वही है जो तब थी जब कि आबादी २०-२५ हजार थी। जी० टी० रोड मेरठ में हापुड़ रोड पर बहुत बड़ी संख्या में ट्रकें, बस, मोटरें, रिक्शा आदि चलती हैं। इसलिए सड़कों पर (विशेषकर जी० टी० रोड व जवाहर लाल रोड) कन्जेशन को दूर करने के लिए ठेले वालों की रोकथाम नियमानुसार की जाती है। पुलिस व एस० डी० एम० के अत्याचार की किसी विशेष घटना का जिक्र माननीय सदस्य ने नहीं किया है। मास्टर प्लान के अनुसार हापुड़ रोड पर एक बड़े क्षेत्र में बस ट्रक टरमिनस बना कर जी० टी० रोड पर स्थित पुराने बस स्टैंड को शिफ्ट कर दिया गया है, इससे बहुत सुविधा हो गयी है।

१३--गाजियाबाद नगरपालिका सफाई, शिक्षा, रोशनी, रिक्शा, ठेला, तांगा स्टैंड आदि की उचित व्यवस्था कर रही है। १९५८-५९ में २५५ के स्थान पर सफाई विभाग में

कर्मचारियों की संख्या अब ६७८ हो गयी है और सफाई का खर्च १९५८–५९ में रु० १.८३ लाख से बढ़ कर अब ८ लाख हो गया है। प्राइमरी, जूनियर व हायर सेकन्डरी स्कूलों की संख्या २१ से बढ़कर ४१ हो गयी है और शिक्षा पर व्यय २.२५ लाख रुपये से बढ़ कर ५ लाख हो गया है। इसी प्रकार सड़कों पर रोशनी का व्यय ०.४७ लाख रु० से बढ़कर २.७५ लाख हो गया है। सड़क की मुख्य सड़कों पर व जी० टी० रोड पर दिल्ली यू० पी० बाडर से नगरपालिका की दूसरी सीमा तक ट्यूबलाइट की व्यवस्था की जा रही है। १९५८–१९६९ तक सड़कों, नालियों व खरंजों पर नगरपालिका न लगभग रु० १८.५० लाख व्यय किया १९६९–७० में रु० ५.५० लाख सड़कों व खरजों पर तथा रु० १८ लाख सीवर लाइन पर व्यय करन का प्रस्ताव है। इससे यह साफ है कि नगरपालिका सफाई, शिक्षा, नाली, खरंजों, सड़कों, रोशनी आदि पर अधिकाधिक मात्रा में व्यय कर रही है। टोल टैक्स वसूलयाबी क लिए नगर-पालिका म पर्याप्त स्टाफ है इसक अतिरिक्त एक इंसपेक्टर रोजना तथा एक्जीक्यूटिव आफिसर इंचार्ज व प्रशासक समय पर चेकिंग करते रहते हैं तथा टैक्स की चोरी के मामलों पर सख्ती से कार्यवाही की जाती है। टोल टैक्स से आमदनी क आंकड़े इस प्रकार हैं :—

(रुपये लाखों में)		(लाख रुपयों में)	
१९६५–६६	१९६६–६७	१९६७–६८	१९६८–६९
७.४०	७.७६	९.३२	१७.३

१४—नगरपालिका की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव जनता से प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के बाद ही शासन द्वारा स्वीकृत किया जाता है। पिछली बार सीमा ९ फरवरी, १९६७ को नियमानुसार कायवाही करने के बाद बढ़ाई गई थी। ताकि नगरपालिका की सीमा क बाहर नये क्षेत्र में स्थापित कारखानों, मकानों आदि को नागरिक सुविधायें मिल सक तथा उक्त क्षत्र म स्थित कारखानों, ट्रासपोट कम्पनियों व मकानों सटक्स वसूल किया जा सके। क्योंकि बिना टैक्स दिये हुए नगर को सभी सुविधाएं का उपयोग कर रह थ। गाजियाबाद रेलवे स्टशन की दूसरी ओर स्थित जिस आबादी का जिस माननीय सदस्य ने किया है उस तक पहुंचने के लिए फिलहाल कोई सड़क नहीं है। अतः नगरपालिका उस क्षत्र की अपनी सीमा म लेने में असमर्थ है, क्योंकि बिना सड़क के सफाई आदि की व्यवस्था करना संभव नहीं है। गाजियाबाद इम्प्रूवमट ट्रस्ट रेलवे अधिकारियों से उचित स्थल पर सड़क व ओवरब्रिज आदि बनाने क संबंध में विचार विमर्श कर रही है। सड़क का कुछ भाग सुरक्षा विभाग की अनुमति से मिलेट्री के पास फाम में बनाना पड़ेगा। उक्त आबादी तक पहुंचने वाली सड़क के बन जाने क बाद नगरपालिका इस आबादी को अपनी सीमा में लेने के प्रश्न पर विचार करेगी।

१५—माननीय श्री प्यारे लाल शर्मा व अन्य सदस्यों ने श्री एस० पी० झा अधिशासी अभियन्ता नगरपालिका गाजियाबाद के विरुद्ध जिस बयान हलफी वाली शिकायत का जिक्र किया है उस पर शासन द्वारा जांच कराई गयी थी। जांच रिपोर्ट शासन के विचाराधीन है। यह कहना ठीक नहीं है कि श्री एस० पी० झा का गाजियाबाद नगरपालिका से तबादला होन पर भी रोक दिया है क्योंकि शासन न कभी श्री झा के गाजियाबाद से तबादल का कोई आदश ही नहीं दिया था।

(लिखित वक्तव्य के पृष्ठ २, पैरा ५ के शब्द लगभग ४०० पृष्ठ ३ के पैराग्राफ ७ तक पढ़ने के उपरान्त)

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, आचार्य जी इनकी मदद कर दें, वे पढ़ दें।

(कई आवाजें—इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।)

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी, आप आगे न पढ़ें, यह बाकी भाग पढ़ा हुआ माना जायेगा। जिस रोज मैं इसे रखूं उस दिन इस पर प्रश्न पूछे जायेंगे। आज नहीं पूछे जायेंगे।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय गैर शिक्षक संघ द्वारा ९ अगस्त, १९६९ से हड़ताल की घोषणा के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

अब शिक्षा मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है और वक्तव्य के ऊपर पहले उन्हीं के सम्बन्ध में प्रश्न पूछे जायेंगे। उसके बाद माध्यमिक विद्यालयों के गैर सरकारी कर्मचारियों के बारे में बाद में पूछे जायेंगे। पहले पन्द्रह मिनट उसके लिये पूछ लिये जांय। छः बजे मैं समाप्त करूंगा।

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १३ मई, १९६८ का जो जी० ओ० निकला था नान-टीचिंग एम्प्लाईज के बारे में, वह क्या है?

शिक्षा मंत्री (श्री रामजीलाल सहायक)—

इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न साफ करिये।

श्री डी० पी० बोरा—

अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न किया है कि १३ मई, १९६८ गैरशिक्षक कर्मचारी जो विश्वविद्यालय के हैं उनके बारे में एक राजाज्ञा निकली थी, उसको क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे?

श्री रामजीलाल सहायक—

इसकी सूचना की आवश्यकता होगी। इस वक्त इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री डी० पी० बोरा—

श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी की जानकारी के लिये मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ९-५-१९५९ को गवर्नमेन्ट की तरफ से एक पत्र आया था। उस पत्र को मैं पढ़कर नाना चाहता हूं—

"A copy of the letter No. from the Director of Medical and Health Services, U. P. to the Registrar, Lucknow University.

I have the honour to state that Government have ordered that since the dearness allowance of the University staff who are drawing more D. A. than that allowed to the Government servants at Government level, it would be difficult for the Government to consider the question of increasing the Dearness Allowance to the low-paid staff of the Lucknow University and the associated medical colleges....."

श्रीमन्, इसी सिलसिले में १३ मई, १९५९ को जब माननीय गुप्ता जी लखनऊ विश्वविद्यालय के ट्रेजरार थे यह बात एक्जीक्यूटिव काउन्सिल से पास हो गई थी और इस तरीके से विश्वविद्यालय गैरशिक्षक कर्मचारियों का डी० ए० कुछ कम कर दिया गया था और यह कहा था कि भविष्य में इन लोगों को राज्य सरकार के बराबर भत्ता मिला करेगा। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं और यह कहना चाहूंगा कि १३ मई, १९६८ को जो राजाज्ञा निकली थी उसके मुताबिक मंहगाई भत्ता मिलना चाहिये। इस बार जो बजट में प्राविजन रक्खा गया है उसमें उन को एक अगस्त की जगह १ जुलाई, १९६९ से दिया जा रहा है। इस तरीके से जो यह करीब एक साल का डी० ए० नहीं मिल रहा है जो दो बार बढ़ा है १ अगस्त, १९६८ और दूसरी जनवरी, १९६९ से बढ़ा है और उसके मुताबिक गैर शिक्षक विश्वविद्यालय कर्मचारियों का नहीं बढ़ा है। तो इसके ऊपर माननीय मन्त्री जी क्या कहना चाहते हैं?

श्री रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, विश्वविद्यालय के गैरशिक्षक लोगों की बहुत-सी मांगें शासन के सामने आईं और उनमें कई प्रकार की मांगें थीं। उनमें से मंहगाई भत्ते के ऊपर निर्णय लिया गया और वह जो निर्णय लिया गया वह हमारे बजट में है। वह यह है कि १-७-१९६९ से हम दे सकेंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या माननीय मन्त्री जी को मालूम है कि जो दरें आपने दीं राज्य कर्मचारियों के समान, क्या वह सब विश्वविद्यालय ने स्वीकार कर लीं?

श्री रामजीलाल सहायक—

राज्य कर्मचारियों के समान थीं कहां।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

क्या माननीय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने गैरशिक्षक कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में जो जांच कराई है वह कहां तक ठीक है और कहां तक ठीक नहीं है। मान्यवर, इस जवाब में जो वक्तव्य पढ़ा गया है उसको मैं साफ कर दूं। उसमें केवल विश्वविद्यालय भर की चर्चा है। यदि मांगें मान लेंगे तो शासन पर इतना भार बढ़ जायेगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि उन मांगों की औचित्य के सम्बन्ध में भी कोई जांच कराई है या नहीं?

श्री रामजीलाल सहायक—

औचित्य के बारे में तो सवाल आता नहीं है। शासन के सामने आर्थिक पहलू रहता है क्योंकि उसे पैसा देना पड़ता है।

श्री डी० पी० बोरा—

श्रीमन्, १३ मई, १९६८ की एक राजाज्ञा है। जब माननीय गुप्ता जी विश्वविद्यालय के ट्रेजरार थे तो उस समय यह कहा गया था कि उनका डी० ए० बराबर किया जाता है तो जब कि एक वर्ष में सरकारी कर्मचारियों को २ बार बढ़ा हुआ मंहगाई भत्ता मिला तो क्या कारण है कि अब उसका उसके मामले में कार्यान्वयन नहीं हो रहा है?

श्री रामजीलाल सहायक—

पुराना कोई निश्चय हुआ हो, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। जो निश्चय अब शासन ने लिया है वह मैं बता रहा हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार ने सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया है कि इन्हें भी राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता मिले ?

श्री रामजीलाल सहायक—

ऐसा नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर) —

जब माननीय मंत्री जी और यह सरकार सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों, विश्वविद्यालय और माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के शिक्षकों को महंगाई भत्ता देने में समर्थ है तो इन बेचारे गरीब गैर शिक्षकों को बढ़ा हुआ मंहगाई भत्ता न देने का क्या करण है ?

श्री रामजीलाल सहायक—

जैसी माननीय सदस्यों को उनसे सहानुभूति है या वे प्रदर्शित करते हैं, वह तो हम भी है लेकिन हमारे पास उतने साधन नहीं हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जब विश्वविद्यालय, माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं और प्राइमरी स्कूल्स के अध्यापकों का इन्तजाम हो गया है और सरकार के जितने बड़े अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनके लिए प्रबन्ध हो सकता है तो इन बेचारे गरीब गैर शिक्षक कर्मचारियों को देने में क्या रुकावट है ?

श्री अध्यक्ष—

जो रुकावट है, वह तो इन्होंने बता दी है।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया) —

माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि विश्वविद्यालय, डिग्री कालेजों तथा माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के शिक्षकों को १-१-१९६९ से सुविधा दी गयी है लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि महा विद्यालयों में आदेश गये हैं कि सब अध्यापकों को ३०-६-१९६७ से वेतन वृद्धि देय होगी जो सरकारी कर्मचारियों को दी गयी। तो क्या मेरी इस सूचना को आधार मान कर माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो उन्होंने वक्तव्य दिया है इसमें भ्रम है ?

श्री रामजीलाल सहायक—

सूचना से काम नहीं चलेगा। आप लिख कर दे दें। मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा जी० ओ० जारी हुआ है।

श्री डी० पी० बोरा—

माननीय मंत्री जी १३-५-१९६८ का जी० ओ० देख लें जिसमें सरकार की ओर से लिखा गया है कि सरकारी कमचारियों के समान गैर शिक्षक कर्मचारियों को विश्वविद्यालय के महंगाई भत्ता मिलेगा। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जब एक बार जी० ओ० हो चुका है तो उसका उल्लंघन किस आधार पर किया जा रहा है ? क्या यह उनके साथ न्याय हो रहा है ? जिससे वे मजबूर होकर कल से पूरे प्रदेशीय स्तर पर हड़ताल करने जा रहे हैं और जिसके कारण हजारों विद्यार्थियों को दाखिला में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा ?

श्री रामजीलाल सहायक—

श्रीमन्, वे बराबर जी० ओ० का जिक्र कर रहे हैं लेकिन मेरे सामने जो शासन का निश्चय हुआ है, उसको मैंने निवेदन कर दिया है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, यह मामला केवल विश्वविद्यालय का ही नहीं है। यह मामला केवल मध्यम वर्ग के कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है मैं समझता हूं कि यह सारी जनता का मामला है। आज जो महंगाई है उसको देखते हुये यह महंगाई भत्ता की वृद्धि भी निरर्थक हो गई है। तो क्या माननीय मन्त्री जी इस बढ़ी हुयी महंगाई को रोकने के लिये कोई उपाय करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह इनका विषय नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं माननीय मंत्री के लिखित उत्तर की ओर ध्यान आकृष्ट करूंगा जिसमें लिखा है कि शासन ने निर्णय लिया है कि इन कर्मचारियों को जुलाई १, १९६९ से उसी दर पर महंगाई भत्ता स्वीकार किया जाय जो राज्य कर्मचारियों को १ जनवरी, १९६९ से पहले मिलता था। तो क्या सरकार ने यह मान कर सिद्धान्त स्वीकार किया है उनको राज्य कर्मचारियों के बराबर लाने का ?

श्री रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, इस समय मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, यह गंभीर प्रश्न है और एजीटेशन शुरू हो जायगा तो क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि आन्दोलन शुरू न हो और शिक्षा पर असर न पड़े उनके प्रतिनिधियों को बुला कर किसी प्रकार का उनको आश्वासन देंगे अथवा कोई हल निकालेंगे ?

श्री रामजीलाल सहायक—

अगर उनके प्रतिनिधि आयेंगे तो उनसे हम बातचीत करेंगे और फिर कोई हल निकालने की कोशिश की जायगी।

श्री उदित नारायण (जिला फतेहपुर)—

जो सदन के सम्मुख बजट पेश किया गया है उसमें बजट को समाजवादी और नियोजित कहने का दावा किया गया है तो इस बात को देखते हुये क्या यह जरूरी नहीं है कि पहले जो गरीब कर्मचारी थे उनके लिये साधन जुटाये जाते, उसके बाद बड़ी तनख्वाह वालों के लिये साधन जुटाये जाते और जब बड़ी तनख्वाह वालों के लिये साधन जुटा दिये गये हैं तो फिर कम तनख्वाह वालों के लिये साधन क्यों नहीं जुटाये गये ?

वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

टीचिंग स्टाफ को जब दिया गया तो नान टीचिंग स्टाफ को भी दिया गया है लेकिन अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस में अलग-अलग चीजें पैदा होती हैं। किसी की इच्छा नहीं है कि उन मामलों पर एजीटेशंस हों लेकिन यह बात सही है कि नान टीचिंग स्टाफ़ के साथ इस सरकार की सहानुभूति है।

श्री डी० पी० बोरा—

इलाहाबाद और बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय में नान टीचिंग स्टाफ को राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर भत्ता दिया जाता है और लखनऊ विश्वविद्यालय के नान टीचिंग स्टाफ को वह भत्ता नहीं मिलता है तो क्या यह सरकार की दोहरी नीति नहीं है और क्या अब माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे ?

श्री रामजीलाल सहायक—

मेरी जानकारी में ऐसी बात नहीं है ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

श्री बोरा ने जिस राजाज्ञा की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है और मंत्री महोदय को उसकी जानकारी नहीं है लेकिन अगर वह राजाज्ञा गयी हो अपने स्थान पर और यह बात सही हो तो क्या फिर माननीय मंत्री जी उनकी मांगों को स्वीकार करने को तैयार हैं ?

श्री रामजीलाल सहायक—

राजाज्ञा मिलने पर उसी पर विचार करके निर्णय लिया जायेगा ।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

अभी सरकार की ओर से एक आदेश निकला था जिसमें कुछ सहायता गैर शिक्षक कर्मचारियों को प्रदान की गई थी लेकिन उसी आदेश में माध्यमिक विद्यालयों के गैर शिक्षक कर्मचारियों को भी सहायता देने की बात थी लेकिन माध्यमिक स्तर पर वह सहायता आज तक नहीं दी गई ?

श्री रामजीलाल सहायक—

बजट जब तक पास न हो उसके पहले राजाज्ञा अगर किसी प्रकार की निकाल दी जाय तो वह ठीक नहीं होगा । इसलिये उनके पास वह नहीं गयी ।

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

क्या सरकार सिद्धांत रूप में यह मानने को तैयार है कि गैर शिक्षक कर्मचारियों को महंगाई भत्ता उसी दर से दिया जायगा जिस दर पर राज्य कर्मचारियों को दिया जाता है और फिर सरकार उसे क्रमिक रूप से समान करने का प्रयत्न करेगी ?

श्री रामजीलाल सहायक—

यह विचारणीय प्रश्न है, इसके ऊपर विचार करके तब निश्चय करेंगे ।

श्री सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या संविद शासन काल में उस समय के शिक्षा मंत्री ने कोई ऐसा कदम उठाया था या कोई ऐसा विचार किया था कि नान-टीचिंग स्टाफ का वेतन इनके बराबर हो ?

(व्यवधान) ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री उदित नारायण—

यदि यह महंगाई बढ़ा कर दी जाय तो कितना खर्चा पड़ेगा ?

श्री रामजीलाल सहायक—

माध्यमिक संस्थाओं में २१ लाख और विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेजों का ७ लाख आता है ।

श्री डी० पी० बोरा—

एक तरफ तो ९ मई, १९५९ को सरकार की ओर से यह एग्रीमेंट कर के कि आपको राज्य कर्मचारियों के बराबर भत्ता मिलेगा उनके बढ़े हुए भत्ते काटे गये और दूसरी ओर १३ मई, १९६८ को गवर्नमेंट की राजाज्ञा निकली जिसके मुताबिक उनको सरकारी कर्मचारियों के बराबर महंगाई मिलेगी । तो अब उनकी वह महंगाई भत्ता न देकर क्या सरकार अपनी बात से अलग नहीं हो रही है ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

अध्यक्ष महोदय, जितनी यह ब्योरे की बातें हैं उनसे तो मैं परिचित नहीं हूं। मेरे पास २-३ रोज हुए विश्वविद्यालय के उपकुलपति महोदय, तथा वहां की मैनेजिंग कमेटी के एक मेम्बर और दूसरे जो आजकल हैं मिलने आए थे और उनका यही आग्रह था कि कदाचित नं० २ जो है मैं यह याद्दाश्त से कह रहा हूं, इसमें कुछ गलती भी हो सकती है, कि १ अप्रैल, १९६७ से कुछ कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलना चाहिये था जो नहीं मिला। इस सिलसिले में वे मुझसे आग्रह कर रहे थे कि उनको वह भत्ता मिल जाना चाहिये। वह रुपया करीब ४२ हजार के शायद निकलता है। तो मैंने शिक्षा सचिव से और वित्त सचिव से बातें की थीं और अब भी जब मैं यहां आने लगा तो मैं वहां उनसे कह कर आया था कि इस ४२ हजार रुपये को वे किसी प्रकार से प्रथम बजट में व्यवस्था कर दें। यही उनका आग्रह था और उसके लिये मैं अभी आने के पहले कुछ आदेश देकर आया हूं। हमारे शिक्षा सचिव और वित्त सचिव इस संबंध में बातें कर रहे होंगे और मैं समझता हूं कि जो सुझाव मैंने दिया है उसके अनुसार कदाचित विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को उन सुझावों के अनुसार अपनी आज्ञा प्रदान करेंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं माध्यमिक विद्यालयों के गैरशिक्षक कर्मचारियों के बारे में प्रश्न कर रहा हूं। उसके संदर्भ में जो लिपिक हैं उनकी आय में भी थोड़ी वृद्धि आपने की है यद्यपि संतोषजनक नहीं है उनकी सेवा शर्तें भी इन्टरमीडिएट ऐक्ट के अन्दर आपने कहा कि वर्णित हैं। एक लाभत्रयी योजना भी उन पर लागू है। परन्तु उसी बाबत में आपने यह लिखा है कि जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनके वास्ते, न तो आप उनका वेतन क्रम रिवाइज करने के लिये तैयार हैं, न उनकी सेवा शर्तें तय करने के लिये तैयार हैं और न उनके लिये लाभत्रयी योजना ही लागू करने के लिये तैयार हैं, तो मेरा निवेदन यह है कि सबसे कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों के प्रति सरकार की ऐसी नीति क्यों है?

श्री रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, चतुर्थ वर्ग वालों के लिये अभी हमने तदर्थ वृद्धि दी है और जैसा कि मैंने निवेदन किया, जिस प्रकार हमें संसाधन उपलब्ध हो जायेंगे तो उनके लिये हम और भी कुछ करेंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आपके उत्तर के अन्दर ऐसा कहीं भी यह निर्दिष्ट नहीं है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये कोई वृद्धि की गई है। मैंने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये निवेदन किया था।

श्री रामजीलाल सहायक—

चतुर्थ श्रेणी में चपरासी वगैरह आते हैं। गवर्नमेंट ने अभी जो निर्णय लिया है उसमें उनको ४ रुपये की प्रथम तदर्थ वृद्धि दी गई है।

श्री दीपनारायण मणि—

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि १ अप्रैल, १९६७ से वे यह देने का विचार कर रहे हैं, तो क्या वे कृपा करके बतलायेंगे कि केंद्रीय सरकार ने भी कर्मचारियों को देने के लिये दो तिहाई रुपया देने का वादा किया है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री उदित नारायण —

क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार का यह आदेश होते हुए कि कुछ लोगों के डियरनेस एलाउंस अगर कम हो जायेंगे तभी संभव होगा कि उनके डियरनेस बढ़ावें

[श्री उदितनारायण]

और उनका डियरनेस कम कर दिया गया, उसके बावजूद सिर्फ ७ लाख रुपये की रकम गैर शिक्षक कर्मचारियों को देना है ? एक तो इतनी छोटी रकम है, फिर सरकार पहले वादा भी कर चुकी है कि उसको दिया जायगा। तो क्या इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी सी समय एलान करना मुनासिब नहीं समझते कि उनको यह दिया जायेगा ?

श्री रामजीलाल सहायक—

अभी ही एक बहुत बड़ी रकम देने का एलान माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है। उसकी हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई और संसोधन निकाल सकें, यदि निकाल सका तो उस पर हम फिर विचार कर सकते हैं।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस तरह का आश्वासन दिया है कि यनिवर्सिटी के गैर शिक्षक कर्मचारियों के लिये वेतन वृद्धि की बात सोच रहे हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे यह आश्वासन देंगे कि जो माध्यमिक विद्यालयों के गैर शिक्षक कर्मचारी हैं उनकी वेतन वृद्धि के संबंध में व इस समय विचार करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

अभी मैंने कोई आश्वासन तो दिया नहीं है। वैसे इस विषय को लेकर वाइस चांसलर मेरे पास आये थे तो उस विषय में मैंने वित्त सचिव और शिक्षा सचिव से कुछ बातें कीं और वह भी इस बुनियाद पर कि विश्वविद्यालय को कुछ रुपया दिया गया था सरकार की ओर से और उस रुपये में से कुछ रुपया बचा हुआ रखा है, तो सरकार से वह इस बात की अनुमति चाहते हैं कि उस बचे बचाए रुपये को जो ४२ हजार या कितना निकलता है, जिसकी चर्चा मैंने अभी अभी की है तो वह उन्हें देवें अथवा न देवें, उसके विषय में मैंने कहा कि वित्त सचिव और शिक्षा सचिव से मैंने बातचीत की है। अभी जब मैं यहां से लौटकर जाऊंगा, तब उन लोगों के विचार मेरे सामने आ जायेंगे और अपने कागजात को देखकर मुझसे वे बातें करेंगे। अन्त में जो कुछ भी फैसला होगा उसको मैं ट्रेजरार महोदय को बताऊंगा, जो शायद मेरे कमरे में इंतजार कर रहे होंगे।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी स्पष्ट शब्दों में कोई बात कहेंगे कि वे उनको क्या देना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो उन्होंने बता दिया।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के विषय में न तो उनकी वेतन वृद्धि का कोई आश्वासन दिया गया है, न उनकी सेवा शर्तों के बारे में ही आश्वासन दिया गया है ? क्या मेज पर बैठकर उनके प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिये तयार हैं ?

श्री रामजीलाल सहायक—

उनके प्रतिनिधि आएं। उनसे जरूर बातचीत की जायगी।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)—

क्या सरकार ने कोई वेज पालिसी या सिद्धांत निर्णय किया है जिसके अनुसार वेतन और महंगाई भत्तों का निर्णय किया जाय ? या यह निर्णय एड हाक बसिस पर, आर्थिक स्थिति को देखते हुए, अथवा कितना दबाव कौन डाल सकता है, इन बातों को देखते हुए लिया जाता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

यह जो निर्णय लिये जाते हैं वे अधिकतर उन स्थितियों के कारण से लिये जाते हैं जो दिल्ली सारे प्रदेशों के लिये पैदा करती है ।

श्री डी० पी० बोरा--

क्या माननीय मंत्री जी माध्यमिक गैरशिक्षक कर्मचारी चतुर्थ वर्ग के लिये, उनके वेतन-क्रम को निर्धारित करने के बारे में भी कुछ सोच रहे हैं ?

श्री रामजीलाल सहायक--

उनका अभी कोई वेतन क्रम नहीं है । जो लोग प्राइवेट संस्थाओं में हैं तो वे मैनेजर्स के नियंत्रण में होते हैं । इन्हीं बातों को सोच कर उनको तदर्थ वृद्धि दी गई है । आगे और भी विचार उनके बारे में कर लेंगे ।

श्री उदित नारायण--

मैं अपने प्रश्न को फिर से विशेष रूप से रखना चाहता हूं कि आपने यह कहा था कि किसी कर्मचारी की डीयरनेस को आप कम करेंगे तब दूसरों को बढ़ायेंगे । आपने उसके अनुसार कम तो कर दिया लेकिन बढ़ाया नहीं और इसमें केवल ७ लाख रुपया ही व्यय होगा । आपका जो आदेश है वह इस प्रकार से है--

"In continuation of this office letter No. V.F. 52-V/56/1929, dated March 30, 1959, I have the honour to state that Government have ordered that unless the dearness allowance of the University Staff who are drawing more D. A. than that allowed to the corresponding Government servants is brought down to the Government level, it would be difficult for the Government to consider the question of D. A. of the low paid staff....."

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मान्यवर, मुझे तो बहुत स्पष्ट बात कोई मालूम नहीं हुई । न जाने किसने कहा है । अगर माननीय सदस्य स्पष्ट बात बतायेंगे तो देख लगे । इतना मालूम है कि किसी का वेतनक्रम कम नहीं हुआ है ।

श्री अध्यक्ष--

यह आप उनको राय भेज दीजिए ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिस समय शिक्षकों की वेतन वृद्धि हुई थी, उस समय गर शिक्षक कर्मचारियों की वेतन वृद्धि करने में क्या कठिनाई महसूस की जा रही थी ?

श्री रामजीलाल सहायक--

मान्यवर, मैं कई बार निवेदन कर चुका हूं कि एक ही कठिनाई संसाधनों की रही है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

अध्यक्ष महोदय, माननीय भानु प्रताप सिंह जी के प्रश्न के उत्तर में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो जवाब दिया वह सदन की समझ में नहीं आया सिवाय आ आ के । क्या आप कृपा करके फिर जवाब दिला देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

आपने शायद नहीं सुना लेकिन आप सारे सदन के लिये क्यों कह रहे हैं ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मानवर, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि वैसे तो हम सदन में जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकते हैं । लकिन माननीय नेता सदन के लिय इस तरह से कहा जाय, यह कहां तक

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]
शोभनीय है ? एक तरह से उनको हट डाउन किया जाना है । मैं माननीय जायसवाल जी से कहना चाहता हूं कि इस तरह से सदन की शोभा नहीं बढ़ती है ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय भानुप्रताप सिंह जी की तरफ से ऐसी बात नहीं कही गई ।

श्री भानुप्रताप सिंह (बस्ती)---

श्रीमन्, यह बात तो सही है कि मुख्य मंत्री जी का उत्तर मेरी समझ में नहीं आया । जायसवाल जी की भी समझ म नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष---

आप फिर से पूछिए ।

श्री भानुप्रताप सिंह (बस्ती)---

अध्याक्ष महोदय, मैं फिर से प्रश्न करता हूं कि क्या कोई नीति है जिसके अनुसार यह निर्णय किया जाता है या समय की बात होती है कि जिस वर्ग या समुदाय का दबाव पड़ गया या आर्थिक स्थिति कैसी है इस पर निर्भर करता है । कभी-कभी बड़े-बड़े कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते बढ़ाए जाते हैं और ऐसी स्थिति होती है कि सात लाख रुपये के लिये उन्होंने कहा कि हम नहीं बढ़ा सकते हैं । क्या यह सवाल किसी वेज पालिसी के तहत नहीं है ? यदि किसी वेज पालिसी के तहत नहीं है तो केंद्रीय सरकार से मश्विरा करके एक वेज पालिसी निर्धारित की जाय । अन्यथा इस तरह के एजीटेशन्स बराबर होते जायगे । कभी केन्द्रीय सरकार के बराबर भत्ता मांग जाता है और कभी स्थानीय निकायों के कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों के सामने भत्ता मांगते हैं । इसलिये इन सारी बातों के ऊपर ध्यान देकर एक वेज पालिसी सरकार की निश्चित होनी चाहिये । क्या वह कोई इस तरह की वेज पालिसी निर्धारित करना चाहते हैं या इसको निश्चित करने का विचार रखते हैं या यहां पर इसी तरह एडहाक बेसिस पर होता रहेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

अध्यक्ष महोदय, जो वेजेज बढ़ती हैं वे सब उन्हीं कारणों से बढ़ती हैं जिनकी चर्चा माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में की है । जहां तक वेज पालिसी के निर्धारित करने का प्रश्न है वह तो आल इंडिया प्रश्न है और इस पर केवल उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा निर्णय नहीं लिया जा सकता है और केंद्रीय सरकार ने वेज पालिसी के संबंध में अभी कोई नीति घोषित नहीं की है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी केवल इतना बता दें जिन मांगों में आर्थिक कठिनाई का प्रश्न नहीं है, जैसे सेवा शर्तें तय करनी है तो इसके संबंध में आश्वासन दे दें कि तय करा देंगे ।

श्री रामजीलाल सहायक---

यह प्रश्न विभाग में चल रहा है । सेवा नियमावली बनाई जा रही है ।

श्री अध्यक्ष---

अब हम उठते हैं और सोमवार को साढ़े दस बजे बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ६ बज कर ५ मिनट पर सोमवार, ११ अगस्त, १९६९ के १०-३० बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,

सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊः
८ अगस्त, १९६९ ।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३८(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७२ पर]

प्रतिलिपि प्रार्थना-पत्र दिनांक २०-१-६९ आदेशानुसार शिक्षा अधिकारी, जिला परिषद्, आजमगढ़ सं० शि० ३९७ दिनांक १८-६-६९।

सेवा म,

माननीय शिक्षा अधिकारी महोदय,

जिला परिषद्, आजमगढ़।

निवेदन है कि प्रार्थी निरस्त विकास खंड, पल्हनी अन्तर्गत जूनियर हाई स्कूल, जाफरपुर का सहायक अध्यापक है। प्रार्थी स्वतंत्र एवं निर्भीक विचारों का अध्यापक है जिसके कारण सामन्तवादी विचारधारा के व्यक्तियों के सामन्जस्य नहीं रह पाता है।

दिनांक १६ जनवरी, १९६९ को प्रार्थी आपके आदेश संख्या २०२२, दिनांक १७ दिसम्बर' १९६८ के अनुसार सत्यनारायण बनाम लोचन के वाद में साक्ष्य प्रस्तुत करन हेतु न्यायालय तहसीलदार साहब सदर उपस्थित हुआ। आदेश म यह अंकित नहीं था कि कवल तिथि विशष को ही उपस्थित हो। न्यायालय म अपना साक्ष्य प्रस्तुत करना ही आदेश मान लिया था। सभवतः यह उचित भी था। उपरोक्त वाद के नायक श्री सत्यनारायण राय जो सहायक अध्यापक प्रारम्भिक पाठशाला, रवनपुर, विकास खंड तहबरपुर के समा तवादी विचारधारा के हैं उन्होंने प्रार्थी के ऊपर नैतिक अनैतिक दबाव दिया और असफल होने पर उन्होंने क्षेत्रीय प्रत्युप विद्यालय निरीक्षक श्री बिन्देश्वरी प्रसाद राय की शरण ली। उपरोक्त अधिकारी महोदय ने कुछ संकेत गत दिनों से दिया किन्तु मैं प्रभावित न हो सका। फलतः १६-१-६९ को विद्यालय पर पहुंच कर कुछ असंगत प्रश्न रजिस्टर पत्र व्यवहार पर अंकित किये।

श्रीमान् जी, शर्मा जी के पथ विरत होने से मुझे धक्का लगा और इनके इस पक्षपातपूर्ण कार्यवाही की आप स्वयं जाकर निर्णय दें।

(१) श्री शर्मा जी सत्य नारायण जी के घर दिसम्बर उत्तरार्ध में गये थे। जो किसी भी अधिकारी के लिये अवैधानिक है।

(२) श्री शर्मा जी अध्यापक मर्यादा को बिना समझे रजिस्टर पत्र व्यवहार का वर्गीकरण किये जो अवैधानिक है।

(३) श्री शर्मा जी अध्यापकीय शिष्टाचार को तिलांजलि दे कर, तू, तुम, गधहे, बेवकूफ का, नितान्त प्रयोग करते हैं। जो नितान्त निन्दनीय है।

(४) श्री शर्मा जो जातीय पक्षपात से अपने को बचा न सके और मुझे व्यर्थ में परेशान करने की सोच ली है। यह कार्य किसी निरीक्षक के लिये ग्राह्य नहीं है।

(५) दिनांक १६-१-६९ के पूर्व नियोजित निरीक्षण में अनुपस्थित अध्यापकों के हस्ताक्षर कोष्टक में अनुपस्थिति सूचक चिन्ह लगाने के पश्चात् भी रजिस्टर पत्र व्यवहार में उल्लेख नहीं किये। जिसे आप स्वयं देख सकते हैं।

(६) जुलाई, १९६८ से अन्य किसी अध्यापक का लेखा न मांग कर पक्षपात का पूर्ण प्रदर्शन किया है रजिस्टर पत्र व्ययहार के सर्वांगीण निरीक्षण से स्थिति स्पष्ट हो जायेगी।

(७) श्री सत्यनाराण राय स० अ०, रवनपुर के साथ कई प्रा० पा० का निरीक्षण किये ो नितान्त अवैधानिक है।

(८) श्री सत्यनारायण राय, स० अ० जो मुख्य अधिकारी, जिला परिषद् के निरीक्षण में अनुपस्थित मिले थे तथा एक मुकदमा जिसमें कई दर्जन तारीखें पड़ चुकी हैं वे न्यायालय में उपस्थित रहते हैं। उन्हें छूट दिला रखी है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर एसे शिक्षा निरीक्षक से न्याय पाना दुर्लभ है। अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त तथ्यों की आप स्वयं जांच करने की कृपा करें। यदि एक सप्ताह में जांच पूरी नहीं की गई तो न्यायाय उच्च शिक्षा अधिकारियों के यहां लिखने में मैं अपने को अधिकारी समझूंगा। उचित कर्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रार्थी

(ह०) हरनारायण पाठक स्वयं

(हरनारायण पाठक)

स० अ०, जू० हा० स्कूल, जाफ़रपुर,

आजमगढ़, २०-१-६९-।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७४ पर)

लेखा परीक्षण आख्या की मुख्य-मुख्य बातें—

(१) मंत्री वैश्य डिग्री कालेज शामली ने बताया कि वैश्य कालेज समिति शामली का रजिस्ट्रेशन वैश्य कालेज शामली नाम से है। वैश्य कालेज समिति एक रजिस्टर्ड संस्था है यह संदिग्ध है क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र पर केवल वैश्य कालेज शामली अंकित है। जिस समय रजिस्ट्रेशन हुआ उस समय वैश्य कालेज में इन्टरमीडिएट कक्षाओं तक अध्यापन कार्य होता था। अतएव डिग्री कालेज रजिस्ट्रेशन संस्था मालूम नहीं पड़ती।

(२) वैश्य कालेज के नियमों में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया गया है तथा वैश्य कालेज समिति ने अपने समस्त अधिकार मंत्री वैश्य कालेज को दे दिये हैं यहां तक कि वे कालेज की समस्त संपत्ति को बेच सकते हैं।

(३) वैश्य कालेज समिति क सदस्यों के सदस्य होने का प्रमाण आडिट को प्रस्तुत नहीं किया गया।

(४) नगरपालिका शामली द्वारा स्वीकृत अनावर्तक तथा आवर्तक अनुदानों का उपभोग ठीक नहीं हुआ क्योंकि उन से ऋण चुकाया गया है। अनावर्तक अनुदानों को जिन्हें अपने अंशदान के साथ समिति को उपभोग करना था उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देहली से प्राप्त अनावर्तक अनुदानों के विपरीत समिति के अंशदान के रूप में लगाया गया।

(५) वैश्य डिग्री कालेज की सम्पत्ति बेची जा रही है परन्तु इस विषय में कागजात आडिट को प्रस्तुत नहीं किये गये।

(६) मंडलीय उप शिक्षा निदेशक मेरठ के कार्यालय में एक अनाधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर को मान कर अनुदान के बिल पास किये हैं।

(७) कई अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को पिछला वेतन नहीं दिया गया है तथा डा० के० एन० पाठक अध्यक्ष अर्थशास्त्र जो २४-१०-६६ से निलम्बित कर दिये गये हैं उनको सबसिस्टेंस एलाउन्स नहीं दिया गया है।

(८) आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होने की शर्तों को पूरा नहीं किया गया है। इस समय एम० ए० कक्षाओं को पढ़ाने हेतु डा० लक्ष्मी नारायण अनुमोदित प्रधानाचार्य एवं० डा० के० एन० पाठक जो निलम्बित हैं के अतिरिक्त कोई भी प्राध्यापक एम० ए० कक्षाओं के लिये विश्वविद्यालय से अनुमोदित नहीं है।

(९) वैश्य डिग्री कालेज में अनाधिकृत शुल्क की वसूली होती है।

(१०) वैश्य कालेज समिति वैश्य डिग्री कालेज तथा अन्य कोषों की रसीद पुस्तकें एक हैं। अतः किसी को कितना धन चन्दे में प्राप्त हुआ इस की आडिट होनी चाहिए जिसे मंत्री ने होने नहीं दिया।

(११) वैश्य डिग्री कालेज का अनुदान प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। पिछले ५ वर्षों में अनुरक्षण अनुदान बढ़ कर तिगुना हो गया है परन्तु विद्यार्थियों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(१२) ऋण की प्रविष्टियों का सत्यापन मंत्री वैश्य कालेज समिति ने ठीक से होने नहीं दिया। वैश्य डिग्री कालेज पर ऋण बढ़ता जा रहा है जिस की अदायगी के लिये कालेज के अधिकारी उदासीन हैं। वर्ष १९६१-६२ से ६६-६७ तक वैश्य डिग्री कालेज पर ७६,००० रुपये से अधिक ऋण बढ़ा है इसके अतिरिक्त छात्र कोष का ऋण भवन निर्माण कोष पर १५,५००रु० तथा अनुरक्षण कोष पर १००० रुपये ३१-३-६७ तक बाकी है।

(१३) विभाग द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक वेतन का भुगतान कुछ प्राध्यापकों तथा कर्मचारियों को किया जा रहा है ।

(१४) स्टाफ़ क्वार्टर के निर्माण हेतु शासन से ऋण लिया गया परन्तु वह वर्षों से धरा पड़ा है ।

(१५) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देहली से अनावर्तक अनुदानों को प्राप्त तो किया गया है परन्तु कार्य अधूरा पड़ा है ।

(१६) छात्र कोष से प्रबन्ध समिति द्वारा अंशदान दिया गया है ।

(१७) लगभग ३,०३,१२१ रूपये प्रबन्ध समिति अपने श्रोतों से अनुरक्षण कोष, भवन निर्माण कोष, विश्वविद्यालय कोष, अनुदान कोष, तथा छात्र कोष को वापस करें ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७६ पर)

अनुसूचित जन जातियों के कल्याणार्थ चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित योजनायें

राज्य योजना के अन्तर्गत

१—पूर्व दशम (मैट्रिक) कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति तथा पाठ्यक्रम पुस्तकीय सहायता ।

२—पूर्वदशम (मैट्रिक) कक्षाओं में पढ़ने वाले बालकों को शैक्षिक शुल्क की प्रति पूर्ति

३—चिकित्सा, अभियंत्रण तथा औद्योगिक संस्थाओं में उच्च वैज्ञानिक शोध के लिये छात्रों को अनावर्तक सहायता ।

४—अनुसूचित आदिम जातियों के बालकों के लिये आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना।

५—कृषि विकास हेतु राज सहायता ।

६—कुटीर उद्योगों के विकास हेतु राज सहायता ।

७—अनुसूचित आदिम जातियों के पुनर्वासन की योजना ।

८—शिल्पकौशल के प्रशिक्षण के लिये छात्रवृत्ति ।

९—पेय जल सम्पूर्ति की सुविधाओं के लिये राज सहायता ।

१०—स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान ।

११—प्राविधिक कर्मचारियों तथा वाहनों की व्यवस्था ।

१२—अनुसूचित आदिम जातियों के लिये प्रख्यापन इकाई की स्थापना ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा पुरोनिधानित योजनायें

१—अनुसूचित आदिम जाति के दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को भारत सरकार की छात्रवृत्ति ।

२—अनुसूचित आदिम जातियों के छात्र व छात्राओं के लिये छात्रावास ।

३—अनुसूचित आदिम जातियों के लिये विशेष क्षेत्र प्रायोजना ।

४—अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याणार्थ सहकारिता योजना ।

५—अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये शोध तथा प्रशिक्षण अग्रगामी प्रायोजना ।

६—प्रौढ़ और सामाजिक शिक्षा हेतु अग्रगामी योजना ।

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७९ पर)

प्रश्न सं० २ के उत्तर में कथित सूचना का विवरण

श्री जय नारायन सिंह मैनेजिंग डायरेक्टर श्री शिवबरन सिंह उपाध्यक्ष सहकारी बैंक फ़तेहपुर द्वारा लिये गये टी०ए० डी०ए० का विवरण निम्न प्रकार है—

नाम	वर्ष	टी० ए०	डी०ए०	योग
		रु		रु
१—श्री जय नरायन सिंह प्रबंध संचालक	६५–६६	१,०४०.०८	३५०	१ ३९०.०८
	६६–६७	३१४ ४५	११५	४२९.४५
	६७–६८	—	—	—
	६८–६९	१६२.७८	२५	१८७.७८
	६९–७०	—	—	—
२—श्री शिवबरन सिंह, उपाध्यक्ष	६५–६६	३२६.२५	५१०	८३६ २५
	६६–६७	२५२.५५	९२५	१,१७७.५५
	६७–६८	७२६.६४	३९०	१ ११६.६४
	६८–६९	१८१.७२	४४५	६२६.७२
	६९–७०	४९.९८	१३५	१८४.९८

इस साधारण व्यय से बैंक की आर्थिक स्थिति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ५५ एल० ए०—१९६९—८७०।